खण्ड–17, अंक–04
शुक्रवार, आश्विन 21, शक संवत् 1928
(13 अक्टूबर, 2006 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2006)

(खण्ड 17 में 04 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग...	1–5
प्रश्नोत्तर	6–43
श्री अरविन्द पाण्डे स0वि0स0 द्वारा नियम–310(2) के अन्तर्गत दि0 4 अक्टूबर, 2006 को बाजपुर में घटित घटना की सूचना ...	44–48
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में कुजगड़ घाटी में बाढ़ से हो रहे भूमि कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद उत्तरकाशी के क्याण गांव, हडयाली आदि तथा टिहरी के दर्जनों गांवों में टिहरी बांध के जलाशय के दबाव से हो रहे भू–स्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	49
जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा स्थान की ऊसर भूमि को सिंचित करने हेतु डबल लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	49
राज्य के सी0टी0 (मूल संवर्ग) के शिक्षकों के वेतन विसंगतियों के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	49–50
प्रदेश भर के विभिन्न स्तरों पर बने मोटर मार्गों में प्रयुक्त निजी नाप, भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद चमोली में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का पुनः सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	50–51
प्रदेश के माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को जो जनवरी, 1996 से 30 जून, 2001 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, पंचम वेतनमान का लाभ न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	51
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भृगुखाल, डांगर, आदि गांवों हेतु कीम गधेरे से एक अन्य प्रस्तावित पम्पिंग योजना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	51–52

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ़ में बांकू पुल से बांकू तक बन्द पड़े मोटर मार्ग को खोलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति न मिलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद चमोली में गैरसैंण वि0ख0 के अन्तर्गत जीपेबिल मार्ग को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित न किये जाने के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	52–53
प्रदेश में 1099 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के पद सृजन न होने से डिप्लोमाधारियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53
नगरपालिका परिषदों की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद देहरादून के वि0 ख0 डोईवाला, ग्राम नथुवावाला के नागराज मौहल्ले में विद्युत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	53–54
वर्ष 2006 के प्रथम सत्र में उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	54
श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त एवं सचिव, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	54–55
संग्रह अमीनों को नियमित किये जाने विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का विनिश्चय	56–57
नियम 58 के अन्तर्गत सूचनाएं	57–74
टिहरी बांध की टनल (सुरंग) टी–2 को बन्द किये जाने के संबंध में श्री फूलसिंह बिष्ट द्वारा दि0 21 अक्टूबर, 2005 को नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा (समाप्त)	74–84
उत्तरांचल में गो–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाये, के संबंध में श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत दि0 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत) ...	85–89

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल राज्य में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय, के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत दि० 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत) ...	89–94
उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय, के संबंध में श्री प्रकाश पन्त द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा (अस्वीकृत)	94–100
प्रदेश के अति दुर्गम, पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टर, फार्मासिस्ट तत्काल भेजे जायें, के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा (अस्वीकृत)	100–106
प्रदेश में बन रही बी०पी०एल० कार्डधारकों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के ही नाम दर्ज किये जायं, के संबंध में श्री मातबर सिंह द्वारा संकल्प का प्रस्तुतिकरण (अस्वीकृत)	106–110
प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के गिरते हुए स्तर को देखते हुए प्राइमरी शिक्षकों से पठन–पाठन के अतिरिक्त कोई और कार्य न लिया जाय, के संबंध में श्री हरबंस कपूर द्वारा संकल्प का प्रस्तुतिकरण (अस्वीकृत)	111–113
राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला व मुन्स्यारी, जनपद उत्तरकाशी में रवाई–जौनपुर तथा जनपद चमोली में जोशीमठ क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त नागरिकों को अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुमन्य समस्त सुविधाएं प्रदान की जायं, के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पन्त द्वारा संकल्प का प्रस्तुतिकरण (अस्वीकृत)	113–118
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अधिनियमों में वर्णित विभिन्न धाराओं के अनुसरण में मा० सदस्यों को नामित करने हेतु मा० अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	119
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	119–120
बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों की ए०एन०एम० केन्द्रों में नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री अनिल नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दि० 11 अक्टूबर, 2006 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	120

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल निवास नई दिल्ली में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राज्य सम्पत्ति मंत्री का केवल वक्तव्य — — —	121
सदन के सफल संचालन पर माननीय सदस्यों के उद्गार — —	121–132
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) — — —	132–133

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेद सिंह मांजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24—श्री नव प्रभात
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—श्री प्रदीप टम्टा
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रीतम सिंह पंवार
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
36—श्री फूल सिंह बिष्ट
37—श्री बलबीर सिंह नेगी
38—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39—श्री बिशन सिंह चुफाल
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—श्री मदन कौशिक
42—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मह्‌ भाई)
45—श्री मातबर सिंह
46—श्री माल चन्द
47—चौ0 यशवीर सिंह
48—श्री रणजीत सिंह
49—श्री राम प्रसाद टम्टा
50—श्रीमती विजय बडथ्वाल
51—श्री शूरवीर सिंह
52—श्री सहजाद
53—श्री साधू राम
54—श्री सुबोध उनियाल
55—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
57—श्री सुरेश चन्द
58—डा0 हरक सिंह रावत
59—श्री हरबंश कपूर
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरीदास
62—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63—श्री हीरा सिंह बिष्ट
64—श्री हेमेश खर्कवाल
65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों को नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, समूह-ग तथा समूह-घ की नियुक्तियों में अनियमितता पाये जाने पर भी सरकार द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आज 310 की कोई भी सूचना स्वीकार नहीं की जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, हमारी सूचना को 310 में सुना जाये। (घोर व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे-

मान्यवर, मेरी सूचना को नियम-310 के अन्तर्गत सुना जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी व्यक्तिगत सूचना है, इसे मैं प्रश्नकाल के बाद सुन लूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह को छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान)

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, हमारी सूचना भारत के संविधान संशोधन के संबंध में है, कृपया इसे सुना जाय। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शासकीय सेवाओं में पदोन्नति के रोस्टर की आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत कार्मिकों की पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करने के संबंध में श्री नारायण पाल जी, आपने यह सूचना नियम-51 के अन्तर्गत 17 अप्रैल, 2006 को उठायी थी जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ चुका है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, वह जवाब अस्पष्ट था।

श्री अध्यक्ष–

इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य 17 अप्रैल, 2006 को आ गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दोषियों को आज तक दण्डित नहीं किया गया है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

("वेल" में भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह को छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाने लगे–फर्जी घोषणा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमीशनखोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आदि।)

आज सदन का अन्तिम दिन है कृपया प्रश्नकाल होने दें।

(नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे: घोटालों की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, 85वां संशोधन लागू करो–लागू करो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज सदन का अन्तिम दिन है, कृपया सदन को चलने दें और आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि : "आज सदन का अन्तिम दिन है। इसके बाद कोई सत्र नहीं होने वाला है इसलिए इसे आज ही सुन लिया जावे।") (घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि : "मान्यवर, इसमें सरकार अपना बयान तो दे दे। यह बहुत ही गम्भीर आरोप है। यह बेरोजगारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।") (घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि : "संविधान का 85वां संशोधन उत्तरांचल में लागू नहीं किया जा रहा है।") (घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री हरीदास जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि : "भारत के संविधान के 85वें संशोधन को उत्तरांचल में लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि नौ राज्यों में इसे लागू कर दिया है। सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है इसलिए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग करता हूं।") (तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का परित्याग कर चले गये।) (घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कुछ सम्मानित सदस्य जो पुराने हैं उन्हें नियमों की जानकारी भी होगी। जो विषय आज यहां पर उठाया जा रहा है यह पहले भी इस सदन में आ चुका है। नियमानुसार जिस सूचना पर एक बार चर्चा हो जाती है उसे पुनः नहीं उठाया जा सकता है, किन्तु फिर भी इस सूचना को पुनः उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करती हूं कि यदि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.30 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचना हमने दी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह लाखों युवकों के रोजगार का मामला है। मान्यवर, जिन विभागों में अनियमितताएं हुई हैं, गलत एप्वाइंटमेंट हुए हैं, उस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।..........

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्नकाल होने दीजिए मैं इसको नहीं सुन रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि कृपया वे माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने को कहें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने उत्तरांचल विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली बनाकर हमें दी और उसी में आपने नियम–310 बनाया। तो मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य उसी नियम–310 के अन्तर्गत अपनी सूचना दे रहे हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्यों को सुन लिया

जाय। मान्यवर, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह सम्मानित मंत्रीगणों के सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वयं भी सदन में कहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने भी कहा कि इसमें कुछ तो अनियमितता है और जो हमारी सचिव हैं दमयन्ती दोहरे जी उन्होंने भी इसमें कहा कि कुछ तो गड़बड़ इसमें है। इसीलिए हम लोग इस बिन्दु को उठा रहे हैं।............

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाने में आपको सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार कुछ काम भी नहीं करना चाहती है।..............

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे इस पर घोर आपत्ति है। माननीय नेता प्रतिपक्ष नियम–310 में अपनी सूचना को स्वीकार कराना चाहते हैं तो वह आपसे अनुरोध करें, इस मामले पर सरकार पर आरोप लगाने का क्या मतलब है ?...........

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार हमारी सही और प्रमाणिक बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय ,सदस्य वापस अपने–अपने स्थान पर आ गये।)

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, आज मैंने नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना दी है, मैं अपनी भावनाओं को सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, वह आपका व्यक्तिगत प्रकरण है, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको सुन लूंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत मैंने भी रानीखेत को जिला बनाये जाने के संबंध में सूचना दी है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 6 जिलों को बनाये

जाने की घोषणा की है, लेकिन उसमें रानीखेत का नाम नहीं है, जिससे वहां की जनता में बहुत आक्रोश है, हम जानना चाहते हैं कि उसे जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता है ? मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना भी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अरविन्द पाण्डे जी का व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें प्रश्नकाल के बाद सुन रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इन्होंने जो भी पढ़ा वह समाचार–पत्रों में से पढ़ा, उनका नाम यहां पर लिया जाना ठीक नहीं है, मेरा अनुरोध है कि इन अंशों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।........

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यहां पर समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप नियम–310 में उठाने की इजाजत दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइए। प्रश्नकाल होने दीजिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय अजय भट्ट जी की शंका का समाधान कर दिया जाय। घोषणा चाहे किसी ने भी की हो लेकिन सरकार की मंशा है, नये जिले बनाने की। डीडीहाट भी उसमें शामिल है। इनका जिला भी सम्मिलित होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, रानीखेत का नाम उसमें नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर वक्तव्य दे दे। आज सरकार यह ऐतिहासिक काम कर दे। इसके बाद थोड़े आना है। (व्यवधान) फिर तो 2007 में ही आना है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, आज असरकारी दिवस पूरी तरह से सार्थक हो गया है। माननीय ऐरी जी ने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देकर इसे पूरी तरह साबित कर दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में विकलांगों का आन्दोलन

** 1–श्री प्रकाश पंत–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में विकलांगजन अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलनरत हैं ?

यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

क्या सरकार विकलांगों की मांगों के संबंध में शीघ्र कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हां।

उनकी मांगों में विकलांगजनों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने, पृथक विभाग खोलने, पेंशन दरों में वृद्धि, विभिन्न अनुदान मांगें तथा अनुदान बढ़ाने, विकलांग अभिभावकों के बच्चों को आरक्षण आदि मांगें सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार द्वारा विकलांगजनों के हितार्थ के लिए निम्न कार्य किये गये हैं:–

1. विकलांगजनों के लिए 3 % आरक्षण की व्यवस्था,
2. राज्य में विकलांगजन आयुक्त की नियुक्ति की गयी है,
3. समस्त विभागों को विकलांगजनों के लिए पदों के चिन्हीकरण तथा विकलांगजनों की नियुक्ति के निर्देश दिये गये हैं तथा विशेष अभियान चलाकर नियुक्तियां दी जा रही हैं।
4. विकलांगजन अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।
5. विकलांगजनों को पूर्व में रु0 125/– प्रतिमाह पेंशन मिलती थी जिसे 01–04–05 से रु0 250/– प्रतिमाह तथा 01–04–06 से रु0 400/– प्रतिमाह कर दिया गया है।
6. परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गयी है।
7. स्वरोजगार योजना में विकलांगजनों को अपना स्वयं का व्यवसाय करने हेतु रु0 20000/– का ऋण दिये जाने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत रु0 5000/– का अनुदान तथा रु0 15000/– ऋण की राशि केवल 4 % वार्षिक ब्याज पर आसान किस्तों का प्राविधान है।
8. कृत्रिम अंग हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत रु0 3500/– तक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

9. जनपदों में पेंशन का वितरण उनकी सुविधानुसार मनीआर्डर द्वारा तथा समय–समय पर शिविर लगाकर किया जाता है।

10. विकलांगजनों को विशेष सेवायोजन कार्यालय की सुविधा दिये जाने हेतु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में वर्ष 2005–06 में व्यवस्था की गयी है जिसके लिए उन्हें 3.20 लाख स्वीकृत कर दिया है।

11. विकलांगजनों हेतु प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र हेतु जनपद टिहरी (चमियाला), पिथौरागढ़ तथा नैनीताल (हल्द्वानी) में संचालित है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तरांचल राज्य के विकलांगजन आन्दोलनरत हैं और विगत 10 अगस्त से विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। जबकि जनपद पिथौरागढ़ में तो यह पहले क्रमिक अनशन पर बैठे और अब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका 26 सूत्री मांग पत्र हमारे पास है। इनकी मांग है कि प्रत्येक जनपद में विकलांगों के लिए अलग सेवायोजन कार्यालय खोला जाय। अभी इन्हें सेवायोजन के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तरालेख में कहा कि विकलांगजनों को विशेष सेवायोजन कार्यालय की सुविधा दिये जाने हेतु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में खोला गया है। जबकि इनकी मांग है कि प्रत्येक जनपद में विकलांगों के लिए पृथक सेवायोजन कार्यालय खोला जाय। आपने देहरादून में कार्यालय खोल दिया है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि धारचूला का विकलांग सेवायोजन के लिए देहरादून कैसे आयेगा ? उत्तरकाशी का विकलांग देहरादून तक कैसे आयेगा।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि लकवा ग्रस्त और पूरी तरह से शयन कक्ष में पड़े हुए विकलांगों को मासिक पेंशन जो भरण–पोषण के लिए मिलती है, उस पेंशन में बढ़ोत्तरी करने पर क्या सरकार विचार कर रही है। दूसरा प्रश्न यह है कि विकलांग, विधवाओं और वृद्धों को जो सहायता सरकार के माध्यम से समाज कल्याण के माध्यम से दी जाती है वह सहायता पात्र व्यक्ति तक पहुंचने तक उसे अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के जनपदों में विकलांग, विधवा और वृद्ध पेंशन शिविरों के माध्यम से एक नियमित प्रक्रिया बनायी जाय और शिविरों के माध्यम से वितरण करने पर विचार किया जाय।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, जिस समय राज्य की स्थापना हुई उस समय प्रत्येक जनपद में एक पृथक विकलांग कल्याण विभाग था। राज्य की आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ही कार्य किया जाय। इस व्यवस्था के अधीन विकलांग कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के अधीन कर दिया गया। वर्तमान में सामान्य सेवायोजन के जितने कार्यालय

हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। देहरादून में एक विशेष व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है इसका अनुभव अच्छा रहेगा और आवश्यकता महसूस होगी तो विकलांग कल्याण बोर्ड के बारे में विचार करेंगे। मान्यवर, जो विकलांग आयोग है उसके बारे में पूर्व में भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस पर सदाशयता का परिचय दिया था। हम निश्चित रूप से विचार करेंगे कि हम उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकें। जो व्यक्ति चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ है उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उनके मांग पत्र में 26 मांगें हैं उसमें प्रमुख मांग एक विकलांग कल्याण निदेशालय तथा विकलांग कल्याण बोर्ड के गठन की मांग है ताकि उनकी तकलीफों को उसके माध्यम से सुना जाय। वे इतने अशक्त लोग हैं कि उन्हें वास्तव में सहारा दिये जाने की आवश्यकता है। क्या उनकी इन मांगों पर सरकार पृथक निदेशालय व बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विकलांग बोर्ड का जहां तक प्रश्न है तो इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि दो व्यवस्थाएं पहले से ही लागू की जा चुकी हैं एक विकलांगजन आयुक्त की नियुक्ति तथा दूसरी विकलांगजन अनुश्रवण समिति का गठन किया जा चुका है। पृथक निदेशालय बनाने का औचित्य तभी सम्भव होगा जब जिला स्तर के समाज कल्याण से इसको ले लिया जाय। क्योंकि अभी सारा काम समाज कल्याण विभाग द्वारा ही किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें तीन प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी है लेकिन शायद ही इसका पालन नियुक्तियों को करने में होता हो। आज की तिथि में अनेक विभाग ऐसे हैं जहां पर विज्ञप्ति निकाली जाती है लेकिन इस कोटे को भरने का प्रयास नहीं किया जाता है। अभी हाल ही में पिथौरागढ़ में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति की प्रक्रिया चली थी उसमें विकलांग कोटे के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी थी। हो सकता है कि पूर्व में वहां विकलांग कोटे की नियुक्ति हुई हों। मान्यवर, जो विकलांग कोटे के रिक्त पद हैं उनमें विकलांगों की नियुक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? दूसरा बिन्दु यह है कि जो हमारे विकलांग खिलाड़ी हैं जो अनेक राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना चाहते हैं लेकिन उनको उचित संसाधन नहीं मिल पाते हैं जिस कारण से वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विशेष भर्ती अभियान गत वर्ष से जारी है। जहां तक खिलाड़ियों का प्रश्न है वर्तमान में एक योजना है उसमें उनको सहायता उपलब्ध करा दी जाती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के बिन्दु संख्या 07 में लिखा है कि "स्वरोजगार योजना में विकलांगजनों को अपना स्वयं का व्यवसाय करने हेतु रु० 20000/– का ऋण दिये जाने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत रु० 5000/– का अनुदान तथा रु० 15000/– ऋण की राशि केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर आसान किस्तों का प्राविधान है"। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक कुल कितने विकलांगों को इस योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार मिला है तथा इसमें अभी तक इस मद में कुल कितनी धनराशि दी गयी है तथा वर्ष 2006–07 का विवरण जिलेवार मांगना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में कुल कितने विकलांगों को पेंशन मिल रही है ? मान्यवर, अक्सर इसमें होता यह है कि यहां से सेंक्शन मिल जाती है, परन्तु प्रार्थना–पत्र जिलों में लटके रहते हैं, इनकी स्थिति क्या है ? मान्यवर, इनको पेंशन कब तक दे दी जायेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, गत वर्ष इसमें सात करोड़ रु० का प्राविधान किया गया था, जिसमें से 22 करोड़ 81 लाख विकलांगों को पेंशन दी जा रही है। मान्यवर, इस वर्ष इसमें 11 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया है, जिसमें 23962 लोगों को पेंशन दी जा चुकी है। मान्यवर, जिलेवार इसकी विस्तृत सूचना एकत्रित कर दी जायेगी।

02 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में झूलाघर के समीप शौचालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का प्रकरण

** 2–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री जी अवगत हैं कि दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में झूलाघर के समीप स्थित शौचालय के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है ?

यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मसूरी स्थित झूलाघर के पास सार्वजनिक शौचालय प्रश्नगत ध्वजारोहण स्थल से कुछ दूरी पर एक मंजिल नीचे स्थित है अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ध्वज के पोल के आधार से लगभग 15–20 फीट नीचे व लगभग 15–20 फीट दूर स्थित है। इस प्रकार ध्वजारोहण स्थल के ठीक सामने प्रश्नगत शौचालय स्थित नहीं है। अतः उक्त स्थल पर 02 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से ध्वज का अपमान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, सत्ता दल एवं इस सरकार द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान किया जा रहा है, जोकि बहुत ही चिंता की बात है। मान्यवर, पूरे राष्ट्र में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती मनायी जा रही थी और जगह–जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराये जा रहे थे तो उस वक्त मसूरी में यह घटना घटित हुई। मान्यवर, मसूरी में झूलाघर के समीप स्थित शौचालय के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इस सम्बन्ध में मेरी सदन से मांग है कि एक स्वतंत्र जांच ऐजेन्सी निर्धारित की जाय, जो इसकी स्वतंत्र जांच करे, जिससे कि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर पहले ही आ चुका है ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शौचालय ध्वजारोहण स्थल से कुछ दूरी पर एक मंजिल नीचे स्थित है अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ध्वज के पोल के आधार से लगभग 15–20 फीट दूर स्थित है। अतः मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से ध्वज का अपमान नहीं हुआ है। अतः इसमें जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तारांकित प्रश्न

पर्वतीय क्षेत्रों के दूर–दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा का अभाव

* 1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के दूर–दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा का अभाव है ?

यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर तथा मानकों को शिथिल करते हुए जनकल्याणार्थ आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

जी हां।

पर्वतीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती रही है जहां 5 किमी0 की परिधि में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थानों पर जिला योजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के दूर–दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा का अभाव है, अगर अभाव है तो इसके लिए 5 वर्ष में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के दूर–दराज गांवों के चिकित्सालयों में आज भी डाक्टर, फार्मासिस्ट व कर्मचारी वहां पर नियुक्त नहीं हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ? मान्यवर, दूसरा यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालयों में आपने कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी पर इसकी व्यवस्था होती आ रही है। 5 किलोमीटर की दूरी पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय हैं पर उसमें डाक्टर–कर्मचारी नहीं हैं, जबकि हमारे पास आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डाक्टर हैं। तो क्या उन जगहों पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं खोले जा सकते हैं, क्या उनके लिए 5 किलोमीटर की दूरी जो तय है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने कहा कि 5 किलोमीटर की परिधि का मानक है, फिर भी सरकार द्वारा गठन से पूर्व 386 थे और अब तक 524 की संख्या हो चुकी है। लगातार जिला योजनाओं और प्रस्तावों के माध्यम से माननीय विधायकगण प्रस्ताव रखते हैं और वह प्रस्ताव वहां भेजे जाते हैं, उसकी स्वीकृति वहां से दे दी जाती है। मान्यवर, 44 पद चिकित्सकों के आयुर्वेदिक में हैं, 193 पद हमने नये आयुर्वेदिक विंग के रूप में सृजित किये हैं उसको भी भरने की प्रक्रिया चल रही है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर नहीं दिया। मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सालय इसलिए कहा है कि जहां पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय है तो वहां पर 5 वर्ष में क्यों नहीं सुविधा कर पाये ? सरकार ने हॉस्पिटल के लिए क्या व्यवस्था की ? स्वास्थ्य मंत्री जी ने दूर–दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा का जवाब नहीं दिया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का सवाल है, ऐलोपैथिक अलग है। जब उसमें सवाल लगेगा तो जवाब देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि ऐसे स्थानों पर जिला योजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आयुर्वेदिक–होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जा रही है। तो जनपद पिथौरागढ़ में चमराड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेलडुमरी चिकित्सालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित होकर आया, लेकिन चिकित्सालयों की स्थापना नहीं हुई। मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह दोनों प्रस्ताव जिला योजना के माध्यम से लम्बित हैं, क्या इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप शायद अवगत होंगे कि जिला योजना का जो प्रस्ताव आता है वह स्वीकार किया जाता है, अगर प्रस्ताव आये होंगे तो किया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है। जो दूर–दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनमें जो आपने फार्मासिस्टों की नियुक्तियां की उसका अच्छा रिस्पोन्स मिला है। बहुत कम जगहों में उप केन्द्रों में नियुक्ति नहीं हो पायी। जो अतिरिक्त केन्द्र खोले गये हैं और जहां पर खाली हैं उन जगहों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति करेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह मामला ऐलोपैथी से संबंधित है इसका जवाब मुझे बाद में देना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसका प्रश्न एक है। उसमें पूछा गया है कि दूर–दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा है। यह प्रश्न तो तीनों से संबंधित है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने 'हां' में दिया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उप केन्द्रों का जहां तक सवाल है निश्चित रूप से इसका प्रस्ताव मांग रहे हैं और फार्मासिस्टों की तैनाती करेंगे।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

उत्तरांचल में गढ़वाल एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण व प्रबन्धन संस्थान

* 2—श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण व प्रबन्धन संस्थान स्थापित हैं, कितने संस्थान गढ़वाल एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और कितने अन्य विश्वविद्यालय एवं प्रान्तों से मान्यता प्राप्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 से 2006 तक कुल कितने गैर सरकारी तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थानों को मान्यता दी गयी है तथा उनके नाम एवं स्थान क्या हैं ?

क्या सरकार का इन संस्थानों में लिये जा रहे शिक्षण एवं अन्य शुल्कों पर नियंत्रण है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

वर्तमान में उत्तरांचल में 09 गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण व 17 प्रबन्धन संस्थान स्थापित हैं। उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना किये जाने के उपरान्त से सभी गैर सरकारी तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थान शैक्षिक सत्र 2006–07 से उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व गढ़वाल मण्डल में आने वाले संस्थान गढ़वाल विश्वविद्यालय से और कुमायूं मण्डल में आने वाले संस्थान कुमायूं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त थे। दो संस्थान उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित होने से पूर्व उ० प्र० तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त थे।

वर्ष 2002 से 2006 तक मान्यता प्राप्त गैर सरकारी तकनीकी एवं प्रबन्ध संस्थानों की संख्या क्रमशः 06 व 10 है तथा उनके नाम व स्थान निम्नवत् हैं :—

1. तकनीकी संस्थान :

Sl. No.	Name of Institute	Place
1.	बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐप० साइन्स	भीमताल (नैनीताल)
2.	देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	देहरादून
3.	रुड़की इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	रुड़की (हरिद्वार)
4.	उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	देहरादून
5.	हिमालियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	देहरादून
6.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइन्स	हल्द्वानी (नैनीताल)

2. प्रबन्धन संस्थान :

Sl. No.	Name of Institute	Place
1.	देहरादून इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	देहरादून
2.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	हल्द्वानी
3.	ग्राफिक इरा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	देहरादून
4.	इन्स्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेन्ट	देहरादून
5.	इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालॉजी	काशीपुर
6.	इन्स्टीट्यूट फोर मैनेजमेन्ट स्टडीज	रुड़की
7.	सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालॉजी	गदरपुर
8.	उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी	देहरादून
9.	कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की	रुड़की
10.	कुकरेजा इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नालॉजी	देहरादून

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जितने भी गैर सरकारी इन्स्टीट्यूट हैं उनमें भर्ती का प्राविधान क्या हैं, उसके क्या मानक रखे गये हैं, फीस का क्या रेशियो है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अधिनियम प्रस्तुत किया था। इसकी परीक्षा सी0बी0एस0सी0 द्वारा ली जाती है, इसमें मैरिट के आधार पर एडमिशन होता है। इसमें कमेटी बनी हुई है, उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष हैं। तकनीकी शिक्षा सचिव, पूर्व कुलपति गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तरांचल भी इसके सदस्य हैं। इसमें प्रवेश काउन्सलिंग में बहुत ही पारदर्शिता अपनाई जाती है। फीस निर्धारण के लिए भी इसमें एक कमेटी बनायी गयी है, जो फीस का निर्धारण करती है। मान्यवर, तो आधारभूत सुविधाओं के आधार पर यह कमेटी उनकी फीस का निर्धारण करती है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या इसके लिए कम्बाइंड टेस्ट होता है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सी0बी0एस0सी0 इसका टेस्ट कराती है पूरे हिन्दुस्तान में। उसके बाद जो बच्चा जिस राज्य में जाना चाहता है, वहां उसकी काउन्सलिंग होती है। काउन्सलिंग में पारदर्शिता बरती गयी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि इन संस्थानों में भारी–भरकम फीस ली जाती है और प्रवेश की जो व्यवस्था है, इसमें भी धांधली होती है ? सरकार इन दोनों बातों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपकी बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। जब काउन्सिलिंग होती है तो उसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें धांधली होती है। जहां तक भारी–भरकम फीस की बात है तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनायी गयी। हम खुद भी इसे देख रहे हैं कि इसमें गरीबों का शोषण न हो। ये संस्थान व्यावसायिक नहीं बल्कि शैक्षिक उद्देश्य को लेकर चलें।

टिहरी बांध जलाशय क्षेत्र में व्यावसायिक मोटर बोटिंग के संचालन के लिए विस्थापित बेरोजगार नौजवानों हेतु कार्य योजना

* 3–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध जलाशय में मोटर बोटिंग व्यवसाय के लिए टिहरी–उत्तरकाशी जनपद के विस्थापित बेरोजगार नौजवानों के लिए मोटर बोटिंग व अन्य व्यवसाय की सुविधा सुलभ करवाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

टिहरी बांध जलाशय क्षेत्र में व्यावसायिक बोट संचालन हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस व्यवसाय में स्थानीय बेरोजगार युवकों की भागीदारी के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जो यह कार्य योजना तैयार की जा रही है, उसका स्वरूप क्या होगा ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, टिहरी बांध जलाशय में व्यावसायिक बोट संचालन के संबंध में केरला शिपिंग कारपोरेशन की बोट्स का निरीक्षण गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया गया। केरला शिपिंग कारपोरेशन के चार अधिकारियों का दल टिहरी बांध झील का निरीक्षण भी कर चुका है। इस टीम में श्री के0 एन0 सतीश, प्रबन्ध निदेशक; श्री जॉय जैकब, आर्किटेक्ट; श्री रॉबिन के0 जॉन, फाइनेन्स मैनेजर और श्री के0के0 अब्दुल, कॉमर्शियल ऑफिसर शामिल थे। केरला शिपिंग कारपोरेशन से बांध झील में व्यावसायिक मोटर बोट संचालन हेतु विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है जो 2 माह के भीतर प्राप्त होने की सम्भावना है। इस रिपोर्ट के अनुरूप तथा वित्तीय संसाधनों आदि के अधीन व्यावसायिक बोट संचालन या स्थानीय बेरोजगार युवक–युवतियों के प्रशिक्षण

आदि के संबंध में विचार किया जायेगा। केरला शिपिंग के अधिकारियों का कहना है कि पहले वे खुद बोट को चलायेंगे और फिर स्थानीय लोगों को इसकी ट्रेनिंग देंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कितने बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा और यह कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उन्हें दो माह का समय दिया गया है। अब जितनी बोट होंगी, उतने ही लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि टिहरी का जो जलाशय बन रहा है, उसमें मोटर बोट का प्रावधान तो तब होगा जब जलाशय के चारों ओर रिंग रोड बन जायेगी। क्योंकि अभी हम लोग विदेश दौरे पर गये थे तो हमने वहां पर देखा कि जलाशयों से ही मिलाकर रोडें बनायी गयी हैं और उसी को हम अपने यहां के लिए भी वही स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे यहां पर भी ऐसा होना चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोकल लोग भी 1–1, 2–2 मोटर बोट अपनी डालना चाहते हैं, उनको भी आहूत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोकल लोगों की आय होगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पर आ जायें।

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न पर ही आधारित था।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, टिहरी डैम के लिए इस प्रकार की योजना बन चुकी है और 19 तारीख को इसका प्रजेन्टेशन भी कम्पनी करने जा रही है। लेक पर क्या–क्या एक्टिविटी होंगी और किस तरह से हमारी इस लेक को नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति मिले, उसका नक्शा भी बन चुका है और इसका जोनल प्लान भी बन चुका है। इसमें और क्या–क्या एक्टिविटी हो सकती है, उस पर भी विचार हो चुका है। कम्पनी ने स्थानीय लोगों से भी मिलकर बात की है और उसके माध्यम से प्लान तैयार हो चुका है जिसका प्रजेन्टेशन 19 तारीख को होना है। इसके अलावा इस लेक के लिए विस्तृत विचार हो रहा है और उसका डिटेल मास्टर प्लान बनाया जायेगा।

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, वहां के लोकल लोगों से आपने कहा कि बात की गयी लेकिन ऐसा नहीं है, वहां के लोगों से बात नहीं की गयी है। मेरा तो अनुरोध है कि जो डूब क्षेत्र से प्रभावित हैं, उनसे, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं या फिर ब्लाक प्रमुख हों और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे भी आपको वार्ता करनी चाहिए। मैं तो अनुरोध करूंगा कि 19 तारीख को ही उनकी बैठक आप उनके साथ करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में आप मंत्री जी से व्यक्तिगत वार्ता कर लें।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि टिहरी बांध का एक कंसल्टेन्सी जोरान कंपनी से मास्टर प्लान बनवाया गया और उसने टिहरी बांध का मास्टर प्लान बनाया भी था तो अब यह दूसरा मास्टर प्लान बनाये जाने की क्या जरूरत है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, टिहरी डैम का मास्टर प्लान पहले जोरान कंसल्टेन्सी से ही बनवाया गया था लेकिन उसने काम पूरा नहीं किया और बिना रिपोर्ट सबमिट किये ही वह चले गये तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और अब यह कार्य यू डैक के माध्यम से करवाया जा रहा है। यू डैक द्वारा यह कार्य मैट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट सॉल्यूशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है जो कि अपना पहला प्रजेन्टेशन 19 तारीख को देने वाली है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जोरान कम्पनी को 140 लाख रुपया मास्टर प्लान बनाने के लिए दिया गया था, और उसने मास्टर प्लान बनाया नहीं तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? इसके अतिरिक्त क्या यू डैक को मास्टर प्लान बनाने का अधिकार है, क्या मास्टर प्लान बनाने के लिए कोई नियमावली होती है जिसके अनुसार यह कम्पनियां मास्टर प्लान बनाती हैं ? क्या शासन ने कोई ऐसी नियमावली बनायी है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जो मास्टर प्लान बनाने की टर्म एण्ड कंडीशन होती हैं, वह वही रखी गयी थीं। यू डैक को यह भी अधिकार होता है कि वह किसी के द्वारा मास्टर प्लान बनवाये और टर्म एंड रिफरेंस तो पुराने ही हैं, उन्हीं के अनुसार मास्टर प्लान बनते हैं।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरकार ने परियोजना को एडमिट कर दिया है ? क्या भागीरथी विकास प्राधिकरण को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा ?

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें भागीरथी प्राधिकरण की क्या हिस्सेदारी रहेगी ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न दोबारा पूछिए।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मास्टर प्लान के बारे में भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके निर्देश दिये हैं कि पर्यावरण की सात शर्तों में सातवीं शर्त भागीरथी प्राधिकरण की है। उन्होंने कहा है कि इस डैम को देखने का काम भागीरथी प्राधिकरण भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के ऐसे स्टैण्डिग ऑर्डर हैं। आज पर्यटन विभाग इसका मास्टर प्लान बना रहा है क्या इसके लिए उत्तरांचल सरकार ने उनको अधिकृत किया है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हम कोऑर्डिनेटर प्लान बना रहे हैं। आपने बताया कि उनके पास एक्ट है, तो 19 तारीख की बैठक में उनसे कहा गया है कि एक्ट भी लेकर आयें। उसमें जो संशोधन करना होगा, उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, क्या आपके पास इसका एक्ट है ?

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, यह विषय थोड़ा हटकर है। मान्यवर, जो टिहरी जलाशय बना हुआ है, उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि टिहरी बांध के जनक श्री देव सुमन जी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बांध का नाम उनके नाम पर रखने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। पहले इसे बनने तो दीजिए।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, क्या बनने के बाद इस पर विचार करेंगे ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, विचार करेंगे या नहीं यह तो बाद की बात है, पहले प्लान तो बन जाय।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टिहरी बांध से जो विस्थापित हैं, उनके भाई–बहनों को रोजगार देने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया है ? आपने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के विषय पर यथासमय निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके लिए क्या प्रस्ताव बनाया है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम डेस्टीनेशन प्लान करना है। इसके फॉल आऊट के बाद ही इम्प्लॉयमेंट जेनरेट होता है। डेस्टीनेशन प्लान से जो इम्प्लॉयमेंट जेनरेट होगी, उसमें इनको कन्सीडर किया जा सकता है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, रिवर राफ्टिंग में बाहर के लोगों को फायदा मिला है, स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। अब टिहरी जलाशय में भी बाहर के लोगों को लाया जायेगा तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा ? क्या आप टिहरी बांध के विस्थापितों को वहां पर रोजगार देने के लिए प्राथमिकता देंगे ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, आप लोकल कम्पनी पैदा कर दीजिए, जो इस तरह का काम कर सके। हम उसी के माध्यम से यह काम करायेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, क्या इनको रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इसका उत्तर आ चुका है ?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बाहर की कम्पनियों के बजाय स्थानीय बेरोजगारों को वहां काम देने का प्रस्ताव सरकार द्वारा बनाया जाय।

सुशीला तिवारी, मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल तथा श्री गुरू रामराय मेडिकल कॉलेज, देहरादून को एन0आर0आई0 छात्रों को प्रवेश की स्वीकृति

* 4–श्री अजय भट्ट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन ट्रस्ट द्वारा संचालित सुशीला तिवारी, मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को एन0आर0आई0 छात्र–छात्राओं को प्रवेश हेतु स्वीकृति दे दी गयी है ?

क्या यह सत्य है कि श्री गुरू रामराय, मेडिकल कॉलेज ने भी एन0आर0आई0 को प्रवेश देने की अनुमति हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था ?

यदि हां, तो श्री गुरू रामराय, मेडिकल कॉलेज, देहरादून को एन0आर0आई0 छात्रों को प्रवेश देने हेतु स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त मेडिकल कॉलेज को एन0आर0आई0 कोटा दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हां।

जी हां।

श्री गुरू रामराय, मेडिकल कॉलेज, देहरादून को एन0आर0आई0 छात्रों को प्रवेश देने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 1338/XXVIII(1)–2006–88/2002, दिनांक 21 जुलाई, 2006 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज मान्यता देने की बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर ली है। मान्यवर, मैं स्वयं श्री गुरू रामराय, मेडिकल कॉलेज गया था तो उन्होंने बताया कि प्रदेश की सारी संस्थाओं को एन0आर0आई0 कोटा दे दिया गया है, सिर्फ हमारे संस्थान को नहीं दिया जा रहा है, यह विद्वेषपूर्ण है इसलिए यह प्रश्न रखने की यहां पर आवश्यकता पड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी को एन0आर0आई0 छात्र–छात्राओं को प्रवेश की स्वीकृति के कितने दिनों बाद श्री गुरू रामराय, मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी गयी ? दोनों को एक साथ स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी, उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब क्यों किया गया और विलम्ब का क्या कारण था ? मान्यवर, जब सूचना के अधिकार के तहत हमने पूछा और कई अन्य कार्यवाही की तब यह स्वीकृति दी गयी। मान्यवर, प्रतिष्ठित संस्थान के लिए यह दोहरे मापदण्ड क्यों अपनाये गये ? मान्यवर, एक संस्थान के लिए अलग मापदण्ड और दूसरे संस्थान के लिए अलग मापदण्ड। जब कि दोनों संस्थानों ने एक ही समय में एप्लिकेशन दी थी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे ही उन्होंने एन0आर0आई0 कोटे की सुविधा की मांग की हमने 21 जुलाई, 2006 के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी। मुझे प्रतीत होता है कि उन्होंने आपको पूरी सूचना नहीं दी, उन्होंने आपको अधूरी सूचना दी। जब उनका कोटा नहीं भर पाया तो उन्होंने यू0पी0एम0टी0 के माध्यम से भरे जाने की अनुमति मांगी और हमने अनुमति दे दी।

श्री अजय भट्ट–

एन0आर0आई0 का कोटा नहीं भर पाया या भर गया, यह एक अलग बात है। किन्तु आपने दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने तो 21 जुलाई को दे दी थी। उन्होंने लास्ट में सितम्बर में यू0पी0एम0टी0 से कोटा भरने की अनुमति मांगी और हमने 15 दिन के अंदर अनुमति दे दी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक साथ क्यों नहीं दी गई। आपके पास उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

* 5–श्री बलवीर सिंह नेगी–

(द्वितीय सोमवार के तारांकित प्र०सं०–07 में स्थानान्तरित)

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार

* 6–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो बेरोजगारी भत्ता की अधिकतम और न्यूनतम राशि क्या होगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी के विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाएं

1–श्रीमती विजय बडथ्वाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी में किन–किन मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित हो रही हैं ?

क्या सरकार जनपद के सभी मार्गों पर निगम की बसें संचालित करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जनपद पौड़ी के निम्नलिखित मार्गों पर उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं :–

कोटद्वार–दुगड्डा–हरिद्वार,
कोटद्वार–पौड़ी–दिल्ली–श्रीनगर,
कोटद्वार–मांडलू–नजीबाबाद,
कोटद्वार–कालागढ़,
कोटद्वार–लैन्सडाउन–कोटद्वार,
कोटद्वार–रिखणीखाल,

नोट–तारांकित प्रश्न सं०–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

कोटद्वार–दुगड्डा–जयेली, कोटद्वार–बीरोखाल–दिल्ली,

कोटद्वार–मटवाड़ी–दिल्ली, कोटद्वार–पोखरीखाल,

कोटद्वार–नजीबाबाद–दिल्ली, कोटद्वार–नजीबाबाद–देहरादून,

कोटद्वार–फरीदाबाद, कोटद्वार–चण्डीगढ़,

कोटद्वार–अमृतसर, कोटद्वार–जयपुर,

देहरादून–बीरोखाल, देहरादून–त्रिपालीसैण,

देहरादून–पौड़ी देहरादून–मसूरी–श्रीनगर

हरिद्वार–श्रीनगर–गोपेश्वर ऋषिकेश–चण्डीगढ़–श्रीनगर

ऋषिकेश–दिल्ली–श्रीनगर ऋषिकेश–दिल्ली–श्रीनगर–गुप्तकाशी

ऋषिकेश–दिल्ली–श्रीनगर–गोपेश्वर

जी नहीं।

सीमित संसाधनों आदि के कारण।

जनपद पौड़ी की नयार, हिवंल, खासन नदियों पर पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु मत्स्य आखेट स्थानों का चयन

2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की नयार, हिवंल, खासन नदियों पर वर्ष भर पानी (जल प्रवाह) रहता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नदियों पर पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों के लिए मत्स्य आखेट हेतु स्थान चयन किये जाने हेतु कोई योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हां।

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य आखेट के स्थानों के चयन की कार्यवाही वर्तमान में नहीं की जा रही है।

जनपद पौड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एलोपैथिक का उच्चीकरण तथा भृगुखाल, जसपुर तथा लक्ष्मणझूला में स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तारीकरण

3—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों का उच्चीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो क्या भृगुखाल, जसपुर, मरपूर एवं लक्ष्मणझूला स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तारीकरण करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हां। राज्य में ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चरणबद्ध रूप से उच्चीकरण किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला—नीलकंठ मार्ग के ग्राम पटना स्थित प्राकृतिक झरने का सौन्दर्यीकरण

4—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला—नीलकंठ मार्ग पर ग्राम पटना के निकट एक प्राकृतिक झरना है, जहां काफी संख्या में देशी—विदेशी पर्यटक आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त झरने के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला—नीलकंठ मार्ग पर ग्राम पटना के निकट एक प्राकृतिक झरने के भ्रमण हेतु पर्यटकों के आवागमन के सम्बन्ध में विभाग के पास पुष्ट आंकड़े व तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। इस झरने की पर्यटन विकास हेतु परियोजना या प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने की दशा में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, नयी योजनाओं के चयन हेतु विद्यमान दिशा निर्देशों एवं विभिन्न परियोजनाओं/पर्यटक स्थलों के प्राथमिकताओं के आधार पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों से डिग्री प्राप्त स्नातकों को रोजगार हेतु प्लेसमेन्ट सेन्टर की स्थापना

5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल कितनी सीटें हैं ?

क्या सरकार उक्त कॉलेजों से डिग्री प्राप्त स्नातकों के रोजगार हेतु प्लेसमेन्ट सेन्टर की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कहां ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजों यथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पन्तनगर, गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी) एवं कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में क्रमशः 375, 320 एवं 180 सीटें निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल में भी इंजीनियरिंग के एक पाठ्यक्रम में 25 सीटें निर्धारित हैं। जी०बी० पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी) एवं कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट में एम०सी०ए० की भी क्रमशः 60 एवं 40 सीटें निर्धारित हैं।

जी हां।

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र स्थित झिनियां गुफा का सौन्दर्यीकरण

6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र में ग्राम उडी सिरतोली में झिनियां गुफा पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केन्द्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान के सौन्दर्यीकरण हेतु धन स्वीकृत करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र में ग्राम उड़ी सिरतोली में झिनियां गुफा के पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण के सम्बन्ध में विभाग के पास पुष्ट तथ्य या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस गुफा के पर्यटन विकास हेतु परियोजना या प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने की दशा में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, नयी योजनाओं के चयन हेतु विद्यमान दिशा निर्देशों एवं विभिन्न परियोजनाओं/पर्यटक स्थलों के प्राथमिकताओं के आधार पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में निवास कर रहे मूक बधिर लोगों को "मूक बधिर चिकित्सा प्रमाण–पत्र" बनवाये जाने की सुविधा

7–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मूक बधिर लोगों के मूक बधिर चिकित्सा प्रमाण–पत्र बनवाने की सुविधा जिला चिकित्सालय अथवा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गयी है ?

यदि हां, तो किन–किन दिवसों तथा केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी हां। जनपद उत्तरकाशी के मुख्यालय में प्रत्येक बुधवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में विकलांग प्रमाण–पत्र (मूक बधिर सहित) जांचोपरान्त जारी किये जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नाक–कान, गला विशेषज्ञ कार्यरत न होने के कारण यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिला चिकित्सालय से विशेषज्ञों की उपलब्धता के अनुसार अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तिथि निर्धारित करके शिविर लगाकर भी विकलांग प्रमाण–पत्र बनाये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के धरासू तथा नालूपानी स्थान पर विश्वनाथ बस सेवा के दुर्घटना के सम्बन्ध में

8–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के धरासू व नालूपानी नामक स्थानों पर दो बार हरिद्वार–उत्तरकाशी–गंगोत्री विश्वनाथ बस सेवा दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है जिसमें क्रमशः 6 व 22 लोग असमय मौत के शिकार हुए हैं ?

क्या सरकार विश्वनाथ सेवा के समय, बस प्रवर्तन, सर्विसिंग, चालकों/परिचालकों को एक फेरे के पश्चात् एक दिन के आराम/ब्रेक दिये जाने की व्यवस्था कड़ाई से करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जनपद उत्तरकाशी के धरासू व नालूपानी स्थान पर दो बार टी0जी0एम0ओ0यू0सी0 द्वारा संचालित बस दुर्घटनाओं में क्रमशः 6 एवं 23 लोगों की मृत्यु हुई है।

प्रत्येक दिन चालक/परिचालक को 08 घण्टे ड्यूटी करने तथा सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिये जाने का प्राविधान है। चालकों से 08 घण्टे से अधिक ड्यूटी न लेने के संबंध में वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा

9—श्री नारायण राम आर्य—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 08—04—06 को धारचूला, पिथौरागढ़ में जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गयी थी ?

यदि हां, तो उक्त कॉलेज कब तक खुल जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हां।

इस सम्बन्ध में राज्य की वित्तीय एवं भौगोलिक स्थिति तथा आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है। तत्पश्चात् ही अगली कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में मूक—बधिर विकलांग प्रमाण—पत्र शिविर का आयोजन

10—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मूक बधिरों की जांच हेतु मूक बधिर विकलांग प्रमाण—पत्र शिविर आयोजन हेतु विधायक कोष्ठक पत्रांक 3919/विधायक/शि0/05—06, दिनांक 17—04—2006 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हां। जनपद उत्तरकाशी के दूरदराज के विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें आने वाले विकलांग व्यक्तियों को जांचोपरान्त विकलांग प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। जिन स्थानों में शिविर लगाये गये, वहां पर जांचोपरान्त विकलांगों को प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। जिनकी सूचना निम्न है :—

दिनांक 02—05—06 को आराकोट विकास खण्ड मोरी में 17 विकलांग प्रमाण—पत्र।

दिनांक 02—06—06 को बनचौरा विकास खण्ड चिन्यालीसौड में 17 विकलांग प्रमाण—पत्र।

दिनांक 04-07-06 को चौन्तरी विकास खण्ड डुण्डा में 25 विकलांग प्रमाण-पत्र।

दिनांक 28-07-06 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव में 8 विकलांग प्रमाण-पत्र।

दिनांक 29-07-06 को प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोरी में 9 विकलांग प्रमाण-पत्र।

दिनांक 02-08-06 को खरादी विकास खण्ड नौगांव में 22 विकलांग प्रमाण-पत्र।

दिनांक 08-09-06 को हर्षिल विकास खण्ड भटवाड़ी में 6 विकलांग प्रमाण-पत्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत घोषित पर्यटन गांव तथा उनको प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

11-श्रीमती आशा देवी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में कुल कितने गांवों को पर्यटन गांव घोषित किया गया है ?

इन गांवों में सरकार क्या-क्या योजनाएं लागू कर रही है ? पर्यटन की दृष्टि से उक्त गांवों में पर्यटकों के लिए क्या-क्या सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गयी हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत-

वर्तमान में जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में ग्राम सारी, देवरियाताल को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु योजना स्वीकृत की गयी है।

पर्यटन ग्राम सारी, देवरियाताल के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तावित हैं :-

1. देवरियाताल का सौन्दर्यीकरण,
2. छोटे इंजीनियरिंग कार्य,
3. फ्लावर गार्डन का निर्माण,
4. देवरियाताल-13 किमी0 सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य,
5. सोलर लाइटिंग उपकरण 18 नं0 की व्यवस्था का क्रय,
6. गारबेज बिन्स 20 नं0 का क्रय स्थलीकरण,
7. 10 गारबेज डिस्पोजल के लिए पीट्स का निर्माण,
8. 04 शेड हट्स का निर्माण,
9. पेयजल व्यवस्था के लिए पाईप बिछाने सम्बन्धी कार्य,
10. 10 टॉयलेट का निर्माण,

11. स्थानीय मंदिरों का नवीनीकरण,
12. स्वागत केन्द्र का निर्माण,
13. इन्टरप्रेटेशन सेंटर का निर्माण,
14. 04 कैम्पिंग स्थलों का विकास,
15. 10 आवासीय व्यवस्थाओं का नवीनीकरण एवं रख-रखाव,
16. 50 किमी0 ट्रैक मार्ग का विकास कार्य, देवरियाताल के लिए इको-टूरिज्म उपकरणों का क्रय,
17. कम्प्यूटर एसेसिरीज,
18. ए0वी0 उपकरण एवं ओ0एच0 प्रोजेक्टर्स,
19. टैंट्स एवं साहसिक पर्यटन विकास,
20. डिजिटल कैमरा एवं विडियो कैमरा आदि

उपरोक्त कार्यों/योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि अन्तर्गत दुर्गाधार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना पर विचार

12-श्रीमती आशा देवी-

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत दुर्गाधार में 03 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्र (ग्राम बोरा, बावई, चामक तथा गोरणा) के ग्रामीणों की चिकित्सा सुविधा हेतु एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गाधार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-बोरा, बावई, चामक तथा गोरणा की कुल जनसंख्या 3520 है जो कि भारत सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मानक 20 हजार से कम है। जिस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य में पर्यटन ग्रामों की विकास योजना का विवरण

13–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पर्यटन ग्रामों के विकास की योजना की प्रगति क्या है तथा जनपदवार पर्यटन ग्रामों का विवरण क्या है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पर्यटन ग्रामों के विकास का स्वरूप क्या है एवं इस परियोजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में राज्य में भारत सरकार की ग्रामीण योजना संचालित है। वर्तमान में केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से निम्न ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन योजनायें स्वीकृत की गयी हैं :–

1. ग्राम जागेश्वर (जनपद–अल्मोड़ा),
2. ग्राम कसारदेवी (जनपद–अल्मोड़ा),
3. ग्राम कोटी, इन्द्रौली एवं परबूड (जौनसार भावर क्षेत्र),
4. ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत हब ग्राम मोटाड़ (जनपद–उत्तरकाशी) का विकास,
5. ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत हब ग्राम अगोड़ा (डोडीताल) जनपद–उत्तरकाशी का विकास,
6. ग्राम सारी देवरियाताल (जनपद–रुद्रप्रयाग),
7. ग्राम चैकुनीबोरा, जनपद–चम्पावत।

भारत सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना में इन ग्रामों में मुख्य रूप से क्षमता विकास, छोटी अवस्थापना सुविधाओं का विकास, उपकरण क्रय आदि कार्य सम्मिलित किये गये हैं। पर्यटन ग्राम जागेश्वर तथा पर्यटन ग्राम कसारदेवी का कार्य पूर्ण हो चुका है। पर्यटन ग्राम चैकुनीबोरा, जनपद–चम्पावत के सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्णय की अपेक्षा है, तदोपरांत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सारी देवरियाताल एवं अगोड़ा (डोडीताल) में निर्माण कार्य प्रगति पर है। अन्य समस्त पर्यटन ग्रामों में कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ / सर्जन की तैनाती

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ / सर्जन की तैनाती कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीवी मेले को अन्य मेला पर्यटक स्थलों की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर विचार

15–श्री गगन सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीवी ऐतिहासिक मेले को गौचर व अन्य मेला स्थलों व पर्यटक स्थलों की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

सांस्कृतिक पर्यटन के महत्व के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न मेले/त्योहारों के आयोजन हेतु वित्तीय सहयोग दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जौलजीवी मेले के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में रु० 30,000/– का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के अन्तार्गत रिंगू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार

16–श्री गगन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत रिंगू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में रिंगू ग्राम के निवासी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, उच्छेती से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं, जो कि प्रश्नगत स्थान से मात्र 02 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत पर्यटक स्थल कोकिला कनार, छिपला केदार तथा छोटा कैलाश को विकसित किये जाने पर विचार

17–श्री गगन सिंह –

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कोकिला कनार, छिपला केदार, छोटा कैलाश को विकसित करने हेतु कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कोकिला कनार, छिपला केदार, छोटा कैलाश को विकसित करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :–

1. नौला मंदिर से छिपला केदार तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण।
2. कनार तक सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण।
3. आदि कैलाश यात्रा मार्ग में आवासीय सुविधा का विस्तार एवं पार्वती सरोवर क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना

18–श्री प्रकाश पन्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना कर दी गयी है ?

यदि हां, तो कहां–कहां।

क्या सरकार के संज्ञान में है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री बद्री दत्त पाण्डे तथा स्व0 श्री हरगोविन्द पन्त के नाम से जिला चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालय की स्थापना अविभाजित उत्तर प्रदेश में की गयी थी ?

यदि हां, तो क्या दोनों चिकित्सालयों को यथावत् बनाये रखने पर विचार करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हां।

जिला पुरुष चिकित्सालय (बी0डी0पाण्डे, चिकित्सालय) तथा जिला महिला चिकित्सालय (हरगोविन्द पन्त चिकित्सालय) पिथौरागढ़ का संविलियन करके बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ की स्थापना की गयी है।

जी हां।

जी नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ के जनप्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त जिला पुरुष चिकित्सालय (बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय) तथा जिला महिला चिकित्सालय (हरगोविन्द पन्त चिकित्सालय) पिथौरागढ़ का संविलियन करके बेस चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है।

राज्य के जिला सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की जनपदवार संख्या

19–श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं श्री हरबंस कपूर–

क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के जिला सेवायोजन कार्यालयों में 15–08–2006 तक पंजीकृत बेरोजगारों की जनपदवार संख्या क्या है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल राज्य के सेवायोजन कार्यालयों में 15–08–2006 तक कुल पंजीकृत बेरोजगारों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	पंजीकृत बेरोजगार
अल्मोड़ा	44567
नैनीताल	41694
पिथौरागढ़	29241
ऊधमसिंह नगर	35658
चम्पावत	11156
देहरादून	86863
टिहरी	38233
उत्तरकाशी	19411
हरिद्वार	41800
पौड़ी	44648
चमोली	21307
रुद्रप्रयाग	18719
बागेश्वर	12918
योग	446217

जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र नौगांव–गोडर व खाटल पट्टियों हेतु अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

20–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड

नौगांव के अति पिछड़े व दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र नौगांव–गोडर तथा खाटल पट्टियों हेतु चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधा की भारी अनुपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत गोडर तथा खाटल पट्टी में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित जनसंख्या मानक 20 हजार से कम है, जबकि गोडर तथा खाटल पट्टी के मध्य स्थित ओडगांव में उपकेन्द्र स्थापित है। अतः जनसंख्या मानक पूर्ण न होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य में बस दुर्घटना रोकने के उपाय एवं बस दुर्घटनाओं का विवरण

21—श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में निरन्तर बढ़ रही बस दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2002 से अब तक कुल कितनी बस दुर्घटनाएं हुई और उनमें कुल कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई तथा कुल कितने लोग घायल हुए हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है :–

- ओवरस्पीडिंग एवं नशे की हालत में वाहन संचालन नियन्त्रण हेतु 03 इण्टरसेप्टर परिवहन विभाग तथा 02 इण्टरसेप्टर पुलिस विभाग को आवंटित किये गये हैं।
- प्रदेश की सीमाओं पर स्थित चैक पोस्टों को ब्रीथ एनालाईजर उपलब्ध कराये गये हैं।
- गति मापन हेतु स्पीड रडारगन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति दी गयी है।
- जनपद स्तर पर प्रवर्तन हेतु परिवहन विभाग/पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- उप जिलाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।
- पर्वतीय मार्गों पर रात्रि में वाहनों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

- प्रवर्तन दलों/चैक पोस्टों को 16 एल्कोमीटर उपलब्ध कराये गये हैं।
- वाहन स्वामियों/चालकों एवं आम जनता के लिए सड़क सुरक्षा नियम सम्बन्धी पुस्तिका का प्रकाशन एवं वितरण कराया गया है।
- चारधाम यात्रा पर जाने वाली व्यवसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व उस वाहन के चालक को रिफ्रेशर कोर्स प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।
- विभाग में प्रवर्तन दलों एवं चैकपोस्टों के बीच संचार हेतु मोबाईल फोन उपलब्ध कराये गये हैं।
- परिवहन आयुक्त कार्यालय में 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है।
- दुर्घटना करने वाले चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व रिफ्रेशर कोर्स की अनिवार्यता आदि की व्यवस्था की गयी है।

वर्ष 2002 से सितम्बर, 2006 तक कुल 317 बस दुर्घटनाएं हुई जिनमें 691 लोगों की मृत्यु हुई तथा 1660 लोग घायल हुए।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील के अन्तर्गत रामपुर क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना

22—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर के अध्यक्ष—क्षेत्रीय विकास संगठन द्वारा दिनांक 22—06—06/पत्रांक मेमो/आन्दोलन—2006—07 को रामपुर क्षेत्र में एक ऐलोपैथिक चिकित्सालय स्थापना की मांग की गयी है ?

यदि हां, तो विभागीय कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हां।

वर्तमान में राजकीय एलोपैथिक औषधालय की स्थापना नहीं की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु चौखुटिया तहसील के अन्तर्गत ग्राम रामपुर जनसंख्या मानक को पूर्ण नहीं करता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के वि0 स0 क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत भटकोट, विमान्द्रेश्वर महादेव, अग्नेरी मन्दिर आदि पौराणिक स्थलों के विकास हेतु राज्य योजना में शामिल किये जाने पर विचार

23—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में भटकोट, विमान्डेश्वर महादेव, अग्नेरी मन्दिर आदि पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित कर विकास हेतु राज्य योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

विमान्डेश्वर महादेव के पर्यटन विकास हेतु परियोजना शासन के विचाराधीन है। भटकोट, अग्नेरी मन्दिर आदि स्थलों के पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु शासन में परियोजना प्राप्त होने पर नई योजनाओं हेतु विद्यमान दिशा–निर्देशों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न पर्यटक स्थलों/परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के आधार पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील चौखुटिया के अन्तर्गत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने पर विचार

24–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील चौखुटिया जनपद का सीमान्त क्षेत्र है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बालिकाओं हेतु महिला पॉलिटेक्निक खोले जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हां।

तहसील चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा का सीमान्त क्षेत्र है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद अल्मोड़ा में पूर्व से ही चार राजकीय पॉलिटेक्निक–राजकीय पॉलिटेक्निक, द्वाराहाट, सल्ट, राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक, ताकुला एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अल्मोड़ा स्थापित हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जिले में एक अन्य पॉलिटेक्निक स्थापित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत स्वीकृत ए0एन0एम0 सेन्टर दुघोली–ग्वाड़–छतैणा– बडेत–मटेला–पैठानी–गुमोड़ी के भवन निर्माण के सम्बन्ध में

25–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत ए0एन0एम0 सेन्टर दुघोली–ग्वाड़–छतैणा– बडेत–मटेला–पैठानी–गुमोड़ी के पास आज तक भवन उपलब्ध नहीं हैं ?

यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में ए0एन0एम0 सेन्टर हेतु भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी हां।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत स्वीकृत ए0एन0एम0 सेन्टर दुघोली का भवन निर्माणाधीन है। ग्वाड़ व पैठानी के भवन निर्माण इस वर्ष विचाराधीन हैं। छतैणा, बडेत, मटेला एवं गुमोड़ी में ए0 एन0 एम0 सेन्टर का भवन निर्माण भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होने पर कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को उपलब्ध रोजगार की स्थिति

26–श्री हरबंस कपूर–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1–4–2002 से सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत कुल कितने बेरोजगारों को अभी तक कितने सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों में परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है तथा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल राज्य के सेवायोजन कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1–4–2002 से अगस्त, 2006 तक कुल 1,27,935 बेरोजगार अभ्यर्थियों का नाम विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार हेतु सम्प्रेषित किया गया। उपरोक्त सम्प्रेषण के सापेक्ष कुल 15,272 पंजीकृत बेरोजगार विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों में सेवायोजित हुए हैं।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी राज0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा भीमताल में विशिष्ट आई0टी0आई0 संस्थानों में कक्षाओं का आरम्भ

27–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी राज0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) तथा भीमताल में विशिष्ट आई0टी0आई0 स्वीकृत हो चुके हैं ?

यदि हां, तो इन संस्थाओं में अभी तक कक्षाएं प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

कक्षाएं शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हां।

दोनों संस्थानों के लिए भवन की व्यवस्था न हो पाने के कारण कक्षाएं अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी हैं।

कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने हेतु भवन की तलाश की जा रही है।

जनपद नैनीताल के स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित मामले

28–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या 362/XXVII(4)/2005, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के क्रम में सेवा नैवृत्तिक लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति को भी सम्मिलित किया गया है ?

यदि हां, तो जनपद नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कितने मामले लम्बित हैं तथा

उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हां।

जनपद नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तीन मामले लम्बित हैं।

शीघ्र समुचित भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

29–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

द्वितीय शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0–23 में स्था0

राज्य के पैरामेडिकल कालेजों से बी0एम0एल0टी0 डिग्रीधारक तथा प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को सरकारी सेवा हेतु सेवा नियमावली

30–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पैरामेडिकल कालेजों से बी0एम0एल0टी0 डिग्रीधारक तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को सरकारी सेवा में लिये जाने के लिए क्या कोई सेवा नियमावली बनाई गयी है अब तक ?

यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पैरामेडिकल बी०एम०एल०टी० डिग्रीधारकों के पंजीकरण हेतु केन्द्र स्तर पर कोई मेडिकल काउन्सिल गठित नहीं होने के कारण ऐसे डिग्रीधारकों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि

31–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट व पुरोला में सत्र 2006–07 में विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि क्या थी ?

अन्तिम तिथि तक बड़कोट व पुरोला में कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेड में प्रवेश दिया गया ?

क्या सरकार बतायेगी कि दोनों संस्थानों में अन्तिम तिथि के बाद कोई प्रवेश दिया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जनपद उत्तरकाशी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट व पुरोला में सत्र 2006–07 हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि 26–8–2006 थी।

अन्तिम तिथि तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट तथा पुरोला में विभिन्न ट्रेड में क्रमशः 107 तथा 56 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरांचल परिवहन निगम की बसों के किराये में कमी

32–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरांचल परिवहन निगम की बसों में किराये में कमी करने का कोई निर्णय लिया गया है ?

यदि हां, तो उक्त निर्णय कब से लागू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव के अन्तर्गत ओडगांव में स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना

33–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत अति दूरस्थ क्षेत्र नौगांव गोडर पट्टी के केन्द्रीय स्थल ओडगांव में स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना की जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत ओडगांव में स्वास्थ्य उप केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के तीर्थ स्थलों के विकास हेतु कार्य योजना

34–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ?

यदि हां, तो कार्य योजना का स्वरूप क्या है तथा कार्य योजना में किन–किन तीर्थ स्थलों को सम्मिलित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सुप्रसिद्ध चारधाम श्री यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ एवं बद्रीनाथ तथा इन धामों के मार्गों में पड़ने वाले छोटे–बड़े कस्बों आदि के अवस्थापना विकास हेतु महायोजना तैयार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत जगदेई टॉप, दनांऊ, सेम नागराजा आदि पर्यटक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना

35–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के जगदेई टॉप, काण्डक, रूपनौलसौड़ डांडा, दनांऊ, सेम नागराजा आदि पर्यटक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिये कार्य योजना बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के जगदेई टॉप, काण्डक, रूपनौलसौड़ डांडा, दनांऊ, सेम नागराजा आदि पर्यटक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिये पृथक से कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है, तथापि इन स्थलों के पर्यटन महत्व को दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2003–04 की जिला योजना के अन्तर्गत जगदेई मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 3.50 लाख की धनराशि तथा इन्द्राटिपरी से जगदेई मंदिर तक ट्रैक मार्ग निर्माण हेतु रु0 3.85 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में रेणुका से जगदेई मंदिर तक ट्रैक मार्ग निर्माण हेतु रु0 5.52 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। खाण्ड से सेममुखेम पर्यटक स्थल तक ट्रैक मार्ग के निर्माण व सौन्दर्यीकरण हेतु वन विभाग उत्तरकाशी को रु0 18.77 लाख की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट के भवन निर्माण की प्रगति

36–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट के लिए कितने यूनिट भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है और अब तक कितने यूनिट भवनों का निर्माण किया गया था ? अवशेष यूनिटों का निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ?

क्या यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट (गढ़वाल) के आवासीय एवं अनावासीय भवनों एवं चहार दिवारी निर्मित न किये जाने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हां, तो कब तक उक्त भवनों की मरम्मत तथा चहार दिवारी निर्मित कर दी जायेगी ?

श्री तिलकराज बेहड़–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य भवन एवं चिकित्सा अधिकारी के दो आवासों,

टाईप–2 के छः नग आवासों तथा टाईप–1 के छः नग आवासों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व से यहां पर चिकित्सा अधिकारी के 2 आवास, टाईप–2 के 2 एवं टाईप–1 के दो आवास निर्मित हैं। भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण के साथ ही भवनों की मरम्मत एवं चहार दिवारी निर्मित करा दी जायेगी।

जनपद पौड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट अन्तर्गत राज0 एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण

37–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण विगत कई वर्षों से अपूर्ण है ?

यदि हां, तो इन भवनों का निर्माण पूर्ण न होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा अवशेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी हां।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द कोट के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने के कारण इसकी जांच कराई जा रही है, जिसकी जांच आख्या प्रतीक्षित है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी निर्धारित कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

जनपद देहरादून के दून चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्टों की कमी

38–श्री हरबंस कपूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून के दून चिकित्सालय में ह्रदय रोग के प्रतिदिन औसत कितने मरीज उपचार हेतु आते हैं ?

वर्तमान में दून चिकित्सालय में कितने कार्डियोलॉजिस्ट तैनात हैं तथा अभी कितने कार्डियोलाजिस्टों की आवश्यकता है ?

क्या मंत्री जी कार्डियोलॉजिस्टों की कमी को पूरा करने की कार्यवाही करेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड–

जी हां। वर्तमान में देहरादून चिकित्सालय में 50–60 हृदय रोग से पीड़ित रोगी प्रतिदिन उपचार हेतु आते हैं।

दून चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट के दो पद स्वीकृत हैं तथा एक कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत है।

कार्डियोलॉजिस्ट व अन्य विशेषज्ञों के पदों को भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के हैड़ाखान में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण

39–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत हैड़ाखान में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत बच्चों का परीक्षण एवं विटामिन–ए की कमी को परिपूर्ण किया जाना

40–श्री हरबंस कपूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत कुल कितने स्कूलों में कितने बच्चों का परीक्षण किया गया तथा उक्त परीक्षण के दौरान कितने बच्चों में विटामिन–ए की कमी पायी गयी है ?

क्या सरकार बच्चों में विटामिन–ए की मात्रा परिपूर्ण किये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हां। वर्ष 2006–07 में माह जून तक 2089 स्कूलों में 40479 बच्चों का परीक्षण किया गया। उक्त परीक्षण के दौरान 740 बच्चों में विटामिन–ए की कमी पाई गयी।

भारत सरकार द्वारा आर0सी0एच0 किट वर्ष में 2 बार उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें 6X100 एम0एल0 बोतलें विटामिन–ए की प्राप्त होती हैं। इसे राज्य स्तर से भी उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उद्योगों मे स्थापित बॉयलरों के प्रेशर पार्ट्स के मानकों के अनुरूप निर्माण के सत्यापन हेतु नियुक्त अधिकारी

41–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तरांचल में निजी क्षेत्र के उद्योगों में स्थापित अथवा स्थापित किये जाने वाले बॉयलरों के प्रेशर पार्ट्स के मानकों के अनुरूप निर्माण का सत्यापन किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं नियुक्ति की तिथि से अवगत करायेगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

सहायक निदेशक, बॉयलर उत्तरांचल को इण्डियन बॉयलर रेगुलेशन 1950 में दी गयी व्यवस्थानुसार इन्स्पेक्टिंग ऑथोरिटी एवं कॉम्पेटेन्ट ऑथोरिटी घोषित किये जाने हेतु केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अरविन्द पाण्डे स0वि0स0 द्वारा नियम 310(2) के अन्तर्गत दि0 4 अक्टूबर, 2006 को बाजपुर में घटित घटना की सूचना

* श्री अरविन्द पाण्डे—

मान्यवर, आपने मुझे नियम 310(2) की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, कुछ समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र बाजपुर में जो भी आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं उनमें मेरा कहीं न कहीं निजी नाम जोड़ दिया जाता है। इससे सम्बन्धित मैं एक–दो घटनाओं का जिक्र सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। रखने से पहले मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहूंगा कि जो भी घटना मैं आपके सम्मुख रखूंगा उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। यदि मैं सदन को गुमराह कर रहा हूँ तो जो दो मुकदमें मेरे ऊपर पहले ही चल रहे हैं उसके अतिरिक्त सदन को गुमराह करने का भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाय। मान्यवर, 4 अक्टूबर, 2006 की घटना है। जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में प्रातः 8.30 बजे क्रिश्चियन समाज के लोग बाजपुर स्थित केशुवाला गांव के एक फार्म हाऊस में जाते हैं। उनके फार्म हाऊस के जो मालिक हैं, उनके द्वारा बुलाया जाता है कि आपका समझौता करा दिया जायेगा लेकिन समझौते के लिए जाते हैं तो फार्म हाऊस के जो मालिक हैं उनका निजी गनर, जिसका नाम मनु है ने जो यायक है इनके ऊपर गोली चला दी और गोली चलते ही जगदीश नाम के व्यक्ति की वहीं पर हत्या हो जाती है। इस हत्या का विरोध करते ही उनका सगा भतीजा मैथ्यु वह सामने आता है और वह कहता है कि आपने मेरे चाचा जी की हत्या कर दी ठीक नहीं किया। गोली तुरन्त उसके भतीजे पर चलाई जाती है लेकिन उसके द्वारा हाथ से नाल को नीचे कर दिया जाता है वह गोली उसके पांव में लग जाती है उस समय छः लोग मौजूद थे। मृतक का बेटा, भतीजा और सगे दो भाई।

इतने में मृतक का छोटा भाई गन्ने के खेत में भाग जाता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके पश्चात् जो फार्म हाऊस के स्वामी हैं इनके भाई समेत पूरा परिवार इकट्ठा होता है और एक घंटे तक उस लाश को बाजपुर अस्पताल में नहीं ले जाया जाता है, एक घंटे तक तलाश की गयी कि जो व्यक्ति भाग गया है वह कहां छिपा है। मान्यवर, इसमें कुछ संदेह प्रतीत होता है कि अगर जो व्यक्ति भागा है अगर वह न भागता तो मैं समझता हूँ पांच–छः में से कोई व्यक्ति लौटकर नहीं आता। इस राज को, रहस्य को दफन करने के लिए एक घंटे तक तलाशी की गयी और जब कोई नहीं मिला तब वह फार्म हाउस के मालिक की गाड़ी द्वारा लाश को बाजपुर अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने फोन किया कि विधायक जी हमारे पिता जी की हत्या की गयी आप अस्पताल में पहुंचिए, मैं जब अस्पताल में पहुंचा तो उसका पूरा परिवार उसकी लाश के पास बिलख रहा होता है। मैं लाश को लेकर बाजपुर थाने पहुंचता हूँ और थाना पहुंचने के पहले मान्यवर, जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जाता है कि यह, इसका भाई, इसके पिता जी और चाचा यहां के फार्म हाऊस पर आये और बिमल के हाथ में, जो मृतक का बेटा है, बिमल के हाथ में बंदूक दिखाई जाती है कि बिमल फार्म हाऊस पर आया, इसने कहा कि मुझे बाजपुर के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक ने बंदूक लेकर भेजा है कि जाओ और उसके फार्म हाउस में जो भी मिल जाय उसकी हत्या कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए यह कहते हुए उसने गोली चलायी। गोली चलते ही इसका बाप बंदूक के सामने आ गया और उसकी हत्या हो गयी। तो मान्यवर, जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके बेटे पर, उसके भतीजों पर, उसके भाईयों पर बाजपुर थाने पर मुकदमा कायम करा दिया। उसमें मेरा नाम भी सम्मिलित कर दिया गया।

मान्यवर, वह घटना एक नहीं है, इसके पहले भी एक घटना मैं संक्षेप में रखना चाहूंगा। 28 मार्च, 2006 को सत्तापक्ष के एक लालबत्ती धारी मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ बकरी चोरी का एक मुकदमा कायम हुआ था रामनगर वन क्षेत्र में और मैंने इसी सदन में इस विषय को रखा था तब से यह घटना प्रारम्भ हो गयी। 07 अप्रैल की प्रातः साढ़े तीन बजे मैं अपने घर में सोया हुआ था, बाजपुर क्षेत्र की जो पुलिस है, समस्त जिले की पुलिस साथ में थी। मेरे घर में आवास पर आयी, बोले विधायक जी, आवाज देकर निकाला मुझे। मैं निकलकर बाहर आया, मैंने पूछा, मैं चौंक गया, मैंने पूछा कि क्या मामला है ? तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ एक मुकदमा कायम है हत्या का, आप और आपके सारे भाई इसमें शामिल हैं तो मैंने चौंकते हुए पूछा क्या मामला है ? किसकी हत्या हुई है ? तो उन्होंने बताया कि जो सभासद हैं उनकी माता की हत्या हुई है, आप और आपके सारे भाई इसमें शामिल हैं, आपको थाना चलना पड़ेगा। तो मान्यवर, मैं स्वयं अपने भाइयों को, जो सोये हुए थे उनको, बुलाकर लाया और स्वयं थाने में आकर बैठ गया। मान्यवर, मेरे और मेरे पांच भाइयों के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाजपुर के एस0ओ0 ने मुझसे कहा कि आप अपने भाइयों में से किसी एक को थाने में बैठाइये। हम इस हत्या की जांच कर रहे हैं। पुलिस पर विश्वास करके मैंने अपने भाई को थाने में बैठा दिया। अगले दिन पता चला कि चालान हो गया।

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा है कि इसकी सी0बी0आई0 जांच करायी जाय। इसके लिए मैं आमरण अनशन पर भी बैठा। मान्यवर, पांच दिन तक जब मैं आमरण अनशन पर बैठा तो प्रदेश सरकार ने सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति की। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां प्रदेश सरकार ने सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति की है, वहीं पुलिस द्वारा चार्ज शीट पेश कर दी गयी। मान्यवर, एक साथ दो–दो केस कैसे दर्ज हो सकते हैं ? मान्यवर, जब सी0बी0आई0 जांच कर रही हो तो, पुलिस चार्ज शीट क्यों दाखिल कर रही है ? मान्यवर, इस चार्ज शीट में मेरा नाम भी सम्मिलित किया गया। मान्यवर, थाने के सम्मुख समर्थकों द्वारा घेराव किया गया, तो मेरे समर्थकों पर चक्का जाम करने और प्रदर्शन करने का मुकदमा कायम कर दिया गया। मान्यवर, हत्या के अलावा मेरे ऊपर 4 अप्रैल को घटित घटना का मुकदमा भी दर्ज किया गया। जिन्होंने उस अपराध को किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मान्यवर, यह देव भूमि उत्तरांचल है, और इस देव भूमि उत्तरांचल में फर्जी मुकदमें दर्ज किये जायेंगे और इस तरह से अपमान

किया जायेगा तो भविष्य में यह देवभूमि नहीं कहलायेगी। मान्यवर, यदि मैंने जो बातें सदन के सम्मुख कही हैं यदि वे असत्य हों तो जो दो मुकदमें मेरे खिलाफ दर्ज हैं उसके अतिरिक्त एक मुकदमा, सदन को गुमराह करने वाला एक मुकदमा और दर्ज कर दिया जाय। मान्यवर, दोहरे मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं। मान्यवर, इसमें मृतक के बेटे, भाई, भतीजे पर मुकदमा है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी काफी बातें आ चुकी हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मुझे विश्वास है कि मेरी हत्या की साजिश है, हमारे ऊपर पहले भी माफिया पक्ष द्वारा हमले हो चुके हैं। मान्यवर, हम जनता के हित में खड़े होते हैं क्या यही हमारा अपराध है ? मान्यवर, मुझे संरक्षण प्रदान करें ताकि मेरी हत्या न हो सके। आपका संरक्षण चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय विधायक ने जो पूरा विवरण प्रस्तुत किया उसकी जानकारी हम लोगों के पास भी आती रहती है। मान्यवर, इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जैसे बड़े व्यक्ति किसी के विरुद्ध बदले की भावना नहीं रखते हैं। मान्यवर, आपने कहा कि बदले के भाव से मुकदमा दर्ज कराया गया। मान्यवर, आप उस क्षेत्र में हैं जिस क्षेत्र में आये दिन हम लोगों को कार्य करना पड़ता है, इसलिए नजदीक से जानते हैं। मान्यवर, जो हमारे पास तथ्य हैं वह यह है कि दिनांक 4–10–2006 को थाना बाजपुर, ऊधमसिंह नगर में मु0अ0सं0 3266/06 धारा 302/307 भादवि बनाम अन्नू पुत्र सुभाष निवासी गन्ना समिति बाजपुर व सुभाष शर्मा पुत्र गुरूबचन लाल शर्मा निवासी केसूवाला बाजपुर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना में एक व्यक्ति जगदीश की मृत्यु हो गयी तथा एक व्यक्ति घायल हो गया। अभियुक्त अन्नू, सुभाष शर्मा का प्राइवेट अंगरक्षक का कार्य करता था। उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त, अन्नू पुत्र सुभाष द्वारा भी इसी घटना के सम्बन्ध में थाना बाजपुर पर मु0अ0सं0 3266ए/06 धारा 147/148/149/325 भादवि बनाम जगदीश आदि 04 नफर व एक अन्य पंजीकृत किया गया। मृतक जगदीश का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराये जाने के उपरान्त मृतक का शव दाह संस्कार हेतु उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। दिनांक 4–10–2006 को ही मुख्य मार्ग अवरुद्ध करने तथा शासन प्रशासन के विरुद्ध व लोक शान्ति भंग करने के सम्बन्ध में, थाना बाजपुर में, माननीय विधायक श्री अरविन्द पाण्डे व पूर्व सांसद श्री बलराज पासी व 160 महिला/पुरुष के विरुद्ध मु0अ0सं0–3267/06 धारा 147/341 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 5–10–2006 को श्री पाण्डे व पूर्व सांसद श्री बलराज पासी के नेतृत्व में मृतक का शव थाना बाजपुर के गेट पर रखकर पंजीकृत कराये गये अभियोग के अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल कराये जाने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर जाम लगाया गया।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, फर्जी मुकदमा वापस लेने के लिए किया था।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह शासन का पक्ष है इसे सुनना होगा, पहले पक्ष तो सुनें। मान्यवर, दूसरे पक्ष द्वारा श्री जनकराज शर्मा के नेतृत्व में उसके भाई सुभाष शर्मा का नाम अभियोग से हटाये जाने की मांग को लेकर धरना प्रारम्भ किया गया। दोनों गुटों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर द्वारा आश्वासन देने के उपरान्त धरना समाप्त कर दिया गया। दिनांक 5–10–2006 को एक राय होकर मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने व लोक शान्ति को भंग करने के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री पाण्डे व पूर्व सांसद श्री पासी व 150 महिला/पुरुष के विरुद्ध थाना बाजपुर में धारा 147/341 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट तथा जनकराज शर्मा, अविनाश शर्मा व 250 महिला/पुरुष के विरुद्ध धारा 147/341 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

मान्यवर, पुलिस द्वारा उभय पक्षों के मुकदमे दर्ज किये गये तथा अभियोगों की विवेचना की जा रही है। यह भी उल्लेख करना है कि मा0 विधायक श्री पाण्डे के विरुद्ध पूर्व में निम्न अभियोग पंजीकृत हैं। मु0अ0सं0 1309/06 धारा 147/148/149/ 302 भादवि एवं 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 6/7–4–06 (जिसकी विवेचना सी0बी0आई0 द्वारा प्रचलित है)। मु0अ0सं0–निल/2004 धारा 332/352/308/504/506 भादवि एवं 146 रेलवे अधि0 व 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 30–1–2004 (विवेचना के उपरान्त दिनांक 1–5–2004 व 29–7–2004 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया)। माननीय विधायक का यह कथन कि राजनैतिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है, उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री पाण्डे को, माननीय विधायकगणों हेतु अनुमन्य सुरक्षा के प्राविधानों के अनुरुप सुरक्षा प्रदान की गयी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो यहां सदन में बात रखी। एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है यह कितने दुःख की बात है। मान्यवर, माननीय पाण्डे को सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनका उत्पीड़न न होने पाये।

* श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह उद्घोषणा यहां की, सदन में कही बात सत्य होती है। माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हो रही है। जो सदस्य का आग्रह है उसकी उच्च स्तर पर जांच की जाय। दूसरा उनको संरक्षण प्रदान किया जाय और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा सी0बी0आई0 की जांच की मांग खुद की गई थी। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है सभी माननीय सदस्यों के साथ सुरक्षा है वह उनको भी मिली हुई है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, हम थाने के अन्दर बैठे थे और आवागमन सुचारू रूप से चल रहा था उसके बावजूद भी हम पर चक्का जाम का आरोप लगाया गया।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत........।

* श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरी एक सूचना 65 की है।

श्री अध्यक्ष–

इसे 300 के बाद देख लेंगे।

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल 14 श्री अजय भट्ट, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मातबर सिंह श्री कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, डा0 नारायण सिंह जंतवाल तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज सत्र का अन्तिम दिन है, परम्परानुसार सभी सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं। सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायं।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में कुजगड़ घाटी में बाढ़ से हो रहे भूमि कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय भट्ट–

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र रानीखेत जिला–अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में कुजगड़ घाटी में बाढ़ से अत्यधिक कटाव हो रहा है। 05 किलोमीटर लम्बी इस घाटी में कटाव होने से जहां उपजाऊ खेत बह चुके हैं वहीं लोगों के मकानों को भी खतरा बना हुआ है जिससे भविष्य में जनहानि होना अवश्यम्भावी है। 05 किलोमीटर के इस कुजगड़ घाटी में बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम बनाकर कंकरीट एवं पत्थरों के 'प्लम' को बनाकर ही इस कटाव को रोका जा सकता है। मैंने कई बार इस प्रकरण से सरकार को अवगत कराया है। इस लोक महत्व के मामले पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इसे आज सदन के समक्ष उठाना पड़ रहा है।

अतः सरकार को तुरन्त कुजगड़ घाटी के सुरक्षा के निर्देश देने का कष्ट करें।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद उत्तरकाशी के बधाण गांव, हड़याडी आदि तथा टिहरी के दर्जनों गांवों में टिहरी बांध के जलाशय के दबाव से हो रहे भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रीतम सिंह पंवार–

[मान्यवर, टिहरी बांध बनने के फलस्वरूप विशाल जलराशि के जलाशय के दोनों ओर खड़ी पहाडियों पर बसे जनपद उत्तरकाशी के बधाणगांव, हडवाडी, मुंडरासेरा, कुमराड़ा, बल्डोगी व मल्ड़गांव एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के दर्जनों गांव जलाशय के दबाव से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण खतरे की स्थिति में हैं, किन्तु सरकार द्वारा अभी तक इन क्षेत्रों का व्यापक सर्वे नहीं कराया गया और ना ही इन गांवों की सुरक्षा व पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है जोकि प्रभावितों के साथ घोर अन्याय है, जिस कारण पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है, ग्रामीण अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं।

अतः इस व्यापक लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा स्थान ऊसर भूमि को सिंचित करने हेतु डबल लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

[मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा स्थान में कई हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर पड़ी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना बनायी गयी है। किन्तु यह योजना मुश्किल से 1/10 भूमि को भी सिंचित नहीं कर पा रही है। अस्तु मैं चाहूंगा कि तिलवाड़ा सरदार रुद्रप्रयाग की ऊसर भूमि को सिंचित करने के लिए डबल लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण करने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिये जायं।]

राज्य के सी0टी0 (मूल संवर्ग) के शिक्षकों के वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

[मान्यवर, राज्य के सी0टी0 (मूल संवर्ग) के शिक्षक अपनी वेतन विसंगतियों के कारण आन्दोलनरत हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या 1371/15-2-91-27(58)/88, दिनांक 09 जनवरी, 1992 के द्वारा समस्त सी0टी0 संवर्ग को मूल संवर्ग घोषित कर दिया गया। शासनादेश संख्या 3400/15-2-91- 27(58)/88, दिनांक 09 जनवरी, 1992 के द्वारा समस्त सी0टी0 संवर्ग के अध्यापकों का संविलियन 10 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् अनन्तिम तिथि 19-2-91 स्वीकारते हुए एल0टी0

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संवर्ग में संविलियन किया गया। जिसके कारण इस वेतन क्रम के अध्यापकों को 15 से 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् चयन वेतनमान तथा 27 से 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रोन्नत वेतनमान मिल रहा है। जबकि शासकीय नियमों के अनुसार अन्य शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् चयन वेतनमान तथा 22 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रोन्नत वेतनमान देय है। 20 मई, 2003 को राजकीय शिक्षक संघ तथा सरकार के मध्य हुए समझौते में सी0टी0 (मूल संवर्ग) वेतन क्रम में कार्यरत अध्यापकों को उनकी सी0टी0 (मूल संवर्ग) में की गयी सेवाओं का लाभ देते हुए अन्य शिक्षकों की भांति चयन वेतनमान तथा प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाना था। परन्तु उक्त विसंगति का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। जिस कारण शिक्षकों में अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश भर के विभिन्न स्तरों पर बने मोटर मार्गों में प्रयुक्त निजी नाप भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

[मान्यवर, प्रदेश भर में विभिन्न स्तरों पर मोटर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली निजी नाप भूमि का मुआवजा दिये जाने का स्पष्ट प्रावधान है किन्तु विभागीय लापरवाही के चलते दर्जनों मोटर मार्गों के वर्षों पूर्व निर्मित हो जाने के बाद भी निर्धारित मुआवजों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

कफड़ा–छब्बीसा मोटर मार्ग, गोदी–थीड़ा मोटर मार्ग, गोदी–तडागताल मोटर मार्ग, गनाई–जौरासी मोटर मार्गों के निर्माण को 12 वर्ष हो चुके हैं। जिनका मुआवजा अभी तक भूमिधरों को नहीं मिला है। उक्त स्थिति को लेकर संबंधित काश्तकारों में व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।]

जनपद चमोली में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का पुनः सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

[मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में वर्तमान में 498000 परिवार बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं जिसमें से जनपद चमोली में 29344 परिवार बी0पी0एल0 कार्डधारी हैं। वर्ष 2002–03 में सम्पन्न कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर नये परिवार नहीं जोड़े गये हैं, परन्तु उससे पूर्व के सर्वेक्षण में जो परिवार बी0पी0एल0 की श्रेणी के अन्तर्गत थे उन्हें नये सर्वेक्षण में हटा दिया गया है। आम जनता की शिकायतें हैं कि जो लोग गरीब तबके एवं निर्बल वर्ग के हैं, उनमें से कई लोगों को बी0पी0एल0 श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। सर्वेक्षण कार्य में कई प्रकार की त्रुटियां रही हैं। जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सर्वे टीम प्रत्येक परिवारों तक नहीं पहुंच पायी है। भौतिक सत्यापन के बिना ही सर्वेक्षण कार्य कर दिया गया है, जिससे आर्थिक रूप से अधिकतर गरीब व्यक्ति बी0पी0एल0

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की श्रेणी में आने से वंचित हो गये हैं। इसका आम जनता में भारी आक्रोश बना हुआ है। लोगों की मांग है कि वर्तमान सर्वेक्षण पर रोक लगा दी जाय तथा पुनः सर्वेक्षण कराया जाय ताकि पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है। अतः सदन से मेरा अनुरोध है कि अविलम्ब इस पर प्रभावी कार्यवाही की जाय।]

प्रदेश के माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को जो जनवरी, 1996 से 30 जून, 2001 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं पंचम वेतनमान का लाभ न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

[मान्यवर, प्रदेश के माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को, जो कि जनवरी, 1996 से 30 जून, 2001 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी तक पंचम वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। जब कि उनके साथ कार्यरत रहे शिक्षकों को इसका लाभ दिया गया है। लाभ से वंचित रहे ऐसे शिक्षकों को पंचम वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस स्थिति के कारण इन शिक्षकों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भृगुखाल, ढांगर आदि गांवों हेतु कीम गधेरे से एक अन्य प्रस्तावित पम्पिंग योजना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से कई गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाई गई थी। लेकिन लगभग दस वर्षों के बाद भी भृगुखाल, ढांगर डाडादमराडा, पाटा गुमाल गांव चुम्याणी आदि गांवों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। कुछ ही गांवों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उपरोक्त गांवों के लिए पेयजल लाइन निर्माण के बाद एक दिन भी जल आपूर्ति नहीं की गयी है। पेयजल निगम कोटद्वार से जनता व जनप्रतिनिधियों के द्वारा उक्त पेयजल लाइन पर जल आपूर्ति का आग्रह किया जाता रहा है। लेकिन पम्पिंग योजना की जीर्ण–शीर्ण मोटर के द्वारा इतना जल पाइप लाइन पर नहीं पहुंच पाता है कि पेयजल आपूर्ति हो सके। इन गांवों के लिए नीम गधेरे से एक अन्य पम्पिंग योजना प्रस्तावित की गयी है। लेकिन चार वर्षों के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। समस्त ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की तात्कालिक सूचना पर आपका ध्यानाकर्षित करते हुए कार्यवाही की प्रबल मांग करती हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ में बांकू पुल से बांकू तक बन्द पड़े मोटर मार्ग को खोलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में बाँकू पुल से बांकू तक वर्ष 2001 में चार किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2004 मई तक बराबर गाड़ियां चलती थीं। मई 2004 में जगह–जगह सड़क टूट जाने से आज तक सड़क यातायात के लिए बन्द है। सड़क खोलने के लिए जनता बराबर विभाग से मांग करती आई है। कोई कार्यवाही न होने से जनता आक्रोशित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति न मिलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती आशा देवी–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर पम्पिंग पेयजल योजना की ओर लाना चाहती हूँ। मान्यवर, तल्लानागपुर क्षेत्र 40 ग्राम पंचायतों का एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला भूभाग है। लेकिन वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहा है। मान्यवर, मेरे द्वारा पूर्व में मई माह में तथा कई बार इस समस्या से सदन के माध्यम से अवगत कराया गया है। माननीय सरकार (मुख्यमंत्री जी) द्वारा पेयजल योजना शीघ्र निर्माण हेतु सदन में आश्वस्त किया गया था, लेकिन अभी तक भी उक्त पम्पिंग पेयजल योजना पर वित्तीय स्वीकृति न मिलने से क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त आक्रोश है और कभी भी एक बड़े आन्दोलन की राह पर जा सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद चमोली में गैरसैंण वि0खं0 के अन्तर्गत जीपेबिल मार्ग को लो0नि0वि0 को हस्तानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अनिल नौटियाल–

[मान्यवर, चमोली में गैरसैंण विकासखण्ड के अन्तर्गत बिछौना ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु एक जीपेबिल मार्ग का निर्माण कराया गया था, किन्तु इसका रख–रखाव न होने के कारण ग्रामवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ग्रामवासियों की यह भी मांग है कि इस मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित किया जाये ताकि विभाग द्वारा इसका सही निर्माण कराया जाये, लम्बे समय से प्रयास करने के बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में 1099 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के पद सृजन न होने से डिप्लोमाधारियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र भट्ट–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, प्रदेश में 1099 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के पद सृजन न होने से डिप्लोमाधारियों में अपने भविष्य को लेकर चिन्ताएं बढ़ गयी हैं। अनेकों डिप्लोमाधारी अपनी निर्धारित आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। अगर उन्हें तत्काल नियुक्ति नहीं दी गयी तो इनका भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

महोदय, आज तक भी सम्पूर्ण प्रदेश में 1099 स्वास्थ्य उपकेन्द्र फार्मासिस्ट विहीन हैं। ऐसे में तत्काल पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा आयु सीमा में छूट का प्रावधान कर इन डिप्लोमा फार्मासिस्टों के साथ न्याय किया जा सकता है।

अतः महोदय इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान दिलाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नगरपालिका परिषदों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नारायण सिंह जंतवाल–

[मान्यवर, प्रदेश की नगरपालिका परिषदों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम एक हजार रु0 मासिक पेंशन दी जा रही है तथा कुछ कर्मचारियों को केवल दो सौ पचास रुपया ही पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, जोकि इस मंहगाई के समय में किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। ये कर्मचारी अपने सेवाकाल में सरकारी कर्मचारियों की तरह ही कार्य करते हैं।

अतः लोक महत्व के कर्मचारियों से जुड़े इस विषय पर सेवानिवृत्त पालिका कार्मिकों को सरकारी विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति पेंशन सुविधा प्रदान करने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद देहरादून के वि0खं0 डोईवाला ग्राम नथुवावाला के नागराज मौहल्ले में विद्युत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

[महोदय, मौहल्ला नथुवावाला ढांग सौंग नदी के किनारे है। उक्त मौहल्ले से जंगल लगा हुआ है। उक्त मौहल्ले में लगभग 40 वर्षों से 5–6 परिवार रहते हैं। लेकिन वे आज

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी विद्युत व्यवस्था से वंचित हैं। ये लोग गरीब हैं। ये विद्युत पोल पर धन व्यय करने में असमर्थ हैं। इन्हें पांच पोल से विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। जंगल से सटा होने से रात्रि के अंधकार में जंगली जानवरों हाथी–बाघ आदि का खतरा सदैव बना रहता है।

अतः जंगली जानवरों से बचाव व घरेलू उपयोग हेतु विद्युत लाईन बिछाये जाने हेतु विद्युत विभाग को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाने की मांग करता हूँ।]

वर्ष 2006 के प्रथम सत्र में उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष 2006 के प्रथम सत्र में, उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, सदन के पटल पर रखती हूँ।

श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त एवं सचिव, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त एवं सचिव, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी।

उक्त के संदर्भ में माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को सचिव, विधान सभा द्वारा प्रेषित पत्र संख्याः 81/वि0स0/21 व्य0/2003 के माध्यम से सूचित किया गया था कि 25 मार्च, 2004 को सदन में लिये गये निर्णयानुसार सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये गये लैपटाप के क्रय मूल्य का 60 प्रतिशत ह्रासित मूल्य के आधार पर कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त धनराशि जमा करने पर ही माननीय सदस्यों को लैपटाप अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उनके द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि सदन में किये गये विचार के उपरान्त माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने 27 जुलाई, 2004 को सदन में अवगत कराया कि माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये गये लैपटाप वापस नहीं किये जाने हैं, वे उन्हें निःशुल्क प्रदान किये गये हैं जबकि वित्त विभाग ने अपने अशासकीय पत्र संख्या 1557, दिनांक 07 सितम्बर, 2005 के द्वारा उक्त 60 प्रतिशत वार्षिक ह्रासित मूल्य के आधार पर धन लिये जाने की सूचना दी है। सदन में उक्त संबंध में हुए विनिश्चय के विपरीत वित्त विभाग की सहमति से जारी विधान सभा सचिवालय के पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 द्वारा माननीय सदस्यगणों से ह्रासित मूल्य वसूल किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। माननीय सदस्य

ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि संसदीय लोकतंत्र में विधान मण्डल का सदन सर्वोपरि है तथा उसके विनिश्चय के ऊपर अथवा हटकर कार्य करने का अधिकार किसी को नहीं है।

उक्त प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होंने अवगत कराया कि माननीय सदस्यों को निःशुल्क लैपटाप न दिये जाने का परामर्श वित्तीय नियमों के आलोक में दिया गया था तथा केन्द्र सरकार में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार माननीय सदस्यों को ह्रासित मूल्य (डैप्रीसिएट वैल्यू) पर लैपटाप उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा सहमति दी गयी थी। इस आधार पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये गये लैपटाप का मूल्य 5 वर्षों में रु0 2000/– से भी कम रह जाता है। वित्त विभाग द्वारा परामर्शदात्री विभाग के रूप में वित्तीय नियमों के आलोक में परामर्श दिया गया है तथा प्रकरण में निर्णय विधान सभा द्वारा लिया गया तथा इसमें वित्त विभाग द्वारा किसी प्रकार का विशेषाधिकार हनन किये जाने का प्रश्न नहीं है।

प्रमुख सचिव, वित्त का यह कथन कि प्रकरण में निर्णय विधान सभा द्वारा लिया गया, के संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 27 जुलाई, 2004 को माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन में घोषणा की गयी थी कि "दलीय नेताओं की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मैंने वापस लेने के लिए यह लैपटाप देने की घोषणा नहीं की थी। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार यह लैपटाप माननीय विधायकों के पास ही रहने दिये जायें जिससे इस लैपटाप में जो वह डाटा संग्रहीत करेंगे, उससे उन्हें वंचित न होना पड़े। अतः मैं माननीय अध्यक्ष जी से प्रस्ताव करती हूँ कि माननीय सदस्यों से लैपटाप वापस न लिये जायें"। इस पर सदन में आम सहमति थी कि माननीय सदस्यों को दिये गये लैपटाप वापस न लिये जायें।

सदन में की गयी उक्त घोषणा के अनुसरण में पत्रावली वित्त विभाग को उनकी सहमति के लिए प्रेषित की गयी जिस पर वित्त विभाग ने लैपटाप के क्रय मूल्य के 60 प्रतिशत वार्षिक ह्रासित मूल्य के आधार पर कार्यकाल की समाप्ति के उपरान्त धनराशि जमा करने पर लैपटाप अपने पास ही रखेंगे की शर्त के साथ लैपटाप माननीय सदस्यों को दिये जाने पर सहमति दी गई जिसके अनुसार विधान सभा सचिवालय द्वारा उक्त संदर्भित आदेश जारी किया गया। वित्त विभाग द्वारा सदन की भावना के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए था और उसके विपरीत किसी प्रकार की शर्त नहीं लगानी चाहिए थी।

सचिव, विधान सभा अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष, विधान सभा के निदेशानुसार ही करते हैं। अतः उक्त पदधारक विशेष अथवा विधान सभा सचिवालय के सेवकों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन अथवा सदन के अवमान की सूचना अध्यक्ष, विधान सभा की सम्मति के बिना अभिसूचित नहीं की जानी चाहिए थी।

वर्णित परिस्थितियों में, मैं श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ किन्तु शासन को निदेशित करता हूँ कि माननीय सदस्यों को दिये गये "लैपटाप" सदन की भावनाओं के अनुरूप उनसे वापस प्राप्त किये जाने की शर्त को समाप्त किया जाय। (मेजों की थपथपाहट)

संग्रह अमीनों को नियमित किये जाने विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का विनिश्चय

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, 3 अप्रैल को, इससे पहले सदन की जब कार्यवाही हुई तो 3 अप्रैल, 2006 को एक प्रश्न उठाया गया था। इसमें प्रदेश में लम्बे समय से कार्यरत संग्रह अमीनों को नियमित करने का प्रकरण उठाया गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में स्पष्ट और बहुत स्पष्ट उल्लेख किया था कि किसी की भी सेवा समाप्त नहीं की जायेगी। जैसे–जैसे पद रिक्त होते रहेंगे वैसे–वैसे नियुक्तियां होती जायेंगी। इसके अनुसार सरकार ने थोड़ा–बहुत काम किया और जून, 2006 को शासनादेश भी जारी हो गया। पद सृजित हो गये, लेकिन जो पद सृजित हुए वह बहुत कम थे, उन पदों की तुलना में संग्रह अमीनों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सरकार ने उनकी संख्या से कम पद सृजित किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की स्पष्ट घोषणा के अनुरूप काम भी आगे बढ़ा, शासनादेश हुआ, पद भी सृजित हो गये। लेकिन मान्यवर, सदन में की गयी घोषणा के अनुपालन में अभी कार्य नहीं हो रहा है और वह भी जिला स्तर पर। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में सुस्पष्ट जानकारी रख रहा हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ में अभी 27 संग्रह अमीन कार्यरत हैं लेकिन उनके लिए मात्र 11 पद ही स्वीकृत किये गये और आज तक उनमें से एक को भी वहां के जिला प्रशासन द्वारा इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति नहीं दी गयी है। इसी प्रकार से जनपद रुद्रप्रयाग में 7 पद स्वीकृत किये गये थे, लेकिन अभी तक उनमें से केवल दो को ही नियुक्ति दी गयी है और अन्य लोगों को हटा दिया गया है। अन्य पदों के विरुद्ध वहां पर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मान्यवर, सदन में की गयी घोषणाओं का अनुपालन कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि किसी को नहीं निकाला जायेगा और जैसे–जैसे पद आयेंगे उनको नियुक्तियां दी जायेंगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, उसमें सीजनल शब्द को भी जोड़ लें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सीजनल का प्राविधान हो गया है, आपने कहा था कि किसी को भी नहीं हटाया जायेगा चाहे वह सीजनल हो या पैरीनियल। आपने शासनादेश भी किया, अपनी घोषणा के अनुसार आपने पद भी सृजित कर दिये लेकिन जब उन लोगों को लाभ देने का समय आया तो सरकार अपने वादे से पीछे हट गयी। मान्यवर, यह तो सदन की अवमानना भी है क्योंकि माननीय मंत्रीगण जब सदन में कोई वक्तव्य देते हैं तो वह सरकार का ही जवाब होता है और जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वक्तव्य दें तो वह पूरा ही सरकार का जवाब होता है, मेरा अनुरोध है कि सरकार इन लोगों को अपने वक्तव्य के अनुसार तत्काल नियुक्ति दे।

श्री अध्यक्ष–

आश्वासन पर कार्यवाही चल रही है और आपने जो कहा उसे भी आश्वासन में शामिल किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस बारे में निरन्तर विचार हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर विचार किया है।.............

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने आपको स्पष्ट जानकारी दी है कि उन लोगों को आपकी घोषणा के अनुरूप नियुक्ति देने के बजाय हटा दिया गया है, तो सरकार को इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

* श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मेरी दो विशेषाधिकार की सूचनाएं आपके विनिश्चय की प्रतीक्षा कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

उनका परीक्षण हो रहा है।

* स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, सुबोध जी से सब लोगों की हालत क्या रहती है, आप इनके विशेषाधिकार पर विनिश्चय दे दें। (हंसी)

नियम–58 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री हरीदास तथा श्री तसलीम अहमद, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, श्री काशी सिंह ऐरी व श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री मदन कौशिक, मौ0 सहजाद, श्री मदन कौशिक तथा श्री तसलीम अहमद, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री अजय भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री अनिल नौटियाल और श्री मदन कौशिक की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैंने केदारनाथ के बारे में एक सूचना दी थी, मैं चार दिन से वह सूचना दे रही हूँ, उसे स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसे देखा है, आप कृपया बैठें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री हरीदास–

मान्यवर, आज हमारी पार्टी की कोई सूचना नहीं ली गयी, मेरा अनुरोध है कि या तो मेरी या सहजाद जी की सूचना को आप स्वीकार कर लें।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आज मेरी सूचना स्वीकार कर लें, मान्यवर, आज केदारनाथ में लोग आन्दोलन कर रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, वहां पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। मान्यवर, मैं आज 3–4 दिन से लगातार इस सूचना को दे रही हूँ। मेरे पूरे जनपद में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां के लोग इस बात से बहुत आहत हैं। मेरा अनुरोध है कि इस सूचना को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं सदन से अपेक्षा कर रही थी कि इस पर कोई निर्णय आए लेकिन सरकार मेरी बात सुनना नहीं चाहती है। इसलिए मैं मन्दिर समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। इसका सदस्य बने रहने का क्या फायदा जब सदन में मेरी बात ही न सुनी जाय। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। माननीय सदस्य ने मंदिर समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, विधायक पद से तो इस्तीफा नहीं दिया है। (व्यवधान)

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, इस्तीफा देना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए।

* श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा उद्योग के विषय में एक प्रकरण है। कृपया उसे सुन लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किस नियम में है ? लिखित में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। सूचना लिखित में दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम–58 के माध्यम से सदन के सम्मुख और सरकार के सम्मुख एक ऐसी सूचना लाना चाहता हूँ जो पूरे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के निकट धौलास में शेखुल हिन्द एजुकेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट के द्वारा एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह सूचना विभिन्न स्तरों से मिली है और स्पष्ट सूचना है। मान्यवर, यह जो भारतीय सैन्य अकादमी है, इसके अधिकारियों ने अपने आस–पास में ऐसे किसी भवन के निर्माण पर आपत्ति दर्ज की है। इसके लिए ये लोग महामहिम श्री राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गये और कदाचित ऐसी अकादमियों के आस–पास में ऐसे भवनों का होना उचित भी नहीं है यह बात कई बार कही भी गयी है। मान्यवर, मैं सैन्य क्षेत्र रानीखेत का रहने वाला हूँ। वहां पर के0आर0सी0 के ब्रिगेडियर के आवास के पास एक 10 X 10 का खोमचा बना हुआ था। वह खोमचा आज से नहीं अपितु अंग्रेजों के जमाने से है। सुरक्षा की दृष्टि से उसे हटा दिया गया है।

आई0एस0आई0 की गतिविधियों के कारण, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे सैन्य सेन्टरों को निशाना बनाने जा रहे हैं तथा यहां की गोपनीयता को विदेशों में भेजा जा रहा है। इस कारण 80 साल पुराने खोमचे को वहां से हटा दिया गया है। मान्यवर, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक तरफ जो 10 X 10 के खोमचे को हटा दिया गया है और दूसरी ओर 20 एकड़ भूमि पर भवन बनाने की इजाजत कैसे दे दी गयी ? मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस संस्था का आदमी देशद्रोही होगा। लेकिन आने वाले समय में उस भवन में कोई भी आ सकता है और कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी हो सकती है। कोई न कोई इसका दुरूपयोग कर सकता है। आखिर उस भवन का औचित्य क्या है ? इसका निर्माण करने वाला कौन है ? इस जमीन पर भवन बनाने की इजाजत उसे कैसे दी गयी ? सैन्य अधिकारियों ने जो आपत्ति दर्ज की है, उसको अनदेखा क्यों किया गया ? मान्यवर, मेरे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है, यह सूचना है, क्योंकि ऐसी बातें गोपनीय रखी जाती हैं। गृह मंत्रालय ने भी सरकार को आगाह किया है सैन्य अकादमी के आस–पास भवन बनाने की योजना है, उसे देखा जाय। मुझे जानकारी मिली है कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे जमायते उल्ला इस्ताब के अध्यक्ष मौलाना अयूब कछौली द्वारा 50 करोड़ रुपये भेजे गये हैं।

मान्यवर, 50 करोड़ रुपया हवाला के माध्यम से दे दिया गया है। इसी प्रकार से असम और गुहाटी में भी इस प्रकार के संस्थान खोलने के लिए 50 करोड़ की धनराशि सैन्य कार्यालयों के अगल–बगल में निर्माण के लिए दी गई है। मान्यवर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारी जो सैन्य अकादमी है यह आई0एस0आई0 के निशाने पर है। यहां से कई नक्शे भी चोरी हुए हैं और जिन्होंने इन नक्शों की चोरी की उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। आज तक कई अवसरों पर भारतीय सैन्य अकादमी के आस–पास कई पाकिस्तानी जासूस जासूसी के यंत्रों के साथ पकड़े गये जिनमें पाकिस्तानी सेना के दो अफसर श्री असरफ और अकरम शामिल हैं। पिछले साल दिल्ली

में मारे गये आतंकवादियों के पास से भारतीय सैन्य अकादमी का नक्शा मिलने से सारी सुरक्षा एजेन्सियां चौकन्नी हो गयीं तथा इन्हीं आतंकवादियों की डायरी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अकादमी के पास प्रेमनगर से छात्र के रूप में रह रहे आतंकवादी अहसान मलिक को, जो अकादमी गतिविधियों की जानकारी लेकर अपने साथियों को भेजता था, को गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। यह राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिए आज सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम–58 के तहत यह सूचना सदन के सम्मुख रखी गयी है। भारतीय सैन्य अकादमी के निकट धौलास में शेखुल हिन्द एजुकेशन चेरिटेबिल ट्रस्ट के द्वारा एक संस्थान बनाने की मांग की गयी थी उन्होंने इसके लिए 20 एकड़ भूमि भी खरीदी थी। भारतीय सैन्य अकादमी ने उस समय, जब शेखुल हिन्द एजुकेशन चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्ताव रखा गया था तो कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। परन्तु जब उन्हें पता चला कि संस्थान बनाया जा रहा है तो सैन्य अकादमी ने आपत्ति की और उनकी आपत्ति को देखते हुए तत्काल शासन द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी को और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत एक ऐसे ज्वलंत विषय की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विगत 9 अक्टूबर से पूरे उत्तरांचल राज्य के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राजकीय कर्मचारी उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अधीन काम करने वाले कर्मचारी या उत्तरांचल चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग पांच सौ के ऊपर है, हड़ताल पर हैं। जिससे उत्तरांचल के सभी कार्यालयों का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। इतना कठोर कदम उठाने की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी, श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले सदन में उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज द्वारा जो उनका 11 सूत्रीय मांग–पत्र था जिसके सम्बन्ध में उनका आन्दोलन भी चला था उस आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने यहां पर इस विषय को उठाया था। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही इनकी जो मांगें हैं उनका निस्तारण करेंगे, जो मांग–पत्र था उसके अनुरूप शासनादेश भी जारी हुआ। लगभग चार शासनादेश जारी हुए लेकिन इन चार शासनादेशों में जो उनकी प्रमुख मांग थी वह दबाकर रखी गयी। पहला शासनादेश 27 अक्टूबर, 2004 को हुआ। जिसमें उनके पदनाम को परिवर्तित किया गया। केवल पदनाम परिवर्तित किया गया वेतनमान वही रहा। कनिष्ठ लिपिक वेतनमान रु0 3050–4590 को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक वेतनमान रु0 4000–6000 को प्रवर सहायक, वरिष्ठ सहायक (मुख्य लिपिक)

वेतनमान रु0 4500–7000 को मुख्य सहायक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/मुख्य लिपिक–1 वेतनमान रु0 5000–8000 को प्रशासनिक अधिकारी–2, प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रु0 5500–9000 को प्रशासनिक अधिकारी–1, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान रु0 6500–10500 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम प्रदान किया गया।

मान्यवर, उक्त पदनाम तो परिवर्तित किया गया, परन्तु इनका जो मूल उद्देश्य था–वेतनमान इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में 03 जनवरी, 2005 को एक उच्चस्तरीय समिति गठित हुई, जिसमें माननीय मंत्री लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, सूचना, संसदीय कार्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में हुई बैठक के क्रम में उक्त एसोसिएशन द्वारा कथित कतिपय वेतन विसंगतियों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव हैं और सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, प्रकरण से सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं प्रकरण से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष हैं। मान्यवर, कमेटी गठित होने के बावजूद इसका कोई ऐसा लक्ष्य और मार्गदर्शन इनको नहीं मिल पाया। मान्यवर, 03 जून, 2006 को एक विभागीय संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी होता है, जिस पर मुख्य सचिव, एम0 रामचन्द्रन के हस्ताक्षर हैं। इसमें उल्लिखित है कि "विभागीय ढांचा का गठन सामान्यतया विभाग की आवश्यकता, निर्धारित मानक तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में पदोन्नति के सोपानों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना था। परन्तु शासन के संज्ञान में कर्मचारी संगठनों द्वारा यह तथ्य लाया गया है कि अधिकतर विभाग से विभागीय संस्थाएं पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में निर्धारित पदोन्नति के सोपानों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनायी गयी हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विभागों के संवर्गों/कार्यालयों में समूह–ग के पदों में कार्यरत कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर कम हो गये हैं।" मान्यवर, इससे स्पष्ट होता है कि पदोन्नति के अवसर कम हो गये हैं और विभागीय ढांचा अभी तक नहीं बना है।

मान्यवर, 03 जून, 2006 को एक शासनादेश और जारी हुआ है। जो प्रमुख सचिव, वित्त के हस्ताक्षर से हुआ है जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अन्तर्गत मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम और वेतन विसंगतियों से सम्बन्धित है। मान्यवर, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन की तीन सूत्रीय मांग है–

पहली मांग है–समान व्यवस्था लागू की जाय,

दूसरी मांग है–समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय। सरकार तथा संगठन के मध्य जो समझौते हुए हैं उन्हें लागू किया जाय तथा

तीसरी मांग है– वेतन विसंगति समिति द्वारा निर्णित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–दो के जारी वेतनमान संशोधन का लाभ 1–1–96 से दिया जाय।

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आन्दोलन पर चले गये हैं, ये भी 09 अक्टूबर से ही आन्दोलन पर गये हैं। मान्यवर, इनकी मांग है कि प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर समस्त वर्गों एवं पदों पर 14 वर्ष की अनवरत सेवा के पश्चात् अगले उच्च पद

का प्रथम पदोन्नति वेतनमान तथा 24 वर्ष की सेवा पर पुनः दूसरे उच्च पद का द्वितीय पदोन्नति वेतनमान बिना किसी पदोन्नति के स्वतः लागू हो जाता है। परन्तु मान्यवर, इसमें यहां पर ऐसे कर्मचारी हैं जो 30 से 40 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् मात्र रु0 200/— के अन्तर पर रु0 2750 के वेतनमान में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मान्यवर, इनकी मांग है कि इसको संशोधित किया जाय। मान्यवर, विभागों में पदों का पुनर्गठन कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद बढ़ाये जायें तथा पद सृजित किये जायें। पुनर्गठन तथा निजीकरण के नाम पर ठेकेदारी प्रथा/संविदा वेतन पर रखे जाने की प्रथा रोकी जाय। मान्यवर, दिनांक 05—10—2006 से सिंचाई एवं बांध कर्मचारी संयुक्त परिषद् के कर्मचारी विधान सभा में निरन्तर धरने पर हैं। मान्यवर, इनकी मांग है कि विगत 20—25 वर्षों से अधिक कार्यरत समस्त कार्य प्रभारित एवं दैनिक कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को जोड़ते हुए एकमुश्त नियमितीकरण किया जाय। नियमित कर्मचारियों की भांति मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मूल वेतन में समाहित किया जाय। मान्यवर, इस तरह से स्पष्ट हो गया है कि उत्तरांचल का कोई विभाग ऐसा नहीं जहां आन्दोलन नहीं हो रहे हैं। यहां के जितने निदेशालय हैं, सबका काम ठप्प हो चुका है। मान्यवर, जिला स्तर पर जितने कार्यालय हैं उनका काम ठप्प हो चुका है। स्थिति यह है कि आम आदमी परेशान हो गया है, इसलिए इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता है। मान्यवर, आज अन्तिम दिन है, हम 8—10 बजे तक बैठने को तैयार हैं, इस पर चर्चा करा लें क्योंकि उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं, राज्य कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट हो जाय। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री नारायण सिंह जंतवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में विकासकारी प्रशासनिक मशीनरी है उस मशीनरी के विषय में आपने मुझे नियम—58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, हमारे वरिष्ठ साथी श्री प्रकाश पंत जी ने काफी विस्तार में बात बताई है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन, जो कि मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की सबसे बड़ी फेडरेशन है, ने नोटिस दिया था कि इस पर कार्यवाही नहीं होगी तो हम आन्दोलन चलायेंगे। उसके अनुरूप दिनांक 5 से 7—10—2006 तक तीन दिन का कार्य बहिष्कार किया जायेगा और ये मिनिस्ट्रियल कर्मचारी दिनांक 9—10—2006 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं और जैसा बताया गया कि उन्होंने मांग की कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह उनकी मांग सही है कि एक चयन प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया से कई लोगों को सचिवालय में भेजा गया है, इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही है।

मान्यवर, पुनर्गठन के नाम पर निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके पद कम नहीं किये जायें, जैसा कि हमने देखा कि वन विभाग के निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनका पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग में तकनीकी वर्ग में

पुनर्गठन के फलस्वरूप पद बढ़ा दिये गये हैं परन्तु मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों में कटौती कर दी गयी। जबकि शासन द्वारा 13 खण्डों में बढ़ाने का प्रस्ताव है तो निम्न वर्ग के पद भी बढ़ने चाहिए। उनके पदों में कटौती की गयी इसलिए पदों में कटौती न करने की बात न्यायोचित है। पद बढ़ाने से सरकार पर कोई वित्तीय भार बढ़ने वाला नहीं है। मान्यवर, वेतन विसंगति के बारे में बताया गया। मान्यवर, जो ऑफिस खोलते बन्द करते हैं उन उत्तरांचल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का संकल्प है कि वे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और उनके बारे में पहले ही भेजा जा चुका है कि उनका जो प्रोन्नत वेतनमान है मिनिस्ट्रियल वर्ग के बजाय जिस स्केल पर पहुंच जाते हैं वह उनको दिया जाता है। मान्यवर, 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा लिपिक वर्ग के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर भरकर पूरा किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह न्यायोचित बात है और इसी प्रकार से कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था नहीं होती है, चतुर्थ कर्मचारियों को 2 कमरों का आवास अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए।

मान्यवर, इसमें पुनर्गठन की बात भी रखी गयी है, मुख्यतः ये मांगे कर्मचारियों की हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए समय- समय पर घोषणाएं की गयी हैं और संरचनात्मक कार्य किये हैं लेकिन 05 तारीख से पूरे ब्लॉक, तहसील, जिला और मण्डल मुख्यालयों का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है। इसमें आम जनता प्रभावित है। मान्यवर, यह तात्कालिक और लोक महत्व के प्रश्न हैं इस पर सदन की आज की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय प्रकाश पंत जी और श्री नारायण सिंह जंतवाल जी द्वारा अभी उठाया गया है वह अति अविलम्बनीय और लोक महत्व का है। मान्यवर, क्यों आन्दोलित हैं कर्मचारी, जो वह मिनिस्ट्रियल के लोग हैं यह चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं इनकी क्या मांगें हैं इनकी क्या नाराजगी है ? ये सारे तथ्य माननीय सदस्य ने सदन के सामने रख दिये हैं। इसलिए मैं इसमें नहीं जाकर अपने को इनसे सम्बद्ध करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इसी सदन के अन्दर सरकार की ओर से किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणाएं की। यह सरकार सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है, हम हर कर्मचारियों का ख्याल रख रहे हैं। मान्यवर, जो प्रकरण उठाया गया ये अपने आप में सही है, यह सरकार की मंशा जता रही है। अगर व्यवहार में देखा जाय तो स्थिति यह है कि अभी आपने देखा कि 09 तारीख से मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गये हैं। कल से हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गये हैं। मान्यवर, ये दोनों काम से विरत रहेंगे तो सरकारी कामकाज को चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार पूरी तरह से ठप्प हो जायेगी।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे एक साथी का पिथौरागढ़ से फोन आया कि यहां पर सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं काम कैसे होगा, आप जिलाधिकारी को कह दीजिए। हम जिलाधिकारी को कहेंगे तो वह किस से काम लेगा। हमारे यहां पर सड़क बनने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, वन संरक्षण अधिनियम है, कहीं सेंचुरिज का मामला है। मान्यवर, जो सारे कामकाज, लिखित-पढ़त करने वाले लोग हैं वह सारे लोग हड़ताल पर चले गये हैं। काम नहीं होगा तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं सरकार को चेता रहा हूं। सरकार इन कर्मचारियों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करे। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इनसे सहमत होते हैं और कुछ अधिकारियों की मंशा यह होती है कि वह सरकार की किरकिरी कराना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कर्मचारियों का उत्पीड़न कैसे हो, ऐसे कार्य करते हैं। मान्यवर, जून, 2006 को समझौता हुआ।

मान्यवर, लेकिन उनके परिपालन में जो बातें होती हैं तो कोई न कोई अधिकारी कोई न कोई कमी निकाल कर इस मामले को घुमाते रहे हैं और कर्मचारी हड़ताल में चले जाते हैं। यह अति महत्वपूर्ण, लोक महत्व का तात्कालिक प्रश्न है। सरकार का काम-काज शिथिल हो गया है। इस स्थिति में सरकार के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए अपने को चलाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? इस विषय में चर्चा करा दी जाये। मैं माननीय पंत जी की बात को कहना चाहता हूं कि आज असरकारी दिवस है, सरकार का तो कोई काम आज है नहीं। इसलिए मान्यवर, आज इस पर चर्चा करा दी जाये और इसके बाद सरकार फैसला लेकर सदन में आये। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे काफी विद्वान साथियों ने जिनका लम्बा राजनीतिक अनुभव भी है। वे कर्मचारी समस्याओं के जानकार भी हैं। सभी जानते हैं कि राज्य कर्मचारी 1986 में पंचम वेतनमान की मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल में चले गये थे। कई लाख कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से नजदीक से इस आन्दोलन से जुड़ने का मौका मिला था। तब सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हो गये थे और एक समता समिति का गठन हुआ था। समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार जिन पदों के पदनाम, शैक्षिक अर्हता, चयन प्रक्रिया, कार्य विवरण, कार्यभार तथा उत्तरदायित्व समान थे, उन पदों पर पद से पद की समानता के आधार पर केन्द्रीय वेतनमान तथा शेष प्रकरणों में समतुल्य केन्द्रीय वेतनमान दिये गये। तब भी कुछ ऐसे पद और ऐसी विसंगतियां बनी रहीं जिन पर कर्मचारी संगठनों की मांग पर विचार करना पड़ा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक वेतन विसंगति समिति बनायी गयी थी। उत्तरांचल के गठन के बाद यहां भी प्रश्न उठा कि उत्तर प्रदेश की समिति ने अभी सभी पदों के वेतनमान के संबंध में निर्णय नहीं दिया है इसलिए अभी हमारे यहां भी वेतन विसंगति चल रही है।

इसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गयी। हमारी पूर्णतया कर्मचारी हितैषी सरकार है। कर्मचारी हित के अनुसार पिछले 4 सालों में जितना कार्य यहाँ हुआ उतना तो हम उत्तर प्रदेश में भी नहीं करा पाये थे। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय में बहुत लम्बे समय तक देहरादून में आन्दोलन चला कि हमें बी–2 श्रेणी दे दी जाये। उत्तर प्रदेश के समय यह सी–श्रेणी में आता था। उत्तरांचल बनने के बाद इसे बी–2 श्रेणी में रखा गया। इससे उत्तरांचल के राज्य कर्मचारियों को तो बी–2 का लाभ मिलने लगा, किन्तु केन्द्रीय कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। उनकी मांग लम्बे समय से चली आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बी–2 श्रेणी में देहरादून हेडक्वार्टर हुआ। आज यह कठिनाई आ रही है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को 7.5 प्रतिशत मकान भत्ता मिल रहा है और उत्तरांचल के कर्मचारियों को 15 प्रतिशत मिल रहा है। यह सही है कि अभी तक हम केन्द्रीय कर्मचारियों का पूरा नहीं कर पाये हैं। लेकिन हमने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिये हैं, उत्तर प्रदेश के समय में हरिद्वार जनपद के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता नहीं दिया जाता था और माननीय ऐरी जी तो जानते ही हैं, यह भी उत्तर प्रदेश में सदस्य रहे हैं, तो वहां पर हम लोग यह मांग सरकार से करते थे कि उनको भी पर्वतीय भत्ता दिया जाय लेकिन उन्होंने एक हाइट निर्धारित कर रखी थी, कि रानीबाग से नीचे और हरिद्वार आदि में यह भत्ता नहीं देंगे तो हमने इस विसंगति को भी दूर करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, हमने हरिद्वार जनपद के कर्मचारियों को भी मानकों में हाइट का प्राविजन हटाकर भत्ता स्वीकार किया ताकि किसी के मन में भेदभाव की बात न आये।

भारत सरकार के पैटर्न पर सांख्यिकी संवर्ग, लेखा संवर्ग, लेखा परीक्षा संवर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता जैसे पदों के वेतनमानों को उत्तरांचल राज्य में पुनरीक्षित किया गया है और उनकी ही मांग पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विसंगति समिति का गठन किया गया है। जब उनके पदनाम चेंज करने की बात आती है, मेरी जब भी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें होती हैं और उत्तर प्रदेश में मुझे विधान परिषद् में और बाहर कर्मचारी संगठनों के साथ काम करने का काफी अनुभव रहा है तो मैंने यह डिमाण्ड नाम परिवर्तन वाली कहीं नहीं देखी, पूरे देश में ऐसी डिमाण्ड नहीं है, कहीं होगी तो मैं वहां जाकर देखूंगी भी। जब भी यह पदनाम परिवर्तन की मांग आती है और मैं स्वयं समझौते में बैठती हूँ तो हमेशा वित्त और कार्मिक के लोगों ने कहा है कि नाम बदलना आसान नहीं है, नाम बदलता है तो उस नाम का वेतनमान भी उन्हें देना पड़ेगा, तो इस बारे में मैं कर्मचारी संगठनों से कहती हूँ कि देखिए आप सम्मान के लिए यह नाम मांग रहे हैं तो हम तैयार हैं लेकिन वेतन बढ़ाने के लिए पदनाम कैसे चेंज कर सकते हैं। नाम के सम्मान के लिए हम तैयार हैं, सम्मानित नाम हम आपको जरूर देंगे तो कर्मचारी संगठन भी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के सम्मानित पदनाम देने का कार्य हमने उत्तरांचल में किया भी है। मान्यवर, यह समझौते की बातें हैं, समझौते जब भी होते हैं

मैं स्वयं वहां पर बैठती हूँ उनकी बातों को, मांगों को गौर से सुनती हूँ। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की मांग पर वेतनमान रु0 4500–7000 से इसी वेतनमान में प्रोन्नत होने वाले पदधारकों के विषय में प्रोन्नति पद का वेतनमान रु0 5000–8000 कर दिया गया है तथा उत्तरांचल राज्य में हमने पदनाम बदलकर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 का पदनाम दिया है, मैं तो स्वयं भी कर्मचारी रही हूँ और इन सब बातों को हमने व्यवहार में देखा है, हम तो इन कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, राज्य आन्दोलन में इन कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही है।

मान्यवर, अब तो छठा पे कमीशन भी दस्तक दे चुका है, दस्तक क्या प्रधानमंत्री जी उसकी घोषणा कर चुके हैं। केन्द्र सरकार पैरिटी टू पैरिटी देती है उसे लागू करने में कठिनाई होती है कि अभी पांचवे पे कमीशन में भी यह कठिनाई हम लोगों के सामने आई। आप सभी लोग अवगत ही हैं कि उत्तर प्रदेश में निगमों के कर्मचारियों को पांचवे वित्त आयोग के अनुसार देने से मना कर दिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक निर्णय के रूप में हमारी सरकार ने यह लाभ अपने प्रदेश के निगम के कर्मचारियों को दिया है, लेकिन जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश में लिये गये थे वे पैरिटी के अन्तर्गत नहीं आते थे।.........

मान्यवर, वहां पर निगम के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की श्रेणी से पृथक कर दिया गया था। पहले इनके रिटायरमेंट की उम्र 58 साल थी। जब हम यहां पर आये तो हमने इस पर बिना विचार किये एसर्ट किया कि कर्मचारी सब एक हैं। पहले कहा जाता था कि निगम के कर्मचारी हैं। निगम व्यापारिक संस्था है, वह खुद आमदनी करे और अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे। लेकिन निगम अपने इस दायित्व में असफल रहे। वे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाये। वहां पर जो सेवा में आ गये थे, उनको सफर करना पड़ रहा था। अधिक वेतन और सुविधा पाने के लिए तो बड़े अधिकारी प्रमुख रूप से निगमों में जाना चाहते थे। इनके एक साथी के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल हो और इनकी 58 साल ही रहे यह हमें ठीक नहीं लगा। कैबिनेट में इस विषय को लाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारतापूर्ण निर्णय लेते हुए इनके रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी। उनके साथ लगातार हमारी वार्ता होती रहती है। पता नहीं आज वे हड़ताल पर क्यों चले गये हैं ? वार्ता करने के लिए उन्हें हमारे पास आना चाहिए था लेकिन वे हमारे पास नहीं आये और धरने पर बैठ गये तो अब तो आपको ही उनकी बात को उठाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर तो हमें ही देना होगा। समाधान तो हमें ही निकालना पड़ेगा।

सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ने की बात आयी। इसको देने में कई प्रदेश सरकारें हिल गयीं। क्योंकि सभी कर्मचारियों का सवाल था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाद में देना है, अभी से ही क्यों न दिया जाय। हम लोग डर गये थे क्योंकि इससे बहुत बड़ा भार पड़ने वाला था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया। सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़कर देने वाला पहला प्रदेश उत्तरांचल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, उनकी पहल पर यह किया गया। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को तो यह अभी मिला है, जब वहां की सरकार बाध्य हो गयी कि अब तो

देना ही है, परिस्थितियां ऐसी ही बन गयी थीं। नियमावली बनाने के बारे में कहना चाहती हूँ, ढांचा बनाया जा रहा है। मैंने स्वयं ढांचा बनाने में रुचि ली। हमारा प्रयास है कि पदोन्नति के अवसर बढ़ने चाहिए। हम दावा नहीं करते कि सब काम पूरा कर दिया है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ काम रह जाते हैं। हर समस्या का समाधान वार्ता है। शासन से वार्ता करनी चाहिए। मैं शासन की तरफ से बोल रही हूँ कि अभी तक इस मामले में कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आया है। मेरे पास अभी एक फोन आया था तो मैंने कहा कि अभी मैं सदन में हूँ वहां पर जवाब दूंगी। यहां पर उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्व है। अपने उत्तरदायित्व का पालन हम कर रहे हैं।

मान्यवर, भविष्य निधि नियमावली में भी संशोधन किये गये हैं। अभी कर्मचारियों का 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ा है। मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तरांचल अकेला राज्य है जहां पर कर्मचारियों को एरियर नगद देने की घोषणा की गयी है। त्यौहारों का सीजन है इसलिए इसे नगद देने का निर्णय लिया गया। ट्रेजरी में नियत तिथि में यह आ जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से ट्रेजरी से वेतन देने की बात आयी। हमने सोचा कि कहीं वह फेल न हो जाय। हमने फाइनेन्स सेक्रेटरी से वार्ता की, उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से स्वतः ही कर्मचारी के खाते में उसका वेतन चला जायेगा। यदि किसी कर्मचारी की दो दिन की तनख्वाह रोकना चाहते हैं तो उसे कम्प्यूटर में फीड करना होगा। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ कि तमाम विरोध के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई संगठनों और जनप्रतिनिधियों का भी उनको विरोध झेलना पड़ा।

मान्यवर, हमारे पास भी लोग आते थे और कहते थे कि यह सिस्टम आपका फेल तो नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि लौटकर बुद्धू घर को आये। वे बधाई के पात्र हैं, आज यह कितना सुगम और सरल हो गया है। हर एक का, चाहे वह प्राईमरी का अध्यापक हो, उसका वेतन भी अब सीधे कम्प्यूटर के माध्यम से उसके खाते में जा रहा है। हम पांच प्रतिशत मंहगाई भत्ता भी कर्मचारियों को देने जा रहे हैं। मान्यवर, वर्ग–घ के कर्मचारियों के समयमान वेतनमान की विसंगति को दूर करते हुए 14 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु0 2610–3540 तथा 24 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु0 2750–4400 किये जाने का निर्णय लिया जा चुका। मान्यवर, इतना ही नहीं समूह–घ के कर्मचारियों को एक कमरे का आवास अनुमन्य था। शासन द्वारा यही निर्णय लिया गया कि श्रेणी घ के कर्मचारियों को 02 कमरे का आवास अनुमन्य किया जाय। मान्यवर, यह फाईल जब मेरे पास आई कि दो कमरे की मांग की गयी है तो मैंने कहा कि उनकी यह मांग बिल्कुल जायज है क्योंकि एक कमरे में उनके भाई–बहन, माँ–बाप, बच्चे रहते तो हैं लेकिन काफी असुविधा होती है। इसलिए हमने सभी जगह दो कमरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किये। अब जो उनके लिए आवास बन रहे हैं वो वे सभी दो कमरे के ही उनके लिए बन रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

पिथौरागढ़ में जो वर्ग–घ के आवास बने हैं, वह 1960 के बने हुए हैं, उनका इस्टीमेट भी शासन में आया हुआ है।

श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हर जिले में वर्ग–घ के लिए दो कक्ष बनाये जा रहे हैं जो पुराने निर्मित भवन हैं, उनके मरम्मत का ही काम कराया जा सकता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक कमरा उसमें और जोड़ा जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जो नये भवन बन रहे हैं, वर्ग–घ के लिए, वे सभी दो कमरे के बन रहे हैं। मान्यवर, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव और उनके प्रकरणों को सुलझाने की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा विचार किया जाता है। हमारी नीति और नीयत उनके लिए सदैव उदार रही है। मान्यवर, उत्तरांचल नया राज्य है और वित्त मंत्री के रूप में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी का दृष्टिकोण कर्मचारियों के प्रति सदैव उदार रहा है, वे सदैव कर्मचारियों के हित की सोचते हैं। आपने पिथौरागढ़ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, इस सम्बन्ध में कलेक्टर से कहा जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस्टीमेट लम्बित है। यदि आप अनुमति देंगी तो मैं इस्टीमेट निकालकर आपको दे दूँगा।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप लिखकर दे दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं लिखकर अभी दे रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, कोई कामकाज ऐरी जी के पास या जंतवाल जी के पास हो तो वह हमें दे दीजिए (हंसी) उस पर विचार किया जायेगा। यदि आप जनहित के मुद्दे उठायेंगे तो हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे, यह हमारा दायित्व भी है और आपका दायित्व हमारा ध्यान आकर्षित करने का है। हमारे मन में कोई भेद–भाव नहीं है इसलिए हम आपकी भावनाओं का पूर्ण आदर करते हैं।

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आन्दोलन पर चले जाते हैं तो उनके नेताओं से हमारी सकारात्मक बात होती है, जो उनके सामने दिक्कत होती है, वह वे सामने रखते हैं, परन्तु इसमें हमारी भी मजबूरी है। जैसा कि सभी भलीभांति जानते हैं कि किसी भी संगठन की सभी मांगों को तो माना नहीं जाता है, कुछ मांगों को तो मान लिया जाता है। मान्यवर, प्रमोशनल वैल्यूज में पहली बार जूनियर इंजीनियर सहायक इंजीनियर के रूप में रिटायर हुए हैं, ऐसे 109 सहायक इंजीनियर रिटायर हुए हैं। यहां पर घोटालों की बात बार–बार की जाती है। इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि इन पर सी0बी0आई0

जांच बैठती है, जो निष्पक्ष कार्यवाही करती है। मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्तियां किये जाने की मांग की जाती है, हमने ऐसा भी किया है। अभी तक इस पर कोई आरोप नहीं लगा है। कुछ जगहों पर पुरानी फाईलें भी खोली गयी परन्तु हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया है, चूंकि हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, हमने पटवारी घोटाले, दरोगा घोटाले की बात की थी, जोकि सामने भी आया।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैंने आपके नाम का जिक्र नहीं किया है। आप तो हमारे दिल में हैं। .....(हंसी) मान्यवर, घोटाले होते हैं, जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हम पुरानी फाइलों को नहीं खोल रहे हैं। मान्यवर, हम यह बताना चाहते हैं कि हमने क्या काम किया है, न कि पहले की सरकार ने क्या काम किया है। हम अपने काम से पहचाने जायेंगे। हमारी नीयत साफ है, यह आप सब लोग स्वीकार करते हैं, हम सब लोग लम्बे समय तक साथ–साथ रहे हैं। इस सरकार ने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में, पण्डित नारायण दत्त तिवारी के मार्गदर्शन में एक प्लानिंग के हिसाब से विकास कार्य किया है। हमारा कार्य धरातल पर दिखाई दे रहा है। मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से हमारी लम्बी वार्ता रही है। मैं सभी कर्मचारी संगठनों का आभारी हूँ, मैं पहले भी इन संगठनों से जुड़ी रही हूँ, मैं लम्बे समय तक इनके साथ रही हूँ। मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ है और उसका पालन भी हुआ है। मान्यवर, जैसे कि 08 वर्ष एवं 19 वर्ष पर एक–एक वेतनवृद्धि की सुविधा अनुमन्य की गयी, ऐसा निर्णय भारत सरकार में भी नहीं है। हमारी सरकार ने यह भी किया है।

मान्यवर, जब शासन उनकी बात न सुने तो शिकायत करें। उनकी वकालत करेंगे। हमारी उनको न्याय देने की, सुविधा देने की, वेतनमान देने की, संरक्षण देने की मंशा है। मान्यवर, जो सम्भव होगा, आगे भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय श्री प्रकाश पंत जी को, माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी को, माननीय श्री जंतवाल जी को और माननीया मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद, देता हूँ। मान्यवर, ये हमेशा प्रचारित करते हैं कि हम मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य,

चिकित्सा, सड़क देते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जनपद चमोली में गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत 5 छोटे–छोटे बच्चों की, जिनकी आयु 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में थी, अचानक खसरे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी और सरकार इस सदन के माध्यम से अवगत कराती है कि हम मूलभूत सुवधाएं दे रहे हैं। मान्यवर, जनपद चमोली में ऐसे कई चिकित्सालय हैं, जहां पर चिकित्सक नहीं हैं। ऐसे केन्द्रों पर कई चिकित्सालय एक चिकित्सक की बदौलत चलाये जा रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा की बात करें तो कहते हैं कि 30 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की है, लेकिन आज ऐसे कई स्कूल हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना लगाई है उसी पर बोलें।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मराली़सैंण में चिकित्सालय है पर वहां पर वार्ड ब्वाय के अलावा कोई चिकित्सक नहीं है, कई बार आग्रह करने पर भी नहीं भेजा गया। मान्यवर, उसी प्रकार से गैरसैंण में श्री विमल गोसाईं कार्यरत हैं और मांग की जा रही है कि वहां पर राजधानी बनाई जाय। मान्यवर, वहां पर टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, ए०एन०एम० सेन्टरों की बात करते हैं तो उसे खोल दिया गया पर उसमें नर्सें नहीं हैं, हमारे फार्मासिस्ट हड़ताल पर हैं। मान्यवर, कई जगह ए०एन०एम० सेन्टर खोले गये तो वहां पर नियुक्ति भी कर दी जाय। मान्यवर, एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के लिए मानकों में सरलीकरण किया जाय। मान्यवर, उत्तरांचल की परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर नये एलोपैथिक चिकित्सालयों का सृजन किया जाय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5 वर्षों में एक–दो स्थानों के अलावा कहीं पर खुल पाये हों।

मान्यवर, मैं भवन निर्माण की बात नहीं कह रहा हूँ। जहां पर आपने चिकित्सक स्वीकृत किये हैं, आप वहां पर चिकित्सक नियुक्त करें, वहां पर फार्मासिस्ट भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय से हट रहे हैं। कृपया विषय पर बोलें।

श्री अनिल नौटियाल–

यह बहुत ही दुखदाई है। सरकार स्वच्छता की बात करती है, इस समय डेंगू बहुत ही प्रचलित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे चिकित्सालय स्थापित हैं, वहां पर सरकार चिकित्सकों और फार्मासिस्टों की नियुक्ति करे ताकि इस प्रकार की घटनाएं न घटें। मान्यवर, चिकित्सकों की रिपोर्ट के अनुसार खसरे के दो सौ से ढाई सौ लोगों

में इसके लक्षण पाये गये हैं इसकी रोकथाम के लिए कोई सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी। जिनके छोटे बच्चे इस बीमारी के कारण आज संसार में नहीं हैं, क्या सरकार उनके घर वालों को मुआवजा देगी ? मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, डेंगू भी आ जाय दोनों का उत्तर एक साथ दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

* श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय को स्वीकार किया। मान्यवर, आज डेंगू से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। देश की राजधानी से लेकर दर्जन भर राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री के रिश्तेदार और कई सांसदगण, कई प्रशासनिक व्यक्ति भी इससे पीड़ित हैं। आज पूरे देश के अन्दर मांग की जा रही है कि इसे महामारी घोषित किया जाय। मान्यवर, डेंगू नई बीमारी नहीं है, यह दो सौ वर्षों से लगातार कहीं न कहीं इसका असर देखने को मिला है। हमारे देश में अनेक राज्यों में यह बीमारी फैली है, 1945 में यह पश्चिम बंगाल, 1986 में महाराष्ट्र, 1988 में गुजरात, 1990 में कर्नाटक में भी इससे सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। मान्यवर, 1996 में दिल्ली में इससे 15 हजार लोग चपेट में आये और 500 लोगों की जानें गयी। मान्यवर, यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है यह विशेष प्रकार का मच्छर होता है। मच्छर के अन्दर एक प्रकार का विषाणु होता है, वह काटता है तो यह बीमारी होती है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण है, अनेक जनपदों में इस प्रकार के सिमटम्स देखे गये हैं जिससे जनमानस में भय का वातावरण है। इसको समाप्त करने के लिए कोशिश नहीं की गयी है। मान्यवर डेंगू से केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उ0 प्र0, उत्तरांचल और बिहार आदि राज्य हैं जो इसकी चपेट में हैं।

मान्यवर, हर राज्य इसकी चपेट में है। केरल में 713 रोगी डेंगू के पाये गये हैं, दिल्ली में (व्यवधान) इसमें तो सारे देश का ही सुनना पड़ेगा। (व्यवधान) राजस्थान में 260, उत्तर प्रदेश में 70 और बिहार में 3 रोगी डेंगू के पाये गये हैं। हर प्रदेश इससे बचाव के लिए तैयारी कर रहा है कि यह महामारी न फैलने पाये, लेकिन उत्तरांचल के अन्दर डेंगू के भय को लेकर कोई तैयारी नहीं की जा रही है। उत्तरांचल में अभी तक इसकी जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित नहीं की गयी है। अर्थात् मान्यवर, जांच को भी व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) अभी रुड़की में एक रोगी को भर्ती कराया गया था, लेकिन फिर उसे जांच के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। जांच में उसकी प्लेटलेट्स 38,000 पायी गयी। अभी आई0आई0टी0, रुड़की के एक छात्र को भी भर्ती किया गया था उसको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी दिल्ली रेफर किया गया जहां उसकी प्लेटलेट्स 36,000 पायी गयी। स्थिति इतनी गम्भीर होने के बाद भी सरकार ने अभी तक इसके लिए प्रयोगशाला भी नहीं बनायी है। कम से कम अस्थाई प्रयोगशाला तो सरकार को बनानी ही चाहिए थी। सरकार ने अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया है कि इसके बचाव के साधन क्या होंगे, कहां से दवा उपलब्ध होगी। मैं आज देख रहा था कि नैनीताल के जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में बैठक की, लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। डेंगू की जांच के लिए तुरन्त व्यवस्था करायी जाये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नैनीताल उत्तरांचल में ही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह ऐसी बीमारी है जिसके कारण पूरा देश प्रभावित हो रहा है। यह विचार का बिन्दु है कि इससे कैसे निपटा जाय। लेकिन हमारी सरकार अभी कह देगी कि हमारे यहां कोई रोगी नहीं पाया गया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस सूचना पर चर्चा स्वीकार कर लें ताकि सभी माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें। इसी अपील के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सारकोट में खसरा की बीमारी की सूचना दिनांक 4–10–2006 को प्राप्त हुई। खसरा रोग से प्रभावित बच्चों की संख्या 8 है जिसमें से 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। 3 बच्चे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैंण में भर्ती कराये गये, जिसमें 2 बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है तथा एक बच्चा अभी भी भर्ती है जिसकी स्थिति सामान्य है। ग्राम सारकोट क्षेत्र में चिकित्सा टीम द्वारा दो बच्चों का उपचार किया जा रहा है। क्षेत्र में चिकित्सा टीम लगातार कार्य कर रही है तथा टीम द्वारा 56 बच्चों का टीकाकरण किया गया है। क्षेत्र में सर्दी, जुकाम, बुखार से प्रभावित कुल 150 बच्चों तथा 189 अन्य वयस्क व्यक्तियों जिसमें 105 महिलाएं तथा 84 पुरुष हैं, का उपचार किया गया है। वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी उस क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं और उन सभी लोगों को निर्देश भी दे दिये गये हैं कि प्रभावित क्षेत्र में टीकाकरण, आवश्यक दवाएं आदि उपलब्ध करायी जायं। मुख्य चिकित्साधिकारी को भी निर्देश दिये गये हैं कि इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं दें।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, आपके मुख्य चिकित्साधिकारी की टीम गोपेश्वर से वहां पर आ तो रही है लेकिन मेरा अनुरोध है कि वहां पर आलरेडी भराड़ीसैंण में एक चिकित्सालय है लेकिन आज तक वहां पर कोई चिकित्सक नहीं गया है, मेरा अनुरोध है कि वहां पर क्या एक चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी और जो प्रभावित परिवार हैं क्या उनको कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, चिकित्सकों की हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में काफी कमी है और प्रत्येक मंगलवार को संविदा के आधार पर वाकिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और लोक सेवा आयोग को भी इनके लिए अधियाचन दिया गया है। जैसे ही चिकित्सक मिलेंगे, हमारा तो प्रयास रहता है कि पहाड़ों पर पहले डाक्टर दिये जायं, जैसे ही हमें डाक्टर मिलेंगे, हम जरूर भेजेंगे। दूसरा आपने मुआवजे की बात कही है तो स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार मुआवजा दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी ने अभी डेंगू के बारे में चर्चा की है और माननीय सदस्य स्वयं भी जानते हैं कि उत्तरांचल में डेंगू का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। निश्चित रूप से पूरे देश में इससे भय का वातावरण बना हुआ है। आज यदि किसी के पैर में दर्द या जलन होती है या फिर बुखार आ जाता है तो वह स्वयं चिकित्सालय में जाता है कि कहीं डेंगू तो नहीं है। लेकिन आज तक उत्तरांचल में एक भी मृत्यु डेंगू के कारण नहीं हुई है, 2–3 केसेज की बात आई है तो उनके ब्लड सैंपल दिल्ली भेजे गये हैं और वहां से भी डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। डेंगू की रोकथाम के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि कूलर के बचे पानी में यह होता है, गड्ढों में पानी भरा हो तो वहां पर हो सकता है और यह मच्छर दिन में ही काटता है तो यह इस प्रकार से लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। इसके अलावा सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी निर्देशित किया है, नगर निगमों, नगर पालिकाओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे बड़े अस्पतालों में दून अस्पताल और हल्द्वानी अस्पताल में संभावित रोगियों के परीक्षण के लिए किटें भी उपलब्ध कराई गयी हैं ताकि वहां पर भी रोगियों का परीक्षण किया जा सके और इसके नमूने दिल्ली भी भेजे जाते हैं ताकि वहां से भी पुष्टि हो सके और आज तक वहां से भी किसी पेशेन्ट की पुष्टि नहीं हुई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब परीक्षण की सुविधा प्रदेश में उपलब्ध है तो फिर दिल्ली जांच के लिए क्यों भेजा जा रहा है ? तो फिर यह नमूने दिल्ली क्यों भेजे जा रहे हैं, मेरे पास भी यह रिपोर्ट है कि उसकी प्लेटलेट्स 35 से 36 हजार कम है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तरांचल में डेंगू का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है लेकिन यह एक समस्या राष्ट्रीय स्तर की तो है ही, उसकी रोकथाम के पूरे प्रयास यहां पर भी होने चाहिए। लेकिन

देखने में आया है कि हमारे प्रदेश में उसकी रोकथाम के पर्याप्त साधन नहीं हैं। तो यह किस प्रकार से इसकी रोकथाम करेंगे, इसके बारे में भी मंत्री जी को सोचना चाहिए कि कल कोई मरीज वहां भी न आ जाय।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, डेंगू के रोगियों के रक्त परीक्षण के लिए रेडीमेड जांच किट हमने सभी बड़े अस्पतालों को उपलब्ध करा दी है, पुष्टि के लिए कुछ नमूने दिल्ली भी भेजे जाते हैं, क्योंकि वहां पर इसके लिए एक संस्थान है। मान्यवर, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली में है। वहां पर ब्लड की सैम्पलिंग करायी जाती है ताकि रोग की पुष्टि हो सके। लेकिन अभी तक वहां से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

टिहरी बांध की टनल (सुरंग) टी–2 को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री फूल सिंह बिष्ट द्वारा दि0 21 अक्टूबर, 2005 को नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

* श्री फूल सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को नियम–54 के अन्तर्गत निर्माणाधीन टिहरी बांध की टनल संख्या–2 को बन्द कर दिये जाने के निर्णय से टिहरी बांध से प्रभावित, जिनका अभी तक पूर्ण रूप से पुनर्वासन नहीं किया जा सका है, में व्याप्त भय, क्षोभ एवं असंतोष के सम्बन्ध में सूचना दी थी। मान्यवर, मैंने ये बातें जब टिहरी बांध की अन्तिम टनल बन्द नहीं हुई थी उसको बन्द होने से सम्बन्धित आशंका के सवाल को उठाया था और अनुरोध किया था कि आज अगर वास्तव में टिहरी बांध की अन्तिम टनल बन्द हो गयी तो प्रतापनगर विधान सभा में झील के उस तरफ के रहने वाले लोगों को जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो जायेगा। मान्यवर, आज वास्तव में वहां के लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। बहुत लम्बे समय के बाद आपने मेरे सवाल को सुना, खैर देर आये दुरुस्त आए। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। एक बात मैं यह अवश्य कहूंगा कि टिहरी बांध के निर्माण में हमारी सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं रखा। आज उस क्षेत्र के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। मान्यवर, जब यह टनल बन्द की जा रही थी तो वहां के लोगों ने तथा हम सभी ने यह कहा था कि पहले भारत सरकार से कहा जाय कि वहां रहने वाले नागरिकों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सुविधा बहाल करायी जाय तब अन्तिम टनल बन्द करने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने 1992 की याचिका संख्या–295 दिनांक 1 सितम्बर, 2003 को अपने निर्णय में निर्देशित किया था कि उसकी प्रतिपूर्ति टिहरी टी0एल0डी0सी0 से की जाय।

उन्होंने निर्देशित किया है, तब तक टिहरी की अन्तिम टनल टी–2 को बन्द न किया जाय जब तक कि वहां के नागरिक को बसाये छः माह की अवधि पूरी न हो जाय। मान्यवर, आज भी लोग वहां पर अत्यन्त भय और परेशानी में जी रहे हैं, लोगों में भय व्याप्त है। यह बांध 1961 से बन रहा है, 1972 में योजना आयोग द्वारा इसके लिए 172 करोड़ रु0 की मंजूरी दी। 1976 में प्रशासनिक स्वीकृति दी। मार्च 1980 में प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेषज्ञों से गहन अध्ययन कराया गया, फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री ने एक विशेष समिति बनायी थी, समिति ने टिहरी बांध को त्याग देने की सलाह दी। मान्यवर, नवम्बर, 1986 में परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति हुई, 100 करोड़ (1000 मिलियन) रूबल के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षरित किया गया। उसके बाद यह बांध बनना प्रारम्भ हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बांध को बनाने के लिए वहां के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, वहां के नागरिक, जो संकट का जीवन जी रहे हैं उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, केवल कुछ पर्यावरणविदों ने ही विरोध दर्ज किया। जिनकी जमीन डूबी, मकान डूबे उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, आज वहां पर जो दहशत है, उससे वहां के लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। वहां पर भूस्खलन हो रहा है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मस्दियाणा से मेरे विधान सभा क्षेत्र जाने के लिए पहले एक पुल था, जिसकी दूरी मात्र 05 किलोमीटर थी। मान्यवर, टनल टी–2 बन्द होने से यह पुल टूट गया है जिससे इसकी दूरी 155 किलोमीटर हो गयी है। मान्यवर, इसके कारण वहां की शिक्षण संस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, आम जनजीवन परेशान है। वहां स्वास्थ्य सेवाएं, व्यवसायिक गतिविधियां त्रस्त हो गयी हैं। मान्यवर, इस संबंध में वहां के लोगों ने तीन बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठकें की हैं। बैठक में उन्होंने आश्वस्त किया था कि आम जनजीवन का ध्यान रखा जायेगा और टनल टी–2 बन्द होने नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, भारत सरकार के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं चली, और उन्होंने टनल टी–2 बन्द कर दी। मान्यवर, टी0एच0डी0सी0 की वहां पर एक समानान्तर सरकार चल रही है, दुर्भाग्य से इसे रोकने में प्रदेश सरकार विफल है, इस पर सरकार का अंकुश नहीं है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मान्यवर, वर्ष 2003 में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी जिसमें वहां के जिला पंचायत सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि टनल टी–2 बन्द होने वाला है, जिसमें हमें आश्वस्त किया गया था कि उससे पूर्व उचित व्यवस्था की जाय। मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन प्रमुख सचिव, ऊर्जा जोकि वर्तमान में मुख्य सचिव हैं को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया था। तत्कालीन प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये थे कि तत्काल एक साल के अन्दर जब तक टिहरी टी–2 बन्द होती है और उसमें झील बननी प्रारम्भ होती है एक फेरी बोट लगायी जाय और उस फेरी बोट पर जो खर्चा आयेगा उसका वहन उत्तरांचल सरकार करे या फिर भारत सरकार करे यह व्यवस्था सरकार की है, यह बातें तय हुई। श्रीमन्, इसकी 20–7–2000 को निविदा आमंत्रित

की गयी और 19–9–03 को निविदा खोली गयी, यह 45 लाख की निविदा थी। मान्यवर, इसमें 10 टन के ट्रक को आर–पार उतारने की क्षमता थी, अगर वह लगा होता तो ठीक था, लेकिन हम को एहसास था कि यह हमारी मदद नहीं करेंगे इसलिए हम बार–बार कह रहे थे कि हमारी रक्षा करें। इस प्रदेश में अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो वह कैसे जी सकता है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गम्भीरता से हमारी बात सुनी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश किया तो चीफ सेक्रेटरी ने सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें तय हुआ कि वास्तव में इस तरह के लोगों को समस्या होगी तो बहुत मुश्किल बात है, इसलिए समस्या का समाधान शीघ्र करें। मान्यवर, 10–11–05 को चीफ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई, उसमें तमाम अधिकारीगण थे और प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। उसमें तय हुआ है कि नई टिहरी बांध पुनर्वास निदेशालय के द्वारा वर्तमान में स्यांसू हल्का वाहन पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य माह मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है किन्तु स्यांसू, मैंगा, चौधार मार्ग के समरेखन में जारी चट्टानों के कटान के कारण सड़क निर्माण कार्य माह जून, 2006 तक पूरा किया जायेगा। यह कमेन्टमेन्ट है और यह चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में है।

मान्यवर, दूसरा नई टिहरी से जाख एवं जाख से डोबरा तक लगभग 24 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार यह मोटर मार्ग जाख से डोबरा तक 13 कि0मी0 लम्बाई में हल्के वाहनों के लिए माह मार्च, 2006 तक तथा भारी वाहनों के लिए जून, 2006 तक निर्मित कर लिया जायेगा तथा जाख से नई टिहरी का मार्ग द्वितीय वरीयता पर निर्मित किया जायेगा। तद्नुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये। तो 2006 तक सड़क देने की बात है लेकिन यह आज तक नहीं हुआ। हिल बोट छोटे–छोटे हैं और फेरी बोट में आदमी जाते हैं सामान नहीं जाता है, तो मेरी प्रार्थना थी कि वहां के एक लाख जीवन के लिए व्यवस्था करनी है तो वहां पर बड़े फेरी बोट होने चाहिए। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौ करोड़ रुपया पुल देने के लिए प्राथमिकता से सिफारिश की है और भारत सरकार से भी और अपने प्रदेश के अधिकारियों से कहा कि पुल बनना चाहिए, निःसंदेह पुल बन रहा है, लेकिन उसके कार्य के पूर्ण होने का समय 2 वर्ष का है, तब तक वहां की जनता के ऊपर एक बहुत भयंकर समस्या आ सकती है। मान्यवर, वहां के डाक्टरों ने छोड़ दिया। मान्यवर, जब भूकम्प आता है तो जानवर बिल को छोड़ देते हैं यह भूकम्प की पहली पहचान है, इसी तरह से वहां के कर्मचारियों ने वहां रहना छोड़ दिया।

मान्यवर, आज स्थिति जो बांध के कारण वहां पर बन गई है कि वहां पर डाक्टर नहीं हैं, वहां खाद्यान्न के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आभारी हूँ अपने लोक निर्माण मंत्री जी श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी का उन्होंने सड़कें तो दी लेकिन निर्माण करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी वहां सुबह जाता है और जाने से पहले आने की सोचता है। मैं आभारी हूँ श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, शिक्षा मंत्री जी का जब वे भ्रमण में थे तब उन्होंने लिखकर हमारे पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। उन्होंने हमें बहुत विद्यालय दिये लेकिन वहां पर मास्टर नहीं हैं मास्टरों के बिना सारे विद्यालय खाली हैं।

चिकित्सा के सम्बन्ध में श्री बेहड़ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हॉस्पिटल तो दिये मगर वहां पर दवाईयां नहीं हैं और डाक्टर नहीं हैं। मान्यवर, मैं वहां पर सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने लोक निर्माण मंत्री जी का कि मेरे बार-बार कहने पर अब वह वहां पर जाने वाली हैं और वहां कि स्थिति को देखेंगी। मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए, आप यहां से सीधे निर्देशित करने का कष्ट करें। वहां की जनता के लिए विशेष प्रायरटी पर कार्य किया जाना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी से इस पर गम्भीरता से विचार करने को कहा कि हिमाचल में तीन चार स्थानों में उप जिलों की व्यवस्थायें हैं। आप जिला नहीं बना सकते हैं तो आप उप जिला बना दीजिए, उप जिला बनाने के लिए भारत सरकार की इजाजत की आवश्यकता सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आयुक्त श्री सुभाष कुमार जी को हिमाचल भेजा कि वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, आयुक्त हिमाचल गये और वहां की व्यवस्था से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि यहां भी वैसी ही व्यवस्था करने की कार्यवाही की जाय मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्रीमन्, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि वहां राशन में तीन गुना दामों में वृद्धि हो गयी है। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि जब तक अन्य कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक राशन ढुलान में छूट दी जाय। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी कि यह प्रस्ताव जनहित में स्वीकार किया जाय। इस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यहां पर बहुत मजबूर होकर कह रहा हूँ, मेरे पास तो ताकत और शक्ति नहीं है, ताकत और शक्ति तो आपके पास है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करना चाहें कि वहां पर उप जिले की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। इसको जल्द घोषित किया जाये। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मेरी तरफ से वहां जाकर घोषणा कर दें तो मैंने कहा कि आप कोई सरकारी प्रतिनिधि भेजें। उन्होंने कमिश्नर को भेजा, उन्होंने घोषणा कर दी कि आपका क्षेत्र पिछड़ा हो गया है, लेकिन आज तक शासनादेश निर्गत नहीं हुआ। इस प्रदेश का आदमी यह कैसे मानेगा कि वह सुरक्षित है। (व्यवधान) मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बांध पर आप कुछ दिन पहले (व्यवधान) हमारे उधर के भाई हंस रहे हैं। वहां पर मैंने देखा हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 14 करोड़ रुपये दिये थे, लेकिन वह सब कहां गया, किसको बंट पाया ? जब मैं पहली बार इस विधान सभा में चुनकर आया था तो तत्काल विधान सभा में मैंने कहा था कि इन 14 करोड़ रुपयों के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं भी चुप हो गया। (व्यवधान) इन 14 करोड़ रुपयों की जांच होनी चाहिए। मैंने मांग की थी सी०बी०आई० जांच की। आज भी मैं इसकी मांग कर रहा हूँ कि टिहरी बांध निर्माण की पूरी जांच होनी चाहिए जिससे पता चले कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, वो आठ हजार करोड़ रुपये का क्या हुआ ? आज भी लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिला है। पेड़ का, खलिहानों का मुआवजा नहीं मिला है। 1972 में इसकी स्वीकृति मिली थी।

जब सरकार को पता था कि उत्तरकाशी की सड़क को डूबना है, उसके विकल्प में आपने सड़क बना दी। लेकिन आपको पता था कि पुल भी डूबना है तो फिर पुल आज तक क्यों नहीं बनाया गया ? प्रतापनगर के लोगों को सुविधा नहीं दी गयी। यह सच्चाई है कि आप वहां पर दो पुल बना रहे हैं अगर इसकी जगह एक ही पुल बना देते तो लोगों को असुविधा न होती। 2002 से मैं मांग करता रहा हूं कि इसमें एक बड़ा पुल बनाया जाय, लेकिन टी0एच0डी0सी0 ने कहा कि आज की परिस्थितियों में ऐसा कोई पुल नहीं बन सकता है। इसके बाद जब मैं चुनकर आया तो मैंने बहुत गम्भीरता से इसमें कार्यवाही कर बड़ा काम किया। मैं सारी वेबसाइट की जानकारी लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और कहा कि अमेरिका में इस तरह के चार पुल बने हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को डांटा और कहा कि मैं रुपया दे रहा हूं शीघ्र पुल बने। यह उन्होंने बैठक में कहा तब अधिकारी हरकत में आये। मैं इसे अन्यथा नहीं ले जाना चाहता हूँ। हम तो कठिनाई भुगत रहे हैं, मैं आपको कठिनाई में नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारी मांग है, मैं अलग कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आज घोषणा कर दीजिए, सरकार को निर्देश दे दीजिए, जिस पुल के लिए मैंने कहा कि उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी थी, उसका पत्र मेरे पास है मैं उसको आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ।

(सम्बन्धित पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध कराया गया)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और मांग करना चाहता हूँ, माननीय खाद्य मंत्री जी बैठे हैं। चूंकि खाद्यान्न का जो निर्धारित कोटा होता है वह भारत सरकार की ओर से निर्धारित होता है, लेकिन यह हमारी एक विशेष जरूरत और विशेष मांग बन गई है प्रतापनगर क्षेत्र की। मान्यवर, पूर्व निर्धारित कोटे के अनुसार हमारी जनता को एक परमिट पर 10 किलो गेहूं और 24 किलो चावल मिलता है, लेकिन मान्यवर, जिस व्यक्ति का 10 आदमी का परिवार होगा वह महीने में 10 किलो गेहूं और 24 किलो चावल से कैसे काम चला सकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विशेष क्षेत्र प्रतापनगर के लिए विशेष रूप से भारत सरकार के पास आप कोटा बढ़ाने का अनुरोध करें। इस क्षेत्र की जनता को प्रति परमिट के आधार पर राशन न देकर प्रति यूनिट पर राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूँ उससे पहले मैं कुछ आंकड़े अपने क्षेत्र के आपके सामने रख रहा हूँ। मान्यवर, पूरे टिहरी जनपद के 9 प्रतिशत भाग में ही खेती होती है और 91 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है और उस 9 प्रतिशत भाग में 74 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 नाली जमीन ही है। और उस 5 नाली जमीन वाले 74 प्रतिशत लोगों में प्रतापनगर का ही 50 प्रतिशत से अधिक भाग है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इतने विपन्न इलाके के लिए आप खाद्यान्न कोटा अवश्य बढ़ायें। मान्यवर, आज वहां लोगों में बहुत आक्रोश है, लोगों ने टिहरी बांध के लिए अपनी जमीन छोड़ी है लेकिन वहां की दुर्दशा हो रही

हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्रीगण वहां पर आयें लेकिन कोई मंत्रीगण वहां पर नहीं आते हैं, शायद इसीलिए नहीं आते हैं कि कोई कुछ कह न दे।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय इन्दिरा जी, जो लौह महिला हैं, वह आपके क्षेत्र में आ रही हैं।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में कोई नहीं आता, अभी हमारे हरीश रावत जी वहां पर आये तो वहां पर लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके और..............।

(शेम–शेम की ध्वनि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, पत्थर न डलवाने की गारंटी माननीय सदस्य दें तो जाया जा सकता है।

(हंसी)

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसकी गारन्टी मैं नहीं दे सकता हूं कि क्योंकि लोगों ने वहां पर अपना आपा खो दिया है, लोगों में आज वहां पर रोष है, असंतोष है। मान्यवर, टिहरी बांध भारत की भाग्य रेखा बनने जा रहा है, भारत की खुशहाली की रेखा बनने जा रहा है तो उसके लिए जिन लोगों ने त्याग किया है, उस प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों को भी मान्यवर, आप लोग अपने से जोड़ लें। मेरा और कुछ नहीं कहना है। अन्त में माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी पीड़ा को इस सदन में सुना।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ आरोप भी लगाये हैं तो मैं उनका भी उत्तर देना चाहता हूँ और माननीय सदस्य श्री फूल सिंह बिष्ट जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं, मैं उन पर बल देता हूं और मैं इसको स्वीकार करता हूँ।..............

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपको इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो अपनी सरकार के सामने अपनी बातें रखी हैं और वे अभी उसका उत्तर भी देंगे। आपके बारे में मैं कुछ कहना भूल गया था।

मान्यवर, आप भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और मैं भी ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि टिहरी बांध के लिए भारत सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक समन्वय कमेटी बनी हुई है। कमिश्नर

गढ़वाल मण्डल इसके अध्यक्ष हैं। टिहरी के विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष इसके पदेन मेम्बर थे। टिहरी बांध के पुनर्वास का सारा काम इस कमेटी ने कराया है। 11 वर्षों में आपकी सरकार ने वहां के लोगों को सबसे बड़े संकट में डाला है। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। 2002 में हमारी सरकार आयी। मैंने 2002 से 2006 तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जनहित की कार्यवाही को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार इनके प्रति कितनी गम्भीर है। आपके 18 महीने के शासन में 14 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। परिसम्पत्तियों का बंटवारा किस आधार पर हुआ ? इसकी सी0बी0आई0 जांच की जाए तो सारी बातें सामने आ जायेंगी। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का संरक्षण चाहता हूँ। आपके समय में जो 14 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, उसकी सी0बी0आई0 जांच जरूरी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने जो बात रखी वह सच है। वास्तव में विकास खण्ड, प्रताप नगर की जनता बहुत पीड़ित है, परेशान है। उनको यातायात की कोई सुविधा नहीं है। अगर प्रताप नगर से उनको नई टिहरी आना है तो या तो उत्तरकाशी होकर नई टिहरी आएं या फिर दूसरा रास्ता घनसाली से नई टिहरी आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां की जनता को ट्रक भाड़े के रूप में और बस किराये के रूप में दो गुना–तीन गुना तक पैसा देना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भारत सरकार या टी0एच0डी0सी0 या उत्तरांचल सरकार उनके बढ़े हुए ट्रक भाड़े, बस किराये को वहन करे। यह सुविधा उनको अवश्य मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दो बड़े पुल यातायात के लिए बनने चाहिए। टी–2 टनल बन्द होने से पूर्व ये पुल बन जाने चाहिए थे। मान्यवर, माननीय बिष्ट जी ने जो दूसरा बिन्दु रखा, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ही टिहरी बांध में गति आयी। आज जो टिहरी बांध पूरा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी जब ऊर्जा मंत्री थे तो उन्होंने इसमें ऐतिहासिक काम किया। आपने 14 करोड़ की बात कही। हम तो खुले आम चुनौती दे रहे हैं कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच करायें। अगर हम दोषी पाये गये तो आपके सामने कह रहा हूँ कि राजनीति से विरति लूंगा। अगर आपका आरोप गलत हुआ तो फिर आप जानें। आप भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं, वर्तमान सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने वर्तमान सरकार की बात भी कही। पूर्ववर्ती सरकार के समय में 1991 से 2002 तक जिला पंचायत के अध्यक्ष विधायक, भारतीय जनता पार्टी के थे, जो इसके लिए उत्तरदायी रहे। उस समय भारत सरकार की टी0एच0डी0सी0 ने पैसा दिया। योजना बनाना ग्रेवान्स कमेटी का काम था। लेकिन वह पैसा कहां गया ? कहां पर उसे खर्च किया गया ? इसकी जांच करवा लीजिए कि इसके लिए कौन दोषी है, किसकी वजह से वह नहीं बना है ?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक सत्तापक्ष के हैं और सत्तापक्ष के विधायक इस प्रकार से गिड़गिड़ाएं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सी0बी0आई0 की जांच करवाते और दोषी व्यक्ति को दण्डित करवाते तो एक बात थी। आपकी सरकार में दम नहीं है। मैं इस पर बल देता हूँ चाहे वह कोई व्यक्ति हो कितने ही बड़े पद पर हो यदि गलत काम किया है तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए। यदि आरोप सही हैं तो सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए यदि आप असत्य हैं तो आप जानिए।

* श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं भी अपने को इस प्रश्न से जोड़ता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठिए। माननीय मंत्री जी को कहने दें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, थोड़े समय में अपनी बात को कहूंगा। मान्यवर इससे बालगंगा, भिलंगना के निकटवर्ती गांव प्रभावित हैं। मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, माननीय फूलसिंह बिष्ट जी द्वारा रखी गयी सूचना पर अपना बल देता हूँ। श्रीमन्, आज टिहरी बांध के टनल दो के बन्द किये जाने से भागीरथी, बालगंगा और भिलंगना घाटी की जो उर्वरा भूमि थी वह डूबती जा रही है और लगभग डूब गयी है। हम सभी लोगों ने वहां के लोगों को उस समय समझाया था कि आपके त्याग और बलिदान से 2400 मेगावाट बिजली पैदा हो जायेगी तो यह देश और प्रदेश के निर्माण के लिए बहुत बड़ी बात होगी और भविष्य में आपके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। लेकिन आज टिहरी बांध से प्रभावित जो लोग हैं जैसे भिलंगना घाटी, बालगंगा और पटागली, पिलखी घाटी, असेना गांव हैं वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, पटागली का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा वहां के लगभग 14 परिवार जिनकी खेती की जमीन डूब गयी है और उनके आवास भी डूब गये हैं लेकिन अभी तक वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आए हैं वह पैदल सड़क पर हो गये हैं उन्होंने कहीं और शरण ले रखी है। ऐसे परिवार हैं जो टिहरी बांध की इस विशालकाय झील में जिनकी खेती डूब गयी है। पटागली गांव के 14 परिवारों क्रमशः ठगे सिंह, उदय सिंह, गुलजारी सिंह, सत्ये सिंह, गोविन्द सिंह, प्रेम सिंह, देवी सिंह, वीर सिंह, वालम सिंह, रणवीर सिंह, शरण सिंह, अहिल्या देवी ऐसे परिवार हैं जिनकी सम्पूर्ण भूमि आर0एल0 760 से आर0एल0 831 के मध्य स्थित है फिर भी वे पात्रता की श्रेणी में नहीं हैं। जब कि पानी का जलस्तर आर0एल0 785 मीटर पहुंच चुका है। उनकी भूमि आर0एल0 785 के करीब है। यह क्षेत्र पूरे जलमग्न हो गये हैं। उनको मुआवजा नहीं मिला है। वे लोग अब वहां से पलायन कर दूसरी जगहों में शरण लिए हुए हैं। मान्यवर, टिहरी बांध से जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए जो पटागणी गांव के 14 परिवार हैं उनको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए। यह संकट उनके लिए दैवी आपदा के समान है, वे बेघर हो गये हैं, उनके खेत डूब गये हैं। इसी प्रकार से असैन गांव से लगभग 28 लाख टन पत्थरों का ढुलान किया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाईनामाइट के प्रयोग से अनेक मकान चटक गये हैं, जर्जर हो गये हैं, वे लोग आज दुःखी हैं, जिनके मकान ऊंची चोटी पर थे, घाटी पर थे उनके तमाम खेत, सिंचाई हौज और चीजें जलमग्न हो गयीं। मान्यवर, मैं इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर जो टिहरी बांध टनल टी–2 से प्रभावित लोग हैं, जिनके मकान डूबे हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिला, पुनर्वास नहीं हुआ है। इनके लिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे 14 परिवार, जिनका सब कुछ तहस–नहस हो गया है, जिनकी सम्पत्ति जलमग्न हो गयी है, जिनको आज की तारीख तक कोई पैसा नहीं मिला उन्हें पुनर्वासित किया जाय, ऐसी मांग करता हूँ। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, टिहरी बांध के निर्माण से इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, इसका निर्माण आज से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के समय से चला रहा है, जिसका निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया था। मान्यवर, टिहरी बांध से सम्बन्धित टनल टी–1, टी–3, टी–4 पहले ही बन्द हो गयी थी, केवल एक सुरंग संख्या: टी–2 के बन्द न किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका योजित की हुई थी जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2006 को सुनवाई करने के उपरान्त जनहित में सुरंग संख्या टी–2 बन्द करने पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था। तदोपरान्त दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 को ही सुरंग संख्या टी–2 बन्द कर दी गयी। टिहरी बांध टनल संख्या–2 बन्द किये जाने के फलस्वरूप डूब क्षेत्र में आर०एल० 7960 मी० तक प्रभावित परिवारों को उनकी डूब क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि एवं भवनों के प्रतिकर सहित अन्य देय सुविधाओं का भुगतान "पुनर्वास नीति–1998" के अनुसार किया जा चुका है। आर०एल० 760 मी० तक समस्त विस्थापितों को अन्यत्र नये पुनर्वास स्थलों पर अन्तरित किया जा चुका है। आर०एल० 760 से 790 मी० के मध्य निवासरत पात्र विस्थापित परिवारों को उनकी परिसम्पत्तियों का भुगतान भी किया जा चुका है। आर०एल० 790 मी० से ऊपर रह रहे पात्र परिवारों की परिसम्पत्तियों के भुगतान एवं पुनर्वास की कार्यवाही भी गतिमान है, जोकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 01–09–2003 के अनुसार टिहरी बांध के जलाशय में जलस्तर बढ़ने के साथ–साथ पुनर्वास का कार्य किये जाने से है। ग्रामीण पुनर्वास के अन्तर्गत कुल प्रभावित परिवारों की संख्या 9239 है जिसमें से पात्र विस्थापितों की संख्या 5429 में से 4927 पात्र विस्थापितों को पुनर्वास की सुविधाएं दी जा चुकी हैं। अवशेष 502 परिवार जो आर०एल० 790 मी० से ऊपर निवासरत हैं उक्त परिवारों का पुनर्वास का कार्य गतिमान है।

मान्यवर, 67 लोगों को पुनर्वासित होने वाले परिवारों की व्यवस्था वीरभद्र, पशुलोक, देहरादून में किया, 18 परिवारों को पथरी ब्लॉक हरिद्वार में, 72 परिवारों को पथरी रोड सुमननगर, हरिद्वार में, 8 परिवारों को शिवालिक नगर, हरिद्वार, 41 परिवारों को रोशनाबाद, हरिद्वार में तथा 296 बचे परिवारों की संख्या जिन्हें न्यूनतम नगद प्रतिकर देकर पुनर्वासित किया जाना है। इस प्रकार 502 परिवारों के लिए सरकार द्वारा पूरा कार्य

किया जा रहा है। मान्यवर, झील में जल भराव के कारण आवागमन के कुछ पुल एवं मार्ग जलमग्न–अवरुद्ध हो गये हैं। मान्यवर, आपने उल्लेख किया कि आवागमन की कठिनाई हुई। मैं भी कई बैठकों में शामिल हुई जिसमें प्रतापनगर क्षेत्र से होकर उत्तरकाशी आना पड़ता है। पुल बनाने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से लेकर सभी जगह वार्ता की। मान्यवर, इस समय वहां पर तीन फेरी बोट संचालित हैं, इसमें 2 बोट 55 आदमियों की है और एक बोट 28 व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए है, बड़ी बोट न होने के कारण सामान ले जाने में दिक्कत है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, तीन बोट संचालित हैं पर वह प्रतापनगर क्षेत्र के लिए नहीं हैं, वह धाम वाले क्षेत्र के लिए हैं, माननीय उपाध्याय जी के क्षेत्र के लिए है। मान्यवर, प्रतापनगर में एक ही है। मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2003 में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है कि एक बड़ा फेरी बोट लगाया जाय जिससे लोडेड ट्रक आ सके।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बड़ी फेरी बोट जिसमें बस, गाड़ियाँ, ट्रक जा सकें, उनके बारे में बात हुई थी, ऐसी फेरी तलाशी जा रही है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसका टेण्डर 2003 में 45 लाख का हुआ था। वे फेरी बोट के लिए तैयार हैं, तो आप कर सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है, शासन का आदेश है तो उसका अनुपालन कराया जायेगा। मान्यवर, भूस्खलन की जांच हेतु जी0एस0आई0 को नामित किया गया है, जिसका सर्वेक्षण एक माह में पूरा कर लिया जायेगा। सियांसू पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। चौंबार के पास सड़क है, जाख छोण्डा मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है। नई टिहरी जाख का निर्माण चल रहा है। डोमरा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शहर के दुकान व्यवसाइयों को जो धनराशि वितरित की गयी उसके फलस्वरूप काम कराया गया। मान्यवर, प्रतापनगर तहसील का टिहरी झील से प्रभावित क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसका शासनादेश हो गया है। राशन सामग्री के ढुलान का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वहां पर राशन की सामग्री की ढुलान की व्यवस्था है।

श्री फूल सिंह–

मान्यवर, ढुलान की व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर यह सूचना सत्य है तो इसकी जांच करायेंगे। इसके लिए निर्देशित करेंगे कि इसमें सरकार द्वारा वहन नहीं किया जा रहा है इसे वहन किया जाय। आपने कई बातें बताई, मुख्यमंत्री जी की उच्च स्तरीय कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी हुई है, जो उनके कमेटमेंट हैं उन्हें पूरा किया जायेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से आज ही बात करूंगी। मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व सौंपा है उसे टाईम बाउन्ड किया जायेगा सिवाय निर्माण के, क्योंकि यह तो एक दिन में नहीं हो सकता है। शेष अन्य सभी कार्य जो शासन स्तर पर हैं उनको तत्काल किया जायेगा। टिहरी बांध को उत्तर प्रदेश ही नहीं 6 राज्य हमारी ओर टकटकी लगाये हैं कि हमें बिजली मिल जाये। मान्यवर, हमारा दायित्व है कि जो कमेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिये हैं आप उन्हें मुझे उपलब्ध करा दें मैं चीफ सेक्रेटरी को फोन से अवगत करा दूंगी।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि वहां पर जो अधिकारी जाता है, वह जाता बाद में है आने की पहले सोचता है। वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर चार–पांच इन्सपेक्शन हाउस बना दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप जगह बता दें हम दो महीने में बना देंगे। विभागीय जमीन जहां–जहां है वहां पर फॉरेस्ट और पी0डब्ल्यू0डी0 अन्य जो विभाग बना सकते हैं। सदन में मैंने बोल दिया है मैं चीफ सेक्रेटरी को कह दूंगी। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन मंत्री जी से कह दूंगी। दो ही बड़े इन्सपेक्शन हाउस बन जाये, कार्य हो जायेगा। यह तो आपका व्यक्तिगत है नहीं।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, वहां पर ट्रेजरी नहीं है इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय मुख्यमंत्री जी की हर बात को गम्भीरता से लेते हैं, जो उन्होंने आश्वासन दिये हैं आप उनको बनाकर मुझे दे दें। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके जो कार्य राज्य सरकार से किये जाने हैं उनको तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है। पुल आदि का निर्माण अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो भविष्य में दीर्घकालीन हैं वे प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ हो जायें। यह टिहरी के हिस्से में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वहां टिहरी बांध की स्थापना हुई है, वहां रहने वाले पीड़ित न हो, इन कार्यों को आज ही से पूरा कराने के लिए कार्य करेंगे (मेजों की थपथपाहट) 8–10 दिन के अन्दर आपको शासनादेश प्राप्त हो जायेंगे।

उत्तरांचल में गो–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाये, के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत दि0 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गो–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाये।"

महोदय, उत्तरांचल देवभूमि है और विश्व के लोग भी यह मानते हैं कि भारतवर्ष के अन्दर अगर कोई पवित्र स्थान है तो वह उत्तरांचल है। लेकिन राज्य बने हुए लगभग साढ़े छः साल से अधिक का समय हो गया है और प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गो–हत्या का प्रकरण सामने आता है तो मान्यवर, जिस भाव के साथ इस राज्य की कल्पना की गयी थी तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के मन को पीड़ा पहुंचती है। क्योंकि भारतवर्ष के अन्दर प्राचीन काल से ही गाय का महत्व रहा है। जब यूनान के सुल्तान सेल्यूकस का राजदूत भारत आया था तो उसने कहा था कि भारत में दूध, दही की नदियां बहती हैं। गो–रक्षा के विषय पर इस पूरे भारतवर्ष में क्रान्ति हुई है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी कारतूस में गाय की चर्बी मिलाने की वजह से हुआ था। उस समय मांग उठी थी कि ये कारतूस बन्द होने चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि श्री गंगाधर तिलक जी ने 1920 में अपनी पत्रिका केसरी में लिखा था कि "भारत के स्वतंत्र होने पर सर्वप्रथम कलम की नोंक से भारत की पावन भूमि को गो–हत्या के पाप से सदैव के लिए मुक्ति दिलायी जायेगी।" महोदय, हमारे यहां मुख में निवाला डालने से पहले गो–ग्रास की मान्यता है, कन्या की शादी से पहले गो–दान की व्यवस्था है। आज पूरे उत्तरांचल में माननीय मुख्यमंत्री जी के सफ़ेद बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा होता कि आप पूरे देश में गो–धन के महत्व के बोर्ड लगाये तो उत्तरांचल ऐसा राज्य बन सकता है जो पूरे भारतवर्ष को दूध की व्यवस्था कर सकता है। 100 करोड़ की इस आबादी में गो–धन मात्र 20 करोड़ ही है। एक कहावत है कि जिस घर में गाय का पालन नहीं किया जाता है उस घर में कोई धन ही नहीं होता है, वह दरिद्रता का प्रतीक होता है। एक व्यक्ति को 220 ग्राम दूध प्रतिदिन चाहिए। हमारे यहां खेती में रसायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है जबकि विदेशों में इस बात की होड़ लगी है कि गोबर की खाद से फसलें उगायी जायें। कुल दुग्ध उत्पादन में 44 प्रतिशत गो–वंश से प्राप्त होता है। यदि हमारी सरकार प्रयास करे तो उत्तरांचल भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ सकता है। इस सम्बन्ध में गुजरात का उदाहरण हमारे सामने है। गाय के प्रति लोगों के मन में भाव जाग्रत करने की आवश्यकता है कि दूध के महत्व को बनाये रखें। मान्यवर, कानपुर में एक गो–वंश संरक्षण परिषद् बनायी गयी है। उसने गायों के गोबर से चलने वाला जनरेटर बनाया है इससे पूरे गांव को बिजली सप्लाई की जाती है।

इस तरीके के प्रयोगों पर हमें भी विचार करना चाहिए। मान्यवर, आज अमेरिका ने गो–मूत्र को सबसे बड़ा एण्टीबायोटिक माना है और उस पर निरन्तर शोध कर रहे हैं और उन्होंने उसका पेटेन्ट भी करा लिया है। मान्यवर, मेरा मानना है कि यह गो–वंश संरक्षण कर हमारे उत्तरांचल में इसे भी आय का महत्वपूर्ण साधन बनाया जा सकता है, सरकार को गम्भीरता से इस विषय पर प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, मैं आज यह भी कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तरांचल में गायों की तस्करी बढ़ गई है। आज टिहरी ऋषिकेश मार्ग के बीच में और वहां से रायवाला पुल तक गो–तस्करों की आवाजाही बढ़ गई है। टिहरी ऋषिकेश मार्ग से गो–तस्कर आगराखाल नरेन्द्रनगर के बीच कच्चे रास्ते से उतर कर जंगल के बीच से होते हुए रायवाला और लक्सर के आसपास निकल जाते हैं और वहां पर बेरोजगार युवकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, गायों को हरिद्वार पुल पार कराने के लिए 300–400 रुपये यह लोग दे रहे हैं। मान्यवर, इसके प्रमाण के रूप में कुछ दिनों पहले तपोवन चौकी, मुनि की रेती में तस्कर पकड़े गये थे। इसके अलावा विकास नगर में मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि वहां पर गो–मांस पकड़ा गया है। मान्यवर, बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग के मध्य में जो गायें खुली घूमती रहती हैं उनको भी पकड़कर ट्रकों में भरकर ले जाते हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में गो–तस्करी के कुछ केन्द्र ही बन गये हैं उनमें से प्रमुख हैं कोटद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, लक्सर, ज्वालापुर और ऊधमसिंह नगर, इसके अलावा विकास नगर, सहसपुर क्षेत्र नयागांव और पेलियो गो–तस्करों का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। इसके अलावा डोईवाला पशुओं का बाजार भी संदेह के घेरे में है।

मान्यवर, इसके अलावा जो डेयरी मालिक होते हैं उनके यहां जब तक गाय दूध देती है तब तक तो वे उनकी देखभाल करते हैं लेकिन जब वह दूध देना बन्द कर देती है तो उनका क्या होता है यह भी विचारणीय प्रश्न है, इस बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अनुपयोगी दूध न देने वाली गायों के साथ डेयरी मालिकों द्वारा क्या व्यवहार किया जाता है ? इसके अलावा जो सरकारी डेयरियां हैं जैसे अभी भरारीसैंण में नीलामी होती है तो उसके बारे में भी लोगों में भ्रांतियां हैं कि किस कारण से नीलामी की गयी और कहां अब वह गाय जा रही है। कहीं वहां से भी इनकी तस्करी तो नहीं हो रही है ? इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जिससे गायों की तस्करी को रोका जा सकता है। सबसे पहले गो–वंश का ढुलान जिन गाड़ियों से किया जाता है उसके लिए छोटी टोयटा गाड़ी का प्रयोग होना चाहिए और उसमें 2 पशुओं से अधिक नहीं हो सकते हैं, ऐसा नियम हो। इनके ढुलान के लिए यह भी आवश्यक है कि ट्रक हवादार हो और उसमें चारा पानी हो और एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादना पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना चाहिए। मान्यवर, इन ट्रकों के पास पशु चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र भी होना आवश्यक है। मान्यवर, इसके अलावा इन ट्रकों के बाहर यह लिखा होना चाहिए कि यह गायें कहां से आई हैं और इन्हें कहां जाना है।

मान्यवर, आज जब पुलिस कोई शराब का ट्रक पकड़ती है तो उसमें जो पुलिस
कर्मी हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और मीडिया में भी आता है लेकिन जब कोई गाय
तस्करों का ट्रक पकड़ा जाता है तो उनको दंडित किया जाता है और इस वजह से यह
लोग इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि इनको
भी पुरस्कृत करने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। मान्यवर, जिस प्रकार से
हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को अपने राज्य के चिन्ह के रूप में
लिया है उसी प्रकार से हमें गो–माता को भी अपने चिन्ह के रूप में अंगीकृत कर लेना
चाहिए। मान्यवर, गो–वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। मेरा अनुरोध है कि इनके संरक्षण
के लिए हमें योजना बनानी चाहिए और उत्तरांचल में गो–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने
के लिए सरकार को अवश्य ही कानून बनाना चाहिए। अन्त में, मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः
बल देता हूँ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय सदस्य काफी विद्वान हैं। उनकी जानकारी में है कि प्रदेश में
गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं उन पर अत्याचार को रोकने हेतु पूर्ववर्ती राज्य उत्तर
प्रदेश में प्रचलित नियमों, अधिनियमों को अनुकूलित एवं उपान्तरित कर लागू कर दिया
गया है। उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999, उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली,
1964, उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम,
1955 को यहां पर लागू कर दिया गया है। गोवंशीय पशुओं पर अत्याचार को कठोरता
से प्रतिबन्धित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उक्त प्रचलित अधिनियम, नियमों को, दण्ड
के प्राविधान को अपेक्षाकृत अधिक कठोर बना दिया गया है ताकि उक्त अधिनियमों,
नियमावलियों के उल्लंघन का कोई दुस्साहस न कर सके। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण
अधिनियम, 1955 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के मूल अधिनियम की धारा 8
की उपधारा (1) में तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा निर्धारित अर्थदण्ड रुपया एक हजार
के स्थान पर अर्थदण्ड की धनराशि को बढ़ाकर रुपया दस हजार कर दिया गया है। इस
अधिनियम के मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में साधारण कारावास तीन वर्ष
तथा निर्धारित अर्थदण्ड रुपया दो सौ के स्थान पर रुपया पांच हजार कर दिया गया है।
इस अधिनियम के साथ प्रदेश में पशु क्रूरता को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की
धारा 428 में प्राविधान निहित है तथा पुलिस एक्ट के अध्याय 14 एवं 15 में भी पशुओं
पर क्रूरता को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्राविधान उपलब्ध है। मान्यवर, पशु क्रूरता
निवारण अधिनियम, 1960 के अध्याय तीन में उल्लिखित किसी भी प्रकार के पशुओं के
प्रति क्रूरता के विरुद्ध दण्डात्मक प्राविधान निहित है। पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की
धारा 11, 12 एवं 13 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन अधिनियम की धारा 32 एवं 34 सर्च
एण्ड सीजर के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने हेतु पुलिस विभाग की भांति
राजकीय पशु चिकित्सालय पर पदस्थ समस्त पशु चिकित्साधिकारियों तथा अन्य विभागीय

पशु चिकित्साधिकारियों एवं वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारियों को उनके विधिक कार्य क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार ने एक राज्य स्तरीय पशु कल्याण परिषद् का गठन किया है। जोकि अपना कार्य कर रही है। इसकी जानकारी सभी को है। इस प्रकार प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण हेतु अत्यन्त संवेदनशील है तथा गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु प्रतिबद्ध है।

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, जब पहले यह विषय यहां पर आया था तो उसके बाद से बहुत सारी घटनाए सामने आयी हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सरकार आज यहां पर एक घोषणा करे। अनेक गोवंशीय पशु ऐसे हैं, जो दूध नहीं देते हैं तो उनकी दुर्गति हो जाती है। जिला हेड क्वार्टर में जिला पशु केन्द्र है, जो पशु दूध नहीं देते हैं, आवारा हैं या जिनकी कोई देख-रेख नहीं करता है, वहां पर उनको रखा जाय। या कोई ट्रस्ट इन्हें लेना चाहता है, तो उनको दिया जाय। क्या सरकार आज ऐसी घोषणा करेगी ? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि क्या आपका पशुपालन विभाग केवल चारा खाने के लिए बैठा है ? सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि प्रदेश के अन्दर जो गोवंशीय पशु हैं, जिनकी कोई देख-रेख नहीं करता है, उनके लिए जिला स्तर पर गो सदन बनाकर, उनको वहां पर रखा जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, ऋषिकेश स्थित पशुलोक में इस प्रकार की व्यवस्था है। उसी का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। उसी का संचालन ठीक प्रकार से हो जाय तो बहुत बड़ी बात है।

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, जिले के अन्दर जो पशु हैं, उनको पशुलोक तक लाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, हमने गो हत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, इसके लिए परिषद् का गठन कर दिया है और पशुलोक तो पहले से ही बना हुआ है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, आपने परिषद् तो बना दिया है लेकिन इसने अभी तक काम क्या किया है ? सभी 13 जिलों के नगरीय क्षेत्र में आज आवारा पशु सड़कों में घूमते रहते हैं, उनकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं।............

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, कानून बना हुआ है। उसका अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन के लिए नियम बने हैं कानून है और अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन कराया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महेन्द्र भट्ट जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, सरकार द्वारा हमारी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है। इसलिए मैं इस पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल राज्य में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाय के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत दि0 21 अक्टूबर, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहां हमारे पूरे देश में चारधाम हैं वहीं उत्तरांचल में इस छोटे से राज्य में भी चारधाम हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में चारधाम श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हैं। चारधाम के रूप में जो देश का एक महत्वपूर्ण परिपथ है वह इस राज्य में भी स्थित है। भारतवर्ष में चारधाम के दर्शन के लिए लाखों यात्री यहां आते हैं। यह संख्या लगभग 12 लाख से 15 लाख के बीच में होगी। यह चारधाम हिमालय में स्थित हैं वह हिमालय की बहुत ही अनुपम पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की मानवजाति की अनमोल धरोहर है। देश के सभी कोनों से भक्तगण अपने मन में अपार श्रद्धा लेकर यहां पर आते हैं। मान्यवर, इस संख्या को किस प्रकार से बढ़ाया जाय यह हमारा प्रमुख संसाधन हो सकता है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले लाखों यात्रियों को किस प्रकार से सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें, हम किस प्रकार से उन्हें आकर्षित करें कि पूरे देश के अन्दर इन चार धामों में आने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो। मान्यवर, इन चारधामों की अपनी एक अलग विशेषता है। जो इन चारधामों को जल मिलता है वह अलग–अलग चार नदियों से मिलता है यमुना को यमुनोत्री से, भागीरथी को गंगोत्री से, केदारनाथ को मंदाकिनी से और बद्रीनाथ जी को अलकनन्दा से मिलता है। मान्यवर, आज जो चारधाम की यात्रा प्रारम्भ होती है वह प्रमुख रूप से यह यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार, देहरादून से प्रारम्भ होती है। लेकिन यदि हम कनेक्टीविटी की बात करें तो हम केवल देहरादून में ही यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं। लेकिन अन्य शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का नितान्त अभाव है। इन्फ्रास्ट्रक्चर सही न होने के

कारण बाहर के लोग यहां पर तीर्थ यात्रा में या पर्यटन के रूप में कम आते हैं। क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं और जब वे यहां पर आते भी हैं तो उन्हें यह स्वयं महसूस भी होता है। मान्यवर, तीर्थ यात्री हरिद्वार और ऋषिकेश में इसलिए भी अधिक संख्या में आते हैं क्योंकि उनके मन में मां गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा है। हरिद्वार के बारे में प्रचलित है कि भगवान विष्णु और शंकर का द्वार है। हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। लेकिन मान्यवर, आज जब हम यात्रा आरम्भ करते हैं तो जो तीर्थ यात्री या पर्यटक आते हैं उन्हें वह सुविधा हम नहीं दे पाते हैं।

मान्यवर, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है। परन्तु हरिद्वार से अन्य स्थानों के लिए बहुत ही कम बसों का संचालन किया जाता है। मान्यवर, यहां पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम की बसें रहती हैं, लेकिन उनका अपना एक निश्चित समय होता है। यदि यहां पर आठ–नौ सौ यात्री आ जाते हैं तो वे ऋषिकेश आ जाते हैं और वहां पर भी नम्बर लगता है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत ही असुविधा होती है। इसी कारण जो आज हमारी तीर्थ यात्रियों की संख्या हजारों में है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि यहां पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो और जो यह हजारों की संख्या है वह करोड़ों में परिवर्तित हो। मान्यवर, मैं एक उदाहरण मां वैष्णों देवी जी का देना चाहता हूँ। वहां पर प्रत्येक दिन 30 हजार से लेकर 40 हजार तक यात्री जाते हैं, जबकि वहां पर पैदल मार्ग है। जो वहां की पैदल व्यवस्था है, वह देखने लायक है, वहां पर यात्रियों की सुविधा का पूरा–पूरा ध्यान रखा गया है कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। हमें भी यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और यहां के बारे में जानकारी देनी होगी। मान्यवर, पहले ऋषिकेश और हरिद्वार से अनेक रोडवेज की बसें चलती थीं, परन्तु अब वे सारी गाड़ियां बन्द कर दी गयी हैं। सुबह हरिद्वार से गोपेश्वर मण्डल, हरिद्वार से हर्षिल, हरिद्वार से जोशीमठ, हरिद्वार से टिहरी के लिए बसें थी, परन्तु अब वे बन्द हैं। मान्यवर, चारधाम यात्रा के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए था उसका भी अभाव है, इसका मूल कारण यात्रा की सही जानकारी न देने का है। मान्यवर, अक्सर होता यह है कि यात्री आता है और वह सीधे बस में बैठकर बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट आता है। जबकि परम्परागत रूप से यात्रा की शुरूआत पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। सर्वप्रथम यमुनोत्री–गंगोत्री–केदारनाथ–बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान किया जाता है। मान्यवर, ऐसे बोर्ड जगह–जगह लगे होने चाहिए, एड के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए।

मान्यवर, अभी भी समय है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, यदि हम चारधाम आने वाले यात्रियों को आकर्षित करें और इन मार्गों के बीच में पड़ने वाले शहरों और मंदिरों की जानकारी दें तो इससे प्रदेश का और विकास हो सकता है। मान्यवर, जैसे हरिद्वार से ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करते हैं तो ऋषिकेश और यमुनोत्री के बीच में पड़ने वाले स्थान नरेन्द्रनगर, चम्बा, परासू, उत्तरकाशी, गंगोरी, मनेरी, भटवाड़ी, गगनानी, सुखीटोप, हर्षिल, भैरव घाटी आदि रमणीक स्थानों की जानकारी भी दी जानी

चाहिए और इन स्थानों पर यात्रियों को ठहरने की अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। वर्तमान में हर आदमी पैसा खर्च कर सुविधाएं चाहता है। यदि यहां पर सुविधाएं मिलेंगी तो तभी वह पैसा खर्च करेगा। मान्यवर, इन स्थानों का कहीं न कहीं अपने आप में एक महत्व है।

मान्यवर, इस प्रकार से हरिद्वार–ऋषिकेश से गंगोत्री जाते हैं तो अनेक मार्ग पड़ते हैं जैसे उत्तरकाशी, गंगोरी, नेताला, मनेरी, भटवाड़ी, गगनानी, सुखीटोप, हर्षिल, भैरव घाटी, गंगोत्री जैसे स्थान हैं इन स्थानों का उल्लेख कहीं नहीं है। इस प्रकार केदारनाथ–बद्रीनाथ के बीच के कुछ स्थलों का उल्लेख करना चाहता हूँ जैसे जंगलचट्टी, रामबाड़ा, गुरुचट्टी, केदारनाथ। इसी प्रकार से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, विष्णुप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविन्द घाट, हनुमान चट्टी, श्री बद्रीनाथ इन सारे मार्गों के बारे में बतायेंगे तो यात्री आकर्षित होंगे लेकिन चारधाम के नाम पर यात्रा सिमट जाती है, उससे आगे जाने की नहीं सोचते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने का हमारा कार्य होना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां पंचकेदार हैं उसमें रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मद्महेश्वर मार्ग हैं इनकी भी जानकारी ठीक प्रकार से होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पंचप्रयाग के बारे में लोग कहते हैं कि हमें स्नान करना है तो जानकारी होगी तो जायेंगे, तो इसकी व्यवस्था बनाई जाय। मान्यवर, पंचबद्री की जानकारी सरकार और विभाग के माध्यम से दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसी प्रकार से सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लोग जाने में इसलिए भी डरते हैं कि कहीं भू–स्खलन न हो जाये नहीं तो 8 दिन और चले जायेंगे। उनको बस टैक्सी वाले भी डरा देते हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस चारधाम को और आकर्षित बनायें, तो इससे निश्चित रूप से यात्रियों की संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है।

आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए की गयी सुनियोजित

कार्यवाही के फलस्वरूप पर्यटकों के आगमन में वर्तमान में राज्य 5वें स्थान पर है। वर्ष 2004 में लगभग 1.39 करोड़ घरेलू पर्यटक तथा 74 हजार विदेशी पर्यटक राज्य में आये थे। इसकी तुलना में वर्ष 2005 में 1.63 करोड़ घरेलू पर्यटक एवं 93 हजार विदेशी पर्यटक प्रदेश में आये थे। इस प्रकार वर्ष 2004 की तुलना में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 18 प्रतिशत एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में 24 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चारधाम क्षेत्र में भी पर्यटकों/यात्रियों में आशातीत वृद्धि हुई है। जहां तक चारधाम का प्रश्न है इसका महत्व प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए अत्यधिक है। इस दृष्टि से पूर्व से ही गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा बद्रीनाथ- केदारनाथ मन्दिर समिति के माध्यम से महत्वपूर्ण अवस्थापना व यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती रही हैं। राज्य गठन के उपरान्त इस यात्रा के महत्व के दृष्टिगत चारधाम यात्रा मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसमें राज्य के चारधामों तथा श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री तथा इस पूरे यात्रा मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण कस्बों व ग्रामों आदि के लिए सड़क मार्ग, मार्गीय सुविधाएं, घाट, सौन्दर्यीकरण, सूचना पट्ट, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, पर्यटन सुविधा/ सूचना केन्द्र आदि मदों में कुल 212.46 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया। यह कार्ययोजना अप्रैल, 2003 में भारत सरकार को सहमति हेतु संदर्भित की गयी। भारत सरकार द्वारा यद्यपि सम्पूर्ण धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गयी तथापि वर्तमान तक श्री बद्रीनाथ धाम के कार्यों के लिए रु0 7.00 करोड़ श्री केदारनाथ धाम में विभिन्न अवस्थापना कार्यों के लिए रु0 4.53 करोड़ तथा श्री गंगोत्री धाम में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु रु0 4.81 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इन धामों में स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। यमुनोत्री धाम के लिए इस वर्ष प्रस्ताव केन्द्र सरकार को संदर्भित किया गया है इसके अतिरिक्त हेमकुण्ड-घांघरिया-फूलों की घाटी सर्किट हेतु रु0 6.53 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है। उपरोक्त केन्द्रीय योजना के अतिरिक्त विभिन्न अवस्थापना सुविधा हेतु राज्य सरकार से भी महत्वपूर्ण कार्यों हेतु स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं। चारधाम यात्रा हेतु वर्ष 2001-2002 में लगभग रु0 5.71 करोड़, वर्ष 2002-2003 में लगभग रु0 5.24 करोड़, वर्ष 2003-2004 में रु0 13.55 करोड़ विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत किये गये। वर्ष 2004 एवं वर्ष 2005-2006 में भी महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी।

पर्यटन विभाग द्वारा पार्किंग स्थल निर्माण, बस स्टेशन निर्माण, मंदिर सौन्दर्यीकरण, पर्यटन आवास गृह, पेयजल, घाटों का विकास, प्रकाश व्यवस्था, पैदल मार्गों का निर्माण, धामों में आन्तरिक मार्गों व अन्य सुविधाओं का निर्माण, विभिन्न स्थलों पर पर्यटन सुविधा/ पर्यटन सूचना केन्द्रों का निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष धनराशि निर्गत की जा रही है। यात्राकाल में जनसुविधाओं की स्थापना व संचालन, पेयजल सुविधा के सुदृढ़ीकरण तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वच्छता रखे जाने हेतु सम्बन्धित

संस्थाओं को वित्तीय सहयोग पर्यटन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इस वर्ष की यात्रा हेतु लगभग रु0 33.00 लाख पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, लगभग रु0 60.00 लाख सफाई व्यवस्था के लिए रखे जाने हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं। यात्रियों को यात्रा मार्गों पर सहायता उपलब्ध कराये जाने तथा विपत्तियों में सहयोग करने की दृष्टि से मोबाइल वाहनों को संचालित किया गया है तथा पर्यटन मुख्यालय पर एक चारधाम हैल्पलाइन (2624147) का संचालन किया गया है जिसमें दूरभाष पर यात्रियों/पर्यटकों द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना/सहयोग का अनुरोध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुविचारित प्रचार-प्रसार योजना के तहत राज्य का पर्यटन दृष्टि से प्रचार-प्रसार पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार चारधाम यात्रा को और अधिक सुगम बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी पहलुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों से इस यात्रा में यात्रियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है एवं भविष्य में भी यात्रियों के आगमन में वृद्धि रहने की सम्भावना है।

मान्यवर, जहां तक माननीय कौशिक जी का कहना है मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आज के यात्री काफी होशियार हैं उसको काफी प्रचार-प्रसार का सामान मिलता है। आपने कहा कि लोगों को चारधाम के बारे में सूचना नहीं मिलती है। हमारी चारधामों की जानकारी के संबंध में जो पुस्तक है वह हमारे पर्यटन केन्द्रों में आसानी से मिलती है और जो हमारा टूरिस्ट मैप है वह भी वहां उपलब्ध हो जाता है। जो यात्री चारधाम के लिए जाना चाहते हैं उनको उससे काफी अच्छी डिटेल, इन्फोरमेशन मिल जाती है।

मान्यवर, हमारे दोनों निगमों के अलावा जो टूर एजेन्ट हैं वे भी आज की तारीख में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो यात्री आये उन्हें जानकारी उपलब्ध करायी जाये ताकि यात्री जहां जाना चाहता है वहा की उसे जानकारी हो सके। हम चाहते हैं कि हमारी चारधाम यात्रा और अच्छी यात्रा बने और हमारे प्रदेश का नाम हो। हम यात्रियों को और सुविधायें देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने राज्य को और अच्छा बना सकें। ऋषिकेश, हरिद्वार बहुत ही पुण्य जगह हैं और सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के विकास के लिए दिया गया है। यहां से लाखों यात्री उत्तरांचल में आते हैं, गंगा स्नान के लिए भी लाखों लोग आते हैं। इन दोनों ही जगहों के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है इसे सेन्ट्रल को भेजा गया है। यह 51 करोड़ 56 लाख का है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुख्य द्वार हैं वह अच्छे बनें, इनमें तमाम सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिलें और हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें ताकि हमारे यहां जो पर्यटक आते हैं उनको तमाम सुविधाएं मिल सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुझे यह स्पष्टीकरण चाहिए। यह ठीक है कि इसमें बजट आपने पर्याप्त दिया है। मेरा कहना है कि हमारे पास जो चारधाम यात्रा संबंधी सामग्री है वह यात्रियों

को आते ही तो नहीं दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक अभियान के रूप में हम लें। इसके प्रचार–प्रसार का जो तरीका है उसे बदलना चाहिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार में आपके विभाग की तरफ से बोर्ड लगाये जायें ताकि पर्यटकों को सारी जानकारी मिल सके।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय, के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पन्त, द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय।"

श्रीमन्, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य, इस राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाये जाने का जो सपना इस राज्य की स्थापना के साथ देखा गया था, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए इसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाये जाने के लिए इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रस्ताव करना चाहता हूँ। शायद विश्व का पहला इंजीनियर वह व्यक्ति था जिसने एक पहिए की रचना की, उस पहिए से ऊर्जा पैदा हुई और उसके माध्यम से फिर ऊर्जा का इतिहास प्रारम्भ हुआ था। चूंकि उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो यह उत्तरांचल राज्य जिसमें रन ऑफ दी रीवर में स्थापित की जा सकने वाली परियोजनाएं हैं वह लगभग 22 हजार मेगावाट की हैं, यह सम्भावनायें हैं और वर्तमान में 20 हजार मेगावाट की योजनायें चिन्हित भी हैं। लेकिन सरकार के आंकड़ों को देखें तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान मे जो परियोजनाएं स्थापित

हैं उनमें से 400 मेगावाट केन्द्र सरकार की, राज्य सरकार की 1010.06 मेगावाट और निजी क्षेत्र की 8.55 मेगावाट की हैं। तो इससे दुःखद स्थिति और क्या हो सकती है। यह विषय निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है और इसे इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदन में लाने का भी मेरा मन्तव्य यही है। श्रीमन्, आज उत्तरांचल राज्य विद्युत पारेषण की कमजोर स्थिति से गुजर रहा है. कुमाऊं और कोटद्वार आदि के विद्युत पारेषण के लिए हम आज भी उत्तर प्रदेश पर निर्भर हैं और साथ ही जब हम 20 हजार मेगावाट की परियोजनाओं की स्थापना करेंगे तो फिर उस समय पारेषण की स्थिति क्या होगी ? जब इतने कम विद्युत उत्पादन में हम पारेषण के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो इतने अधिक उत्पादन होने पर हमारी क्या स्थिति होगी, यह एक विचारणीय विषय है। कल के दिन हमें इस क्षेत्र में समेकित शक्ति की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब हम इतना उत्पादन करेंगे तो विद्युत की सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था होगी, इस क्षेत्र में आज के दिन कोई व्यवस्था नहीं है। जो विद्युत हमारे पास आज उपलब्ध है उसी के पारेषण की भी व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं की है। पारेषण के क्षेत्र में आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था न हो पाना बहुत दुःखदायी स्थिति वर्तमान में है। एक तरफ हम ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी ओर छोटे से और पारेषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं।

श्रीमन्, यदि हम स्टेटिक्स के आंकड़े देखें, सांख्यिकी के आंकड़े जो सरकार ने ही हमें उपलब्ध कराये हैं, उनकी ओर भी देखें तो वर्तमान में उत्तरांचल में कुल 15 लाख 86 हजार 321 मकान हैं और उनमें से 9 लाख 56 हजार 955 मकान ऐसे हैं जो विद्युतीकृत हैं, तो इस प्रकार से आज भी 6 लाख 29 हजार 326 मकानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। यदि हम वर्ष 2000–01 के आंकड़ों को देखें तो उस समय 12,564 गांव विद्युतीकृत हुए थे और वर्तमान में 2005 तक कुल 14,447 गांव विद्युतीकृत हो पाये हैं अर्थात् इन विगत वर्षों में मात्र 1883 गांव ही विद्युतीकृत हो पाये हैं और आपने लक्ष्य रखा है कि मार्च, 2007 तक सारे गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा और 2010 तक सभी मकानों को विद्युत से जोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, यह आंकड़े आपके समक्ष हैं, जब पांच वर्षों में मात्र 1883 गांवों को ही आप विद्युतीकृत कर पाये तो जो शेष 6,29,326 गांवों को बिजली कैसे दे पायेंगे ? तो क्या इस स्थिति में यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बन पायेगा ? आज आवश्यकता किस बात की है, आपने ऊर्जा विभाग में 5 विभाग गठित कर रखे हैं, इन पांचों विभागों के अधिकारी भी अलग–अलग बैठ रहे हैं।

मान्यवर, पहला है, विद्युत सुरक्षा विभाग का दायित्व है, विद्युत अधिष्ठानों का निरीक्षण/परीक्षण। उपभोक्ताओं के अधिकारों के सम्बन्ध में यह विभाग गठित किया गया है। मान्यवर, दूसरा विभाग है, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड, यह विभाग कम्पनी एक्ट, 1956 के आधार पर बना है। तीसरा है, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यह भी कम्पनी एक्ट, 1956 के आधार पर बना है। विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से करना इसका दायित्व है। चौथा है, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन उत्तरांचल लिमिटेड, इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट, 2003 के प्राविधानों के तहत 1 जून, 2004 को कम्पनी एक्ट के आधार पर इसका गठन किया गया। पांचवा विभाग है, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण।

मान्यवर, इतना बड़ा ताम–झाम आपने बनाया और इतने बड़े ताम–झाम के माध्यम से आप जो कर रहे हैं, उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने पेश कर दी है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से दुरूस्त किया जाय। मान्यवर, यह 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में से बहुत महत्त्वपूर्ण बिन्दु मैं सम्मानित सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मान्यवर इसमें उल्लिखित है कि "सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित विभिन्न रोचक विषय, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। यह कहता है कि टी0एन0डी0सी0 पर 42.51 करोड़ रुपये का प्रभारण न किया जाना। कम्पनी ने 170.04 करोड़ रुपये के विद्युत प्रभारों पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि 42.51 करोड़ रुपये का प्रभारण नहीं किया जैसाकि निर्माण कार्य पर लागू था। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर अनुसूची एल0एम0वी0–9 (1 जनवरी, 2002 से प्रभावी) तथा आर0टी0एस0–8 (20 सितम्बर, 2003 से प्रभावी) में किसी कार्य/योजना के निर्माण में लाये गये शासकीय विभाग सहित उपभोक्ताओं से उपयुक्त अनुसूची में 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार को आरोपित करना अपेक्षित था।" इसमें यह आरोप लग रहा है कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 42.51 करोड़ रुपया छोड़ दिया, जिसकी वसूली होनी चाहिए थी। मान्यवर, सी0ए0जी0 ने इसके अलावा और भी आपत्तियां की हैं। एक और घोटाले का जिक्र उसने अपनी रिपोर्ट में किया है। "स्टील ट्यूबलर पोल्स के क्रय पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय। निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया को संदूषण करने के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।" इन्होंने एक करोड़ रुपया गलत तरीके से सरैण्डर किया। इसके अलावा भी अनेक उद्धरण हैं, समय कम होने के कारण जिनको मैं अभी सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इन सारी चीजों को जिला स्तर पर भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 10 सितम्बर, 2004 को अधिसूचना भी जारी की। "महामहिम श्री राज्यपाल जिला स्तर पर समन्वय एवं पुनर्विलोकन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।" यह निर्णय लिया गया कि यह समिति प्रत्येक माह बैठेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिले में कहीं भी यह समिति काम नहीं कर रही है। एक और रोचक तथ्य मेरे संज्ञान में आया। इतना बड़ा ताम–झाम आपने गठित किया और इसमें बड़े–बड़े कद के अधिकारियों को बैठाया गया। इसमें सबसे ऊपर सी0एम0डी0 होते हैं।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक शासनादेश का यहां पर जिक्र करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या 2007/24–पी–2/ 2003–01/एम/ई 200, दिनांक 20 सितम्बर, 2003 के तहत उल्लिखित किया गया कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 1974/24–पी–2/ 2003–61 एमई/2000, दिनांक 2 जुलाई, 2003 द्वारा दि कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत गठित पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल–73 के शर्तों के अधीन श्री बी0एम0 वर्मा, जिन्हें प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी के पद पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं

आर्टिकल–73 के प्राविधान के अधीन तत्कालीन प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। मान्यवर, केवल दो ढाई महीने के कार्यकाल के बाद सेवाएं समाप्त कर दी गयीं किन्तु वे वहां के सी0एम0डी0 बना दिये गये। मान्यवर, उनको उत्तर प्रदेश से हटाने के क्या कारण थे सरकार को इस पर गौर करना चाहिए था। मान्यवर, उत्तरांचल में जो पावर कारपोरेशन का ढाँचा है वह कैसे सुदृढ बने और किस प्रकार से चले इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि सच्चे मायने में यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बन सकता है दो–दो कन्सलटैंसी कार्य कर रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि दो तीन महीने का वक्त है अभी और आपके पास, इस पर आप ठोस कार्य करें। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को लेकर आया हूँ यहां पर चर्चा के लिए और अन्य माननीय सदस्यों को भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मान्यवर, हमारा राज्य ऊर्जा प्रदेश बन सकता है इस पर ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। इससे बेरोजगारी समाप्त करने में भी मदद मिलेगी और हमारी अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय विद्वान सदस्य श्री प्रकाश पंत जी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान अपने अध्ययन से, बुद्धिमत्ता से और तथ्यों के साथ व्यक्त किया। मैंने उन्हें ध्यान से सुना। यह सही है कि जब प्रथम निर्वाचित सरकार ने शपथ ली तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला कार्य यह किया कि वह विद्युत व्यवस्था को देखने के लिए पावर हाउसेज में गये। उनकी प्राथमिकता विद्युत रही है। वे चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हों या केन्द्र में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया हो विद्युत उत्पादन उनकी प्रायरटी रही है। इसी दृष्टि से उन्होंने जल विद्युत की अपार सम्भावनाओं को यहां पर समझा और उन्होंने महसूस किया कि जल विद्युत से यहां पर विद्युत उत्पादन बढाया जा सकता है और विद्युत के क्षेत्र में यह श्रेष्ठ राज्य हो सकता है इसलिए यह मन में संजोया कि उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश के रूप में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाय। ऊर्जा प्रदेश बनने के लिए जो गति इसने पकड़ी है उससे आज उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री यह सोचते हैं और इस बारे में कहते भी हैं कि काश हमें सरप्लस बिजली मिल जाय। यह सही है कि हमने राज्य में उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में यह प्रयास किया है कि इसमें हमारा जो कमिटमेंट है, जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं उसको हासिल कर सकें। इसके लिए तीन पृथक कम्पनियों का गठन किया गया है और इसमें जो विशेषज्ञ बैठेंगे तो वह राज्य में उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। हमने विद्युत नियामक आयोग का भी गठन किया है।

मान्यवर, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिनमें मुख्य तौर पर विद्युत का अनाधिकृत उपयोग के लिए विद्युत मूल्य निर्धारण हेतु धारा 126 के तहत निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति। इसके सापेक्ष धारा 127 के तहत निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी

की नियुक्ति की गयी। विद्युत सम्बन्धी अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु धारा 153 के तहत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया। मान्यवर, राज्य में विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण क्षेत्र में सुचारू एवं समन्वित विकास हेतु धारा 166(4) के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया गया। ताकि तीनों विभागों में समन्वय स्थापित हो सके। इसके तहत प्रत्येक जनपद में विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ता सन्तुष्टि, कार्य कुशलता तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यों हेतु धारा 166(5) के तहत जिला स्तरीय समन्वय एवं पुनर्विलोकन समिति का गठन किया गया। इस समिति में सभी माननीय विधायक एवं माननीय सांसद अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। मान्यवर, इस समिति के माध्यम से कई मामलों का निस्तारण हुआ है, ये समितियां तत्काल समस्याओं का निराकरण करती हैं। हो सकता है किसी की समस्या का निराकरण न हुआ हो, परन्तु इस आधार पर इसे गलत नहीं मान सकते हैं।

मान्यवर, विद्युत चोरी के अपराधों के शीघ्र निस्तारण हेतु शमन (कम्पाउंडिंग) प्राधिकारी की नियुक्ति की गयी। मान्यवर, इससे जो लोग विद्युत चोरी करते थे, उनमें भय व्याप्त हो गया। ऐसे लोग पकड़े भी गये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी। मान्यवर, यह सही है कि जिस तत्परता के साथ विद्युत उत्पादन और वितरण होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण टिहरी बांध का सही समय पर न चलना, मनेरी भाली परियोजना अभी तक पूरी होनी चाहिए थी, जोकि अब हो रही है। मान्यवर, इसके मूल में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियां एवं दैवीय आपदा भी हैं, जिनके कारण इसमें विलम्ब हुआ। मान्यवर, राज्य में लगभग 20 हजार मे0वा0 क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं चिन्हित की गयी हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 1819.31 मे0वा0 क्षमता की परियोजनाएं विकसित हैं, 12386 मे0वा0 परियोजनाएं विभिन्न विकासकर्ताओं को आवंटित हैं तथा ये विकास के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में आने वाले 10 वर्षों के भीतर लगभग रु0 65000 करोड़ का निवेश मात्र जल विद्युत परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण में होना सम्भावित है। मान्यवर, वर्तमान में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को 8250 मे0वा0, राज्य सेक्टर को 2531.50 मे0वा0 तथा निजी क्षेत्र को 1604.65 मे0वा0 क्षमता की परियोजनाएं आवंटित हैं जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। मान्यवर, वर्ष 2005–06 में धौलीगंगा परियोजना 280 मे0वा0 उत्पादनरत हुई है तथा वर्ष 2006–07 में विष्णु प्रयाग परियोजना 400 मे0वा0 उत्पादनरत हुई है, जबकि टिहरी स्टेज–1, 100 मे0वा0 की प्रथम इकाई उत्पादनरत हो चुकी है और शेष तीन इकाइयां शीघ्र ही उत्पादनरत होंगी। मनेरी भाली–दो परियोजना 304 मे0वा0 भी मार्च, 2007 तक उत्पादनरत होना सम्भावित है। 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में लगभग 4500 मे0वा0 व 12वीं योजनाकाल में लगभग 5500 मे0वा0 क्षमता की परियोजनाएं उत्पादनरत होना सम्भावित है। जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जल विद्युत नीति घोषित की है, जिसमें पारदर्शी निविदा पद्धति द्वारा अब तक 3 चरणों में 1062.50 मेगावाट की 15 परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आवंटित हैं। इससे पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय 204.40 मेगावाट की

31 परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आवंटित हैं। चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य में अन्य सम्भावित परियोजनाओं का चिन्हांकन, उनके विकास उपरान्त निर्माण हेतु निजी क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेस लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया गया है जिसके अधीन इस प्रकार की परियोजनाओं के विकास एवं मार्केटिंग हेतु व्यवस्था की जायेगी। राज्य के पारेषण तंत्र को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए रु0 225.93 करोड़ की योजनाएं नाबार्ड तथा रु0 166.75 करोड़ की योजना आरईसी के वित्त पोषण से निर्माणाधीन है। मान्यवर, सिडकुल के वित्त पोषण से 56 करोड़ रुपये की पारेषण योजनायें इण्डस्ट्रियल एरिया हेतु निर्माणाधीन हैं। जो सिडकुल के अपने माध्यम से धन खर्च किया जायेगा। 217 करोड़ रुपये की पारेषण योजनाएं आरईसी को स्वीकृति हेतु प्रेषित हैं।

मान्यवर, नदी घाटीवार नई जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की निकासी की व्यवस्था के लिए लगभग रु0 1200 करोड़ की योजना एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी है, जिस पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा इसको वर्ष 2010 तक पूरा करने में सफलता हो पायेगी। मान्यवर, राज्य में वितरण सुधार हेतु एपीडीआरपी योजना के तहत रु0 310.08 करोड़ की योजना निर्माण के अन्तिम चरण में हैं। मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत लगभग 82 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष गांव वर्ष 2007 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक घर तक विद्युत पहुंच लगभग वर्ष 2009 तक सम्भावित है। मान्यवर, राज्य में कुटीर ज्योति योजना पुनः प्रारम्भ की गयी है। अब तक 86698 बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 281615 बीपीएल परिवारों को वर्ष 2009 तक विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे। मान्यवर, किसानों को निजी ट्यूबवैल के ऊर्जीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान की योजना पुनः प्रारम्भ की गयी है। मान्यवर, वर्तमान में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वित्त पोषण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत रु0 658.80 करोड़ की आर0ई0सी0 योजना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष रु0 334.12 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। मान्यवर, जो लक्ष्य लेकर हम चले थे कि हम 24 घण्टे बिजली देंगे, पर जो ग्रिड सितम्बर में चलने थे वे अब नवम्बर तक चल पायेंगे, तो 24 घण्टे विद्युत दे सकेंगे। मान्यवर, प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें आई हैं, जल निगम में सी0 एम0 डी0 की नियुक्ति की गयी, उन्हें उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया है उस सम्बन्ध में ऐसी जानकारी नहीं है, यदि आप पत्र उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से शासन स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा वह वितरण से सम्बन्धित है। मैंने ऊर्जा प्रदेश की बात कही थी उस पर कुछ नहीं कहा, उत्तरांचल ग्रिड से नहीं जुड़

पाया, क्या सरकार को जानकारी है कि आज भी हमने निकासी तंत्र नहीं बनाया है ? मान्यवर, रन ऑफ दी रीवर में जो परियोजना लगी वह 22 हजार मेगावाट की है। मान्यवर, कोई नेटवर्क नहीं बनाया गया यह बहुत गम्भीर विषय है इस पर सरकार ने कोई ठोस उत्तर नहीं दिया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सभी ग्रिड बन रहे हैं। वह कार्य कर रहे हैं काशीपुर में सितम्बर तक उसका लक्ष्य लेकर चले थे वह नवम्बर तक पूरा हो जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज भी उत्तर प्रदेश पर निर्भर हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सत्य है और तथ्य भी हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज भी आपने अपना निकासी तंत्र नहीं बनाया है। अभी टर्मिनल लाईन और टर्मिनल सब–स्टेशन नहीं बन पाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लक्ष्य के अनुसार कार्य हो रहा है। 6 महीने में पूरा नहीं कर पाये हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आ गई थीं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विद्युत उत्पादन में प्राकृतिक आपदाएं कहां से आ गयीं। आपका 2007 तक सभी ग्रामों को विद्युत देने का लक्ष्य था। जबकि 1883 गांवों को ही आप दे पाये। आज तक 529326 परिवारों को विद्युत उपलब्ध नहीं करा पाये। मेरे पास आंकड़े हैं। इसलिए मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश के अति दुर्गम, पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टर, फार्मासिस्ट तत्काल भेजे जायें, के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अति दुर्गम पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टर/फार्मासिस्ट तत्काल भेजे जायें"।

मान्यवर, इस संकल्प के द्वारा मैं उत्तरांचल के उन पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर डाक्टर नहीं रहते हैं, फार्मेसिस्ट नहीं रहते हैं वहां पर चिकित्सा सुविधा बनाने के लिए वहां पर डाक्टर भेजे जायें, फार्मेसिस्ट भेजे जायें। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा का अभाव है। मान्यवर, हमारे संज्ञान में जो आया है कि प्रदेश में कुल एक हजार आठ सौ बारह डाक्टर के पद हैं उनमें से मात्र 950 कार्यरत हैं और 260 संविदा पर हैं कुल रिक्त पद 612 हैं। फार्मासिस्टों के पद भी खाली हैं। आयुर्वेद चिकित्सक के 44 पद खाली हैं। मान्यवर, कहीं पर ऐसा लगता है वार्ड ब्वॉय अस्पताल को चलाता है, कहीं पर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अस्पताल खोलता है। इस पर सरकार स्वयं विचार कर सकती है कि किस प्रकार से चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है तथा मेरा कहना यह है कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं कर पायी है। माननीय मंत्री जी ने कहा दूरस्थ क्षेत्रों में जो डाक्टर जायेगा उसको अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा, यह योजना भी सफल नहीं हो पायी। मान्यवर, कई जगह स्वास्थ्य केन्द्रों में मौके पर ए0एन0एम0 नहीं रहती हैं और कई जगह पर डाक्टरों की तैनाती है वहां पर कार्यरत नहीं रहते हैं और अनुपस्थित रहते हैं। मेरा सुझाव है कि विभिन्न क्षेत्रों जहां पर डाक्टर आवश्यकता से ज्यादा हैं उनको वहां से दुर्गम क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए जहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि स्थानान्तरण की नीति ठोस होनी चाहिए। हर डाक्टर को, हर फार्मासिस्ट को कम से कम 5 साल के लिए दुर्गम, पिछड़े क्षेत्र में रहना होगा।

मान्यवर, अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे तो शायद व्यवस्था में सुधार आयेगा और जिस प्रकार का इस समय वातावरण चल रहा है उसमें हमारे पिछड़े क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुलभ नहीं हो पायेगी। सरकार ने यह कहा था कि तीन वर्ष में हम प्रत्येक जिले में बेस अस्पताल बना देंगे और तहसील स्तर पर 50 शय्याओं का अस्पताल बना देंगे, लेकिन मान्यवर, ये अस्पताल नहीं बने। सरकार ने यह भी कहा था कि ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 को हम चालू करवायेंगे, मगर यह चालू नहीं हो पाया। मैं चाहूंगा उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है उसके लिए सरकार प्रयास करे। यह मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं, लेकिन वे पिछड़े क्षेत्रों में दिखाई नहीं देते हैं। (व्यवधान) उन्होंने बिल्डिंगें बना दीं, दून अस्पताल को चमका दिया। मगर हमारे पिछड़े क्षेत्रों में आप कुछ नहीं कर पाये हैं। (व्यवधान) फिर मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि सरकार जो है (व्यवधान) मान्यवर, मंत्रीगण प्रसन्न हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि पिछड़े क्षेत्रों में डाक्टर नहीं हैं, फार्मेसिस्ट नहीं हैं, ए0एन0एम0 नहीं हैं। मेरा कहना है कि आपको इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और आप इसको हंसी में ले रहे हैं। मान्यवर, इस

प्रकार से कैसे शासन चलेगा, कैसे उत्तरांचल की जनता का हित होगा। हमेशा गम्भीरता से चिंतन–मनन करना चाहिए। जनता के दुख को दूर करने के लिए आपको सत्ता सौंपी गयी है और आप हंसी में बात को टाल रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कि कम से कम 2–3 महीने में आप ऐसा काम कर दें जिससे दूरस्थ क्षेत्र की जनता को सुविधा मिल सके तभी आपका भी भला होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भला होने वाला नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साढ़े चार साल का समय हो गया है चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे काम करते हुए। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य के अन्दर बहुत अच्छी उपलब्धियां नहीं हुई हैं। उन्होंने बधाई भी दी है, उन्होंने शिकायत भी की है और बिन्दु भी दिये हैं कि फार्मेसिस्टों की नियुक्ति नहीं हुई, पद खाली हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमसे पूर्व इस राज्य की क्या स्थिति थी, कितने पद खाली थे ? तो सूचना दे रहा हूं, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किये हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं।

मान्यवर, राज्य में पहले 2200 चिकित्सकों के पद रिक्त थे और मात्र 800 के लगभग यहां पर चिकित्सक थे और 1300 चिकित्सकों के पद रिक्त थे। आपने अभी स्वयं ही स्वीकार किया कि हमने 1812 पद सृजित किये हैं 1300 से बढ़ाकर 600 और पदों का सृजन किया है, आज हमारे यहां पर 1212 चिकित्सक कार्यरत हैं और 600 पद रिक्त हैं यह मैंने स्वीकार भी किया है। मान्यवर, इन पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग के पास भी अधियाचन गया है और हम भी संविदा के माध्यम से इन्हें भरने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम संविदा पर रखे गये एलोपैथिक डाक्टर को 18 हजार रुपये दे रहे हैं और आयुर्वेदिक डाक्टरों को 14 हजार रुपया प्रतिमाह दे रहे हैं। इसके अलावा दुर्गम और अति दुर्गम में जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं उनको 5–5 हजार और 4–4 हजार का अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है। हमने पूरे उत्तरांचल में हैल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट से 37 अस्पतालों का जीर्णोद्धार किया है। आप इसे देख भी सकते हैं। अभी एक बात मैं यहां पर कहना नहीं चाहता था लेकिन कहनी पड़ रही है, पहले ही वर्ष मंत्री बनने के बाद मैं रुद्रप्रयाग गया था तो वहां पर मैंने एक जगह पर एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ था कि रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय का शिलान्यास। मैंने वहां से लौटकर तुरन्त अपने महानिदेशक से कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश के समय में स्वीकृत हुए इस चिकित्सालय का

शासनादेश चाहिए। तो मान्यवर, वह शासनादेश नहीं मिला और बिना शासनादेश के ही वहां पर चिकित्सालय का शिलान्यास हो गया था। फिर हमने उस चिकित्सालय के लिए राशि स्वीकृत की और उसे बनाकर भी आपको सौंप दिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

हमने उस कार्यक्रम में आपको भी बुलाया था लेकिन आप किसी कारणवश नहीं आ पाये थे। सिर्फ वहीं नहीं चम्पावत, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में भी हमने जिला चिकित्सालय बनाये और बागेश्वर का जिला चिकित्सालय भी आज बनकर तैयार हो गया है। सरकार अपने राज्य की जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है, जब हमें यह जिम्मेदारी मिली माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के साथ काम करने का अवसर मिला तो हमने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। उत्तरांचल में 95 ब्लाक हैं और पहले इन 95 ब्लाकों में से मात्र 23 ब्लाकों में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। हमने और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले और आज 2528 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वहां पर हमने डाक्टरों और फार्मासिस्टों को भेजा है। 550 नये फार्मासिस्ट हमने नियुक्त किये हैं, और आगे भी करेंगे, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, वैसे हम और नियुक्तियां करेंगे। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने ए0एन0एम0 की बात की तो मान्यवर, हमारे प्रदेश में खिर्सू और अल्मोड़ा दो ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेंटर थे लेकिन उन्हें 20 वर्ष पहले बन्द कर दिया गया था लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें फिर से खोला और वहां से अब 120 उत्तरांचल मूल की बालिकायें ए0एन0एम0 बनने जा रही हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

इसके अलावा गदरपुर में भी यह ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है और उसके बाद यह संख्या 180 की हो जायेगी। इसके अलावा हमने अपना नर्सिंग स्कूल खोलने की बात की है और उसके लिए आपने अभी अनुपूरक में भी बजट पास किया है। मान्यवर, मैं अभी मदकोट गया था वह मुन्स्यारी से एक-डेढ़ घंटे की दूरी पर है तो वहां के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि किस प्रकार से वहां पर प्रसव के दौरान आपरेशन हुआ, मैं उस चीज को सदन को नहीं बता सकता तो मान्यवर, मैंने चुनौती के रूप में इसे लिया और वहां पर घोषणा की कि यहां पर शीघ्र ही अस्पताल खोला जायेगा और तीन माह के अन्दर हमने वहां पर चिकित्सालय खोल दिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, माननीय काशी सिंह ऐरी जी उसी क्षेत्र के हैं वे जानकारी कर सकते हैं। इस प्रकार से कई कार्य हमारी सरकार ने किये हैं। हां, कमी है, सुपर स्पेशलिस्टों की कमी है, लेकिन यह कमी हमारे यहां ही नहीं है इनकी कमी पूरे देश में है। मान्यवर, सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने एम0बी0बी0एस0 के छात्रों के लिए योजना बनायी है। जो उत्तरांचल राज्य के निवासी होंगे, यदि वे भारत

के किसी भी मेडिकल कालेज में प्रवेश लेना चाहते हैं और उनके माता–पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है तो उसे राष्ट्रीयकृत बैंक से 5 लाख रुपये का लोन हम दिलायेंगे और इस पर हम 50 प्रतिशत की सब्सिडी देंगे। इसके लिए उसे 5 वर्ष तक सरकारी सेवा करनी होगी। पी0जी0 करने वालों को 3 वर्ष की सेवा देनी होगी। कई छात्रों ने इसके लिए हमसे सम्पर्क किया है। हम उत्तरांचल के अन्दर मेडिकल कालेज के लिए ही नहीं देश के किसी भी मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने के लिए यह लाभ देंगे। निजी क्षेत्र के डाक्टर जो अति दुर्गम क्षेत्र में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, उनको 30 लाख रुपया ऋण दिलाने तथा उसे 33 प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना भी बनायी है। इसी प्रकार दुर्गम क्षेत्र में नर्सिंग होम खोलने के लिए 15 लाख रुपये ऋण दिलाने और उस पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी देने की योजना बनायी है। ताकि वे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नर्सिंग होम खोल सकें। हमने इस तरह के एक नहीं कई सारे फैसले लिए हैं। हमने चिकित्सकों के रहने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाने की बात कही है। उनके बच्चों को पढ़ने की तथा रहने की दिक्कत होती है। पौड़ी और अल्मोड़ा के जिला मुख्यालयों में हम चिकित्सकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बना रहे हैं ताकि उनके बच्चों को पढ़ने की दिक्कत न हो तथा परिवार के लोग आसानी से रह सकें। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिकित्सकों के प्रति जो चिन्ता है, उसे दूर करना चाहता हूँ। हमारी सरकार इस ओर संवेदनशील है और हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में कई काम किये हैं। आने वाले समय में हम और योजनाएं लाना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसमें एक दो स्पष्टीकरण पूछ लेता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जिन अस्पतालों का जिक्र किया, इनमें चम्पावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के अस्पतालों के प्रपोजल हमारे समय में हो गये थे, इनकी फाइलें हमारे समय में तैयार हो गयी थीं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय सदस्य गलत तरीके से विधान सभा के अन्दर अपनी बात कहते हैं। चम्पावत का शासनादेश अभी हुआ है। इसमें काम अभी हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पैसा अब मिला है तो काम अब शुरू होगा ही।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यदि बागेश्वर जिले के अस्पताल का शासनादेश आप अपनी सरकार के समय का दिखा देंगे तो जो सदन कहेगा, मैं करूंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गुस्सा क्यों होते हैं। मैंने शासनादेश की बात ही नहीं कही। मैंने तो कहा कि हमारे समय में प्रपोजल तैयार हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया बैठ जाइये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने शासनादेश शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रपोजल और शासनादेश में बहुत अन्तर होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपये की मशीनें खरीद ली हैं, इनकी इन्क्वायरी हो जायेगी तो सारी बातें सामने आ जायेंगी कि इसमें कितने रुपये लगे हैं। ऐसी–ऐसी मशीनें खरीदी हैं कि उनके आपरेटर तक नहीं हैं। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मीडिया ने इसको उजागर कराया है। 18 लाख 20 लाख की मशीनें खरीदी गयी हैं। करोड़ों रुपये आर–पार कर दिये हैं। लोग मालामाल हो गये हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कौन हुआ है। प्रदेश के पैसे से लोग मालामाल हो रहे हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां के पैथालॉजिस्ट हल्द्वानी में बैठे हुए हैं और आप बाहर के लोगों को यहां पर ला रहे हैं। यहां के लोगों को नहीं लगा रहे हैं। टैम्परेरी रूप में रखना होता है, तो यहां के लोगों को रखते हैं और परमानेन्ट रखना होता है तो बाहर के लोगों को बुला लेते हैं। यहां के लोगों को परमानेन्ट कर देंगे तो उनके शरीर में क्या देवता आ जायेगा ? हमारे यहां के लड़के जो आयुर्वेद में एम0डी0 हैं, उनको सेवा में नहीं रखा गया। सब प्लेन के लोगों को रख दिया है। कल ही मेरे पास आयुर्वेद के 20 एम0डी0 आये थे। वे रो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने यहां बंदिश लगा दी है कि हम बाहर के लोगों को नहीं लेंगे लेकिन उत्तरांचल में तो सरकार खैरात बांट रही है। जितना काम माननीय मंत्री जी कह रहे हैं और जितना काम हुआ है उसमें 40 प्रतिशत भी धन लगा हो तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सत्ता के मद में यह सरकार इतनी बेहोश है कि हम क्या पूछ रहे हैं और माननीय मंत्रीगण क्या उत्तर दे रहे हैं। जनता जनार्दन यह सब देख रही है और समझ भी रही है। मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सुबोध उनियाल जी का दूरस्थ क्षेत्र है तथा माननीय श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी का दूरस्थ क्षेत्र है और ऐसे–ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं, फार्मासिस्ट नहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है कि दुर्गम क्षेत्रों में डाक्टर नहीं हैं, फार्मासिस्ट नहीं हैं। आपने रुद्रप्रयाग, चम्पावत और बागेश्वर की बात कह दी यह तो सुविधाजनक क्षेत्र हैं यहां पर तो आप कर ही लेंगे लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर भी जनता है उनको भी डाक्टरों की, फार्मासिस्टों की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी

कोई आंकड़े लाते तो मैं स्वीकार करता कि हां, इस दिशा में कार्य किया गया है और क्षेत्र की जनता के साथ न्याय किया है। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ? आप सत्ता में हैं इसलिए हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यह सरकार जनता को गुमराह कर रही है। मान्यवर, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आई0डी0पी0एल0 को चालू करने की बात की थी और जिला स्तर पर 50 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने की बात की थी। (किताब लहराते हुए) लेकिन काम नहीं किया गया। इस समय हंसी-परिहास उचित नहीं है। इसलिए मैं इस संकल्प पर बल देता हूँ। सरकार जाग जाय, अब मात्र 2-3 महीने बचे हैं फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। (सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि जैसे आप पछता रहे हैं।) मान्यवर, हम तो संघर्ष कर रहे हैं जनता की आवाज को यहां पर उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अति दुर्गम पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पतालों में डाक्टर/फार्मासिस्ट तत्काल भेजे जायें।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, माननीय पंवार जी श्री हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ माननीय श्री दिवाकर भट्ट जी को, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन्हें मनाने के लिए गये हैं।

प्रदेश में बन रही बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के ही नाम दर्ज किये जायें, के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह द्वारा संकल्प का प्रस्तुतिकरण

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)-

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन रही बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के ही नाम दर्ज किये जायें। यह भारत सरकार की योजना है। योजना आयोग के द्वारा 2002-03 में विभिन्न विभागों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उनका बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज नहीं है। इस सूची में अधिकांश पात्र व्यक्तियों के नाम छूट गये हैं। आज गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं यहां पर देहरादून जनपद का ही उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा माननीय अग्रवाल एवं माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस बात को ध्यान से सुनें। मान्यवर, इस जनपद के अन्दर ही 80 हजार ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस सूची पर आपत्ति दर्ज की है कि इसका

सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं हुआ है। मान्यवर, इसमें विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सर्वेक्षण करते हैं, इसमें मानक तय होते हैं और उन्हीं मानकों के अनुसार अंक दिये जाते हैं। मान्यवर, इसका एक प्रारूप बना है और उसी के मुताबिक अंक दिये जाते हैं। जैसे एक मानक पर एक से चार अंक दिये जाते हैं। मान्यवर, यदि किसी का मकान नहीं है और वह किराये के मकान में रहता है, तो यह भी उसमें दर्ज होता है। यदि किसी का मकान है, तो उसका मकान उसमें दर्ज होता है। इसमें सम्पत्ति का विवरण भी होता है और वह भी उसमें दर्ज होना चाहिए। किसी के यहां फ्रिज, टी0वी0 आदि घरेलू चीजें हैं या नहीं यह सारी चीजें दर्ज होती हैं।

मान्यवर, विडम्बना इसमें यह है कि यह सर्वेक्षण इस सरकार द्वारा सही नहीं किया गया है। ये कार्ड अपात्र व्यक्तियों को दिये गये हैं, जिनको दिये जाने चाहिए थे, उन्हें नहीं दिये गये हैं। यह सरकार गरीबों के हित में कार्य नहीं कर रही है। जब इसमें आपत्ति दायर की जाती है तो सम्बन्धित पटवारी, एस0डी0एम0 और डी0एम0 इस पर कार्यवाही करता है, फिर भी लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सरकार आम जनता की बात को नहीं सुन रही है। इसमें मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार की इस योजना का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को दिया जाना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी हंस रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप आज शिक्षा मंत्री हैं तो इसलिए हंस रहे हैं, कल को जब मंत्री नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा ?.........(हंसी)

मान्यवर, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं-"खुदा जाने हमारी बर्बादी में हाथ किसका है, देखने वाले सब आपका नाम लेते हैं।".........(व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल-

मान्यवर, माननीय भण्डारी जी, यह शेर शीशे के सामने पढ़ रहे हैं.........

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, मैंने कल भी बोला था कि सरकार किस प्रकार से हंस रही है तो उसमें मैं कह रहा हूं कि "जो खुशी से जिये हैं उम्र भर, उन्हें आंसुओं के दर्द को समझना कठिन है"। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुछ कहता हूं कि सरकार गम्भीर हो जाय। नदियों की धारा में कब तक कागज की नाव बहायेंगे असली नाव बहायें, असली चेहरे सामने लायें। मान्यवर, गरीब जनता के लिए काम करें, बी0पी0एल0 की श्रेणी में जो आते हैं उनका कार्ड बनायें, रोजगार खाद्यान्न दें। राशन कार्ड नहीं होगा तो मकान की सुविधा नहीं होगी। मान्यवर, जो सुविधा भारत सरकार द्वारा दी जाती है उसी तरह से करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय कण्डारी जी ने अच्छी बातें रखी। मान्यवर, सभी को फेस करना पड़ रहा है कि बी0पी0एल0 का सर्वे गलत हो गया। इसमें वर्तमान में 1 से 13 तक बिन्दु हैं और लगभग एक प्रश्न पूछने पर सही प्रश्न आता है तो 4 नम्बर मिल रहे हैं पूरा कालम 52 नं0 का है। 22 के ऊपर नम्बर जो ला रहे हैं वह बी0पी0एल0 में आ रहा है यह अल्मोड़ा में है। यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारत भर का प्रस्ताव यूनीसेस जाना चाहिए, यह नहीं कि विपक्ष लाया या सत्तापक्ष लाया है, परेशानी तो सबको हो रही है। मान्यवर, एक आदमी के पास चार कमरों का मकान है और उससे पूछते हैं कि आपके पास टी0वी0 है तो वह कहता है कि नहीं है तो वह बी0पी0एल0 में आ जाता है जबकि उसके पास ढाई लाख का मकान है। तो इस तरह से ए0पी0एल0 वाले बी0पी0एल0 में और बी0पी0एल0 वाले ए0पी0एल0 में हो जाते हैं तो इस फॉरमेट को चेंज करने के लिए विधान सभा के माध्यम से जाना चाहिए, यदि कोई दिक्कत है तो कैबिनेट से भेजें चाहे जैसे भेजें, प्रस्ताव जाना बहुत ही जरूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि अगर बी0पी0एल0 वाला ए0पी0एल0 को चला गया है तो उसको बी0पी0एल0 की लाईन से हटा दिया जाना चाहिए और यह जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दे दी है तो ग्राम सभा कितनी ईमानदारी से करेंगे इससे लोग दुःखी हैं। मान्यवर, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इन्दिरा आवास दे दें।

मान्यवर, मैं लेजिस्लेचर यानि विधायक हूँ जो संवैधानिक पद है, जनता ने मुझे यहां पर चुनकर भेजा है यह संवैधानिक पद है, इसका गजट नोटीफिकेशन हुआ है। हम माननीय ग्राम सभापति जी को लिखेंगे कि इस कार्य को कर दीजिए, हमें कितना निरीह बना दिया। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायतीराज का ठीक टाइप से "इन्टरप्रिटेशन" कार्य होना चाहिए। हमारे एक भाई सभापति हैं वह मजाक में कहते हैं कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी ए से लेकर जेड तक सभी सभापति के लिए चला आता है। माननीय सदस्य सिर्फ विधायक निधि या स्टेट सेक्टर से कार्य करा सकता है। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में लोग विधायक बनना पसन्द नहीं करेंगे वह जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना या नगर पंचायत का अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे, इसलिए विधान मण्डलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। हम डरते हैं कि वह नाराज हो जायेगा, प्रधान जी नाराज हो जायेंगे। यह बात हमने आपके समक्ष रखी है ताकि यह बात यहां पर नोट हो जाय। सरकार इस पर कोई उचित कदम उठायेगी और पंचायती राज कानून का पुनरीक्षण करने हेतु केन्द्र सरकार को लिखेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो बातें आयी हैं, नेता प्रतिपक्ष ने और अजय भट्ट जी ने जिस फारमेट की बात आयी है उस फारमेट को भरने में किसी प्रकार की गलती हुई है तो जो ए0पी0एल0 हो सकता है वह जानबूझकर गलती कर दे तो वह बी0पी0एल0 हो जायेगा

अगर बी0पी0एल0 ने गलत भर दिया तो वह उससे हट जायेगा। मान्यवर, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं उनको जानकारी का भ्रम भी हो सकता है, यह सर्वदा सत्य है ये जो माननीय विधायक हैं, इन सबको फेस करना पड़ रहा है। ये तमाम शिकायत है बी0पी0एल0 के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो गरीब हैं वह इसमें नहीं आये हैं और जो अच्छी स्थिति में थे उनको बी0पी0एल0 में रखा गया है। जो व्यवस्था है इसे पारित करें या न करें, मैं जानता हूँ कि तकनीकी रूप से इस प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे। संजीदगी से इस पर विचार करें, इसका कोई समाधान निकालें ताकि उसको जल्दी से दूर कर सकें, इस व्यवस्था पर आप विचार कर सकें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। बी0पी0एल0 जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विकसित देशों के लिए भी, राज्यों के लिए भी जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के बारे में अपना संकल्प प्रस्तुत किया। मान्यवर, देश में बी0पी0एल0 कार्य का सर्वेक्षण 2002 में भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर कराया गया था। सर्वेक्षण में 13 सूचकों के आधार पर प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण हुआ था। इन सूचनाओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या निर्धारित कर प्रदेश सरकार को सूचित की जाती है।

मान्यवर, उत्तरांचल के लिए भारत सरकार द्वारा 6 लाख 21 हजार 200 परिवारों की संख्या निर्धारित की गयी है। जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इन परिवारों की सूची का प्रकाशन कर आपत्तियां मांगी गयी थी। आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही इस समय गतिमान है। आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त अन्तिम सूची प्रकाशित की जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान सर्वेक्षण केवल ग्रामीण क्षेत्र का है। नगरीय क्षेत्र का सर्वेक्षण होना अभी शेष है। बी0पी0एल0 राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किये जाते हैं जो उपयुक्त प्रकार से तैयार की गयी बी0पी0एल0 की सूची में सम्मिलित हों। बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की कोई पृथक् सूची नहीं बनती है किन्तु बी0पी0एल0 राशन कार्ड उन्हीं परिवारों को दिये जाते हैं जिनका नाम बी0पी0एल0 की सूची में अंकित है। प्रदेश में बी0पी0एल0 सूची बनाने के लिए सर्वेक्षण घर–घर जाकर किया गया था। इसके उपरान्त बी0पी0एल0 की अनन्तिम सूची का प्रकाशन कर आपत्ति आमंत्रित की गयी थी। उत्तरांचल राज्य के सभी जनपदों में अनन्तिम बी0पी0एल0 सूची जारी की गयी, जिस पर प्राप्त आपत्तियों का जनपद टिहरी के अतिरिक्त शेष जनपदों में पायी गयी त्रुटियों के सापेक्ष सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। जनपद टिहरी के सम्बन्ध में आपत्तियों के परीक्षण की कार्यवाही गतिमान है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बी0पी0एल0 सूची पूर्ण निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के साथ तैयार की जाय। इसके बाद सूचियों का प्रकाशन कर आपत्तियां मांगी गयी हैं।

मैंने आप सभी की बातों को सुना है, सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यवहारिक कठिनाइयां बतायी हैं कि जो फार्म भरे गये वे काफी लम्बे थे। चूंकि फार्म भरवाने का कार्य आंगनबाड़ी कर्त्रियों द्वारा किया गया था, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था। आप सभी ने यह आपत्ति उठायी है। सरकार कमजोर वर्गों के लिए कार्य कर रही है। मैं आप सभी की बात सुनने के बाद राज्य के हित में बी0पी0एल0 फार्मों के पुनः निरीक्षण के लिए निर्देशित करती हूँ। जिले के स्तर पर इनका पुनः निरीक्षण किया जाये। इन फार्मों के भरने में हुआ यह कि मान लीजिए कि किसी से पूछा गया कि आपने ऋण लिया है और उसने कहा कि नहीं तो वह बी0पी0एल0 में नहीं आया। जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में हैं उन्हीं के कार्ड बनाये जायेंगे। मैं पुनः जिला स्तर पर इन फार्मों के निरीक्षण के लिए निर्देशित करती हूँ और जो बच गये हैं वे भी पूरे किये जायें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब मेरा अनुरोध है कि आप इसे वापस ले लें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी सफाई के साथ कहा और मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने पुनः फार्म भरे जाने (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, फार्म पुनः नहीं भरे जायेंगे, सिर्फ उनका परीक्षण किया जायेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अधिकांश बी0पी0एल0 के लोग अशिक्षित हैं और यह फार्म तो ऐसा है कि यदि हम ही इसे भरने लगें तो शायद हम भी इसे ठीक से नहीं भर पायेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ न्याय करें और बी0पी0एल0 के कार्ड भी दें।

*** वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–**

मान्यवर, जनपद देहरादून में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने के लिए तीन कैम्प लगाये गये थे। उसमें यह बात सामने आयी कि फार्म तो ठीक भरे हैं, लेकिन उनकी मार्किंग सही नहीं हुई है। यही रिपोर्ट सरकार के पास आई है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं तो चार–साढ़े चार साल से देख रहा हूँ सरकार सदन में कुछ बोलती है, कार्य कुछ और करती है। इसलिए मैं अपने संकल्प पर बल दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश में बन रही बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के ही नाम दर्ज किये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के गिरते हुए स्तर को देखते हुए प्राइमरी शिक्षकों से पठन–पाठन के अतिरिक्त कोई और कार्य न लिया जाय, के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर द्वारा संकल्प का प्रस्तुतिकरण

* श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के गिरते हुए स्तर को देखते हुए प्राइमरी शिक्षकों से पठन–पाठन के अतिरिक्त कोई और कार्य न लिया जाय।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि हम अवगत हैं कि आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जहां एक ओर ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं, अच्छी शिक्षा दी जाती है और वहां पर उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास हो सके ऐसा माहौल तैयार किया जाता है। दूसरी ओर ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है और दूर–दराज के क्षेत्रों में अगर शिक्षक हैं भी तो स्कूलों में नहीं आते हैं और इसी के साथ–साथ वहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। कहीं–कहीं तो विद्यालयों के भवन नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं और इन प्राइमरी शिक्षकों से पठन–पाठन के अलावा जनगणना, मतदाता सूचियों का काम, मतदाता सूची में संशोधन का कार्य, भवन गणना, पशु गणना, बाल गणना, पल्स पोलियो और आजकल तो सर्वशिक्षा अभियान के तहत भोजन परोसने का भी काम लिया जाता है। श्रीमन्, प्राइमरी शिक्षा जो एक आधार है बच्चों के सुदृढ़ भविष्य का, उसे आगे बढ़ाने का। जिस शिक्षा के दौरान उसके बौद्धिक और शारीरिक स्तर को स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसके भविष्य को मजबूत आधार दिया जाना चाहिए। लेकिन उत्तरांचल के विद्यालयों में जहां इन सबका अभाव होने के साथ–साथ जो वहां पर शिक्षक हैं, उनसे सामान्य पठन–पाठन कराने की बजाय इस तरह का कार्य कराया जाता है। जिससे वह बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं और विद्यालय खाली रह जाते हैं।

मान्यवर, मैं इन सब विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इन प्राइमरी शिक्षकों से पठन–पाठन के अलावा और कोई कार्य नहीं लिया जाय, ताकि हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य तैयार हो सके, मेरा यही निवेदन है।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, यह सत्य है कि आज बेसिक पाठशालाओं में शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त और कार्य भी लिये जाते हैं। जिनमें जनगणना, मतदाता सूचियों का काम, मतदाता सूची में संशोधन का कार्य, भवन गणना, पशुगणना, बाल गणना, पल्स पोलियो आदि का कार्य लिया जाता है। माननीय सदस्य की जो पीड़ा है उसका अनुभव हम भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं, अभिभावकों की भी यह मांग थी, उनकी आपत्ति थी कि यह काम अध्यापकों से नहीं लिया जाय। मान्यवर, समय-समय पर हमारे अध्यापक भी आन्दोलित रहे और उन्होंने भी इन कार्यों का बहिष्कार करने की घोषणा की। मान्यवर, इसमें सरकार ने विचार किया, मन्थन किया और माननीय मंत्रि-परिषद् में भी इस पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह सोचा गया कि अध्यापक ही क्यों अन्य विभाग भी हैं, जो इन सब कार्यों को कर सकते हैं और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी इन कार्यों में लगाया जाय। यही सोच कर हमने इसमें शासनादेश भी निकाला है। इसमें जनगणना, निर्वाचन और जितने भी कार्य अभी मैंने बताये, इनके लिए निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है कि अपने विभागों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन बेसिक शिक्षकों से न करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाय। विशेष परिस्थितियों में कोई विशिष्ट कार्य सौंपने का निर्णय शासन स्तर पर लिया जायेगा। इस प्रकार इसमें यह निर्णय लिया गया कि ये सारे कार्य अन्य विभागों से भी लिए जायें और केवल निर्वाचन, मतदाता सूची संशोधन कार्य और पल्स पोलियो, जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, इनको छोड़कर अन्य जितने भी काम हैं, वह शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कर्मचारियों से भी करवायें। यह निर्णय लिया गया है।

मैं माननीय सदस्य की भावना से अवगत हूँ और जो इनकी चिन्ता है, वही मेरी भी चिन्ता है। हमारे यहां अध्यापकों के पद वैसे भी कम हैं। हमारे मानकों के अनुसार जिन विद्यालयों में दो अध्यापक होते हैं, उनमें से यदि एक अध्यापक अस्वस्थ हो जाता है और दूसरा पल्स पोलियो या दूसरे कार्यक्रम में चला जाता है तो विद्यालय बन्द होने की नौबत आ जाती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभागों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए पल्स पोलियो एवं निर्वाचन, मतदाता सूची संशोधन कार्य बेसिक शिक्षकों से कराये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। मान्यवर, इसके साथ ही हमने यह भी निवेदन किया है कि शिक्षकों को ऐसे काम दें, जो पाठशाला में बैठकर लिखत-पढ़त करके किये जा सकें। उनके लिए दूर न जाना पड़े। यदि कोई अध्यापक आर्थिक गणना और जनगणना के लिए 4 दिन बाहर रहेगा तो 6 दिन और वहां घर अपनी उपस्थिति दिखा देगा। इससे पठन-पाठन का कार्य बाधित होगा। हमने सुनिश्चित किया है कि शिक्षकों से मतदाता सूची संशोधन और पल्स पोलियो के अतिरिक्त कोई कार्य न लिया जाय।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि समाज के उस वर्ग के बच्चों के लिए, जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, सरकार उनके लिए गम्भीर नहीं है। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि गलती कोई और करता है और उसे भुगतना किसी और को पड़ता है। अभी मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का जो कार्य देहरादून में कराया गया, उसमें कई मतदाता सूचियां ऐसी हैं, जो किसी और विभाग ने बनायी थीं परन्तु उसका दुष्परिणाम अध्यापकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें निलम्बित किया गया है। अध्यापक विद्यालयों में नहीं हैं। पहले से ही विद्यालयों में उनकी कमी है। निलम्बित

शिक्षकों के स्थान पर नये शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है। सरकार की नीति के विरुद्ध और इस वर्ग के बच्चों के लिए सरकार की कोई चिन्ता नहीं है। मैं अपने संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए प्राइमरी शिक्षकों से पठन–पाठन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

राज्य के जनपद पिथौरागढ में धारचूला व मुन्स्यारी, जनपद उत्तरकाशी में रवाई–जौनपुर तथा जनपद चमोली में जोशीमठ क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त नागरिकों को अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुमन्य समस्त सुविधाएं प्रदान की जायं, के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत द्वारा संकल्प का प्रस्तुतिकरण

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन का सुनिश्चत मत है कि राज्य के जनपद पिथौरागढ में धारचूला व मुन्स्यारी, जनपद उत्तरकाशी में रवाई–जौनपुर तथा जनपद चमोली में जोशीमठ क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त नागरिकों को अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुमन्य समस्त सुविधाएं प्रदान की जायं।

मान्यवर, अनुच्छेद 244 में यह बात उल्लिखित है कि पांचवी अनुसूची के उपबंध, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। इसी अनुसूची के उपबन्ध पांच के घ में उल्लिखित है कि यह संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जायेगा जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त हुए माने जा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 342 पढिये।

श्री प्रकाश पंत–

मैं यह संकल्प इसलिए ला रहा हूँ कि जिस क्षेत्र का जिक्र मैंने अपने इस संकल्प में किया है यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है और मैं अपनी बात को

सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बहुत कम समय लूंगा। भारत सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा जी0एस0आर0 960 दिनांक 24 जून, 1967 के माध्यम से एक नोटीफिकेशन जारी किया जाता है। उसके अन्तर्गत दी कॉन्स्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश ऑर्डर 1967) इसमें उल्लिखित है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कनफर्ड बाई क्लाज (1) ऑफ आर्टिकल 342 ऑफ द कांस्टीट्यूशन रैड विद दी गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्लीजड टू मेक द फालोइंग आर्डर-दी आर्डर में बी "काल्ड द कांस्टीट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश आर्डर, 1967।" दूसरा "दी ट्राइब्स ऑर ट्राइबल कम्यूनिटीज और पार्ट्स ऑफ ऑर ग्रुप विद इन ट्राइब्स ऑर ट्राइबल कम्युनिटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू दिस आर्डर शैल फार दि परपज ऑफ दी कांस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रिलेशन टू दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सो फार एज रिगार्ड्स मैम्बर दियरकोर रिसाइड इन हैट। उस नोटीफिकेशन में शेड्यूल ट्राइब्स उत्तर प्रदेश आर्डर 1967 में जनजाति, जनजाति क्षेत्रों तथा जनजाति समाज को अविभाजित उत्तर प्रदेश की पांच जनजातियों के क्षेत्रों व जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। सम्मिलित की गयी पांचों जातियां क्रमशः भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू हैं। उसके पश्चात् यह हुआ जौनसार का सम्पूर्ण क्षेत्र जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जब कि भोटिया क्षेत्र, जिसे भोट क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। वह क्षेत्र में जो पूर्व में भोट क्षेत्र था।

मान्यवर, मैं इसके सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, द हिमालयन गजेटियर है जोकि एडविन टी एटकिंसन की है, जिसका हिन्दी रूपान्तरण 1986 में प्रकाश थपलियाल द्वारा किया गया है। इसके अनुसार इनके तीन भाग हैं, इसके एक भाग में भोट शब्द का प्रयोग किया गया है। मान्यवर, इस शब्द का प्रयोग जे0 स्ट्रेची ने भी किया है। मान्यवर, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने भी अध्याय तीन में भोटान्त प्रदेश का उल्लेख किया है। इनके अनुसार अस्कोट काली नदी से कपकोट को यदि एक रेखा से मिला दिया जाय तो कुमाऊं का इसके उत्तरवाला भाग भोट प्रदेश है। मान्यवर, जे0 स्ट्रेची ने भी यही लिखा है कि यहां भोट लोग रहते हैं। मान्यवर, गढ़वाल क्षेत्र में त्रिशूल पर्वत क्षेत्र को यह क्षेत्र कह सकते हैं। मान्यवर, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं में, हिमालयन हैरिटेज में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोग भोट ऐरिया में रहते हैं, उन्हें भोटिया कहा गया है। मान्यवर, भोट क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की दारमा घाटी, व्यांस घाटी, चौंदास घाटी, जोहार घाटी जनपद चमोली की नीती माणा तथा उत्तरकाशी की विलंग जंदाग घाटी के क्षेत्र के अन्दर निवास करने वालों को भोटिया तथा सम्पूर्ण क्षेत्र को भोट क्षेत्र कहा गया है। मान्यवर, हिमालय क्षेत्र के प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में एडविन टी0 एटकिंसन के हिमालयन गजेटियर को माना गया है उसमें भी यही बात कही गयी है। मान्यवर, स्थाई हिम रेखा करीब बीस मील उत्तर को खिसक जाती है और इसी तरह भोटिया सीमा भी साथ चली जाती है।

मान्यवर, माणा या विष्णु घाटी पैन खण्डा प्राकृतिक रूप से पांच भागों में बंटा है–विष्णु गंगा घाटी, पश्चिमी धौली घाटी, गिरथी नदी घाटी, रिणी, रैणी, रिद्धी या ऋषिगंगा घाटी और जोशीमठ के आस पास का क्षेत्र जहां सर्दियों में भोटिया लोग रहते हैं, यह बात हिमालयन गजेटियर में भी लिखी हुई है। मान्यवर, कुमाऊ के भोट क्षेत्र में जुहार परगना 1872 के हाल बंदोबस्त तक मल्ला और तल्ला पट्टी या मल्ला या तल्ला जुहार के नाम से दो भागों में बंटा था तब से तल्ला पट्टी अब गोरीफाट और तल्लादेश दो पट्टियों में बंट गयी है। ऊपरी पट्टी में चौदह गांव हैं–बिल्जू, बरफ, गणघर, खिलौंच, लस्पा, ल्वाल, मार्त्या, मिलम, मर्तोली, रालम, रिलकोट, तोला और सुम्दू। भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास मुख्यतः गोरीफाट है। जहां कालामुनी अंचला के खूबसूरत ढलान गोरी नदी को चले गये हैं और इन ढलानों में सुरहिंग, गोरपाता, दराती और दारकोट गांव हैं गांवों का यह क्षेत्र मुन्स्यारी कहलाता है, यह बात भी हिमालयन गजेटियर में हैं। मान्यवर, जुहार के भोटिया केवल दो जातियां मानते हैं, ब्राह्मण और राजपूत वे इसके आगे गोत्र शाखा या प्रवर के बारे में नहीं जानते। कुछ जो स्वयं को गढ़वाल रावतों का वंशज बताते हैं उनका कहना है कि वे कौसिक गौत्र के हैं और अन्य जो स्वयं को बनारस का भट्ट बताते हैं वे खुद को कौषिक गोत्र से मानते हैं जुहार में भोटिया ब्राहमणों की प्रमुख जातियां हैं डोबथिया, पाठीक, कराखेती, नौरागी, पाल्हाल, उपाध्याय, दरमोला और नागिला। राजपूतों में जंगपागी और टोलिया के बारे में कहा जाता है कि वे नेपाल के जुमला से आये। मर्तोलिया स्वयं को बनारस के भट्ट बताते हैं। बिरजू, बिकं, मिलय, नमजल, सैण, रिलकोट, बुलकोट, रिंग, लस्पा, ल्वाल, धामीगांव, सैणराथी, खिलौंच, मानी, धेढ पाटा पापा, रालण, हरकोट, पापड़ा, गांवों पर आधारित जातियों के लोग इन्हीं गांवों के हैं। दारमा पट्टी में ब्राह्मण नहीं हैं। दारमा मल्ला और तल्ला में राजपूत जातियां गांवों पर आधारित हैं यह हिमालयन गजेटियर में लिखा गया है।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय और इस क्षेत्र में रहने वाली सभी जातियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, इस तरह से पुरातन पत्र मुझे मिला, 1958 का है जिस पत्र में भोटिया भैली का जिक्र है। 1958 का पत्र वन विभाग का है यह भूटिया ऑल केसेस का है, जो भेड़–बकरी चराने का काम करते थे, इसी तरह से तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने पत्र लिखा था तो उसमें था कि इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र होना चाहिए, इसलिए जोशीमठ में जो रहन–सहन है उसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि अधिक सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो चमोली में जोशीमठ, पिथौरागढ़ में धारचूला व मुन्स्यारी, उत्तरकाशी में रवाई–जौनपुर को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए तो भारत के संसद को अधिकार है और आप यहां पर ला रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यहां से प्रस्ताव पारित करके वहां भेजा जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने सारे तथ्य रखे। मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव एक से अधिक बार भारत सरकार को भेजा है और यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसे 500 तहसीलों का मामला भारत सरकार के पास लम्बित है और मैं कहना चाहूंगा कि 1962 की भारत–चीन की लड़ाई के बाद सरकार ने सोचना शुरू किया और 1967 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन जातियों को ट्राइबल जनजाति घोषित किया, उसके बाद यह आया कि यहां के लोगों को भी जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए, पर यह बात लम्बित है, वहां के लोग लगातार मांग करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को विचारार्थ भेजा है और इस संकल्प के माध्यम से सिफारिश भारत सरकार से अवश्य करें। यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य अनुभवी हैं, उनको पूरी जानकारी है कि इसमें क्या कठिनाई है और उन्हें यह भी मालूम है कि उत्तरांचल के द्वारा 2001 में यह प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता है इसे देखना है, उनकी शर्त है कि 50 प्रतिशत से कम आबादी होगी तो हम नहीं करेंगे। मान्यवर, धारचूला तथा मुन्स्यारी विकासखण्डों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या 1654 भोटिया जनजाति संघर्ष समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 8 मई, 2003 को दिये गये निर्णय में यह कहकर याचिका का निस्तारण कर दिया है कि याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द व अन्य में दिये गये निर्णय के आधार पर निस्तारित किया जाता है। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने संदर्भित निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने वाले आदेश को उसी अर्थ में लिया जायेगा जिस *अर्थ* में इसे मौलिक रूप से प्रख्यापित किया गया है। उसको किसी अन्य रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता अर्थात् यह स्पष्टीकरण भी नहीं किया जा सकता कि एक जनजाति या उपजाति विशेष या किसी अन्य जाति का अंश या भाग भी वही अनुसूचित जनजाति अथवा उसका पर्यायवाची है जैसा भारत सरकार द्वारा पहले से प्रख्यापित जनजाति में शामिल है। मान्यवर, स्पष्टतया अनुसूचित जनजातियों को स्पष्ट करने वाला आदेश उसी रूप में लिया जायेगा और इसकी अलग से व्याख्या या स्पष्टीकरण कानूनी रूप से लिखित रूप में नोटीफिकेशन/शासनादेश द्वारा की जानी

सम्भव नहीं है। ऐसा अब केवल भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जा सकता है और इसका अधिकार केवल भारतीय संसद को है। भारतीय संसद के अलावा किसी भी राज्य सरकार, न्यायालय या ट्रिब्यूनल को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे किसी विद्यमान नोटीफिकेशन को किसी प्रकार से संशोधित, परिवर्द्धित या परिमार्जित कर सके।

इस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल के अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने वाले नोटीफिकेशन को किसी अन्य प्रकार से प्रख्यापित, परिभाषित, परिमार्जित करना सम्भव नहीं है। दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि प्रार्थिनी द्वारा जो प्रार्थना की गयी है, वह उत्तरांचल राज्य सरकार अथवा माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय या किसी भी अन्य प्राधिकरण के द्वारा अपने स्तर से जारी नहीं किया जा सकता। स्वयं उत्तरांचल शासन द्वारा भी विद्यमान नोटीफिकेशन पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, अन्य जनजातियाँ, उप जनजातियों इत्यादि के संबंध में भी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जा सकता है। लागू नोटीफिकेशन को विद्यमान रूप में ही लागू किया जाता रहेगा और केवल भारत सरकार इस संबंध में स्पष्टीकरण या शासनादेश जारी कर सकती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के नोटीफिकेशन संख्या जी0एस0आर0 960, दिनांक 24 जून, 1967 द्वारा भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजि तथा थारू वर्गों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। राज्य के विभाजन के उपरान्त भी उत्तरांचल में ये अनुसूचित जनजातियां पूर्ववत् विद्यमान हैं, इनमें भोटिया वर्ग को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इस प्रकार से भोटिया समुदाय के व्यक्ति को, चाहे वह उत्तरांचल में प्रवास नहीं भी कर रहा हो, अनुसूचित जनजाति की मान्यता तथा ऐसी मान्यता से मिलने वाले लाभ मिलते रहेंगे। धारचूला तथा मुन्स्यारी तहसीलों के अन्य समुदाय, जो भोटिया वर्ग के नहीं हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। मंत्रालय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश में जो जनजातियां अनुसूचित घोषित की गयी हैं उन्हें केवल उसी रूप में ही लिया जा सकता है और किसी अन्य प्रकार से नहीं। कहने का आशय यह है कि जो नोटीफिकेशन इस समय भोटिया समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए विद्यमान है, वह केवल भोटिया समुदाय के सदस्यों तक ही सीमित रहेगा। इस पर किसी भी प्रकार का अग्रेत्तर स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए वहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

अतः धारचूला, मुन्स्यारी को अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यहां इस समुदाय की जनसंख्या 50 प्रतिशत से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त 2001

की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार रवाल्टा, जौनपुरी क्षेत्र मे जनजातियों की आबादी कुल आबादी का 0.46 प्रतिशत तथा जोशीमठ व चमोली की कुल आबादी में जनजातियों की आबादी केवल 14.3 प्रतिशत है। न्याय विभाग के मतानुसार संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति महोदय प्रेसीडेंशियल नोटीफिकेशन से उन जातियों को इंगित करते हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के संबंध में नोटीफिकेशन से जाति विशेष को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है। तत्पश्चात् संसद को अधिकार है कि इस नोटीफिकेशन में दी गयी जातियों को कम या अधिक करे। फार डिक्लेअरिंग एनी एरियाज इज ट्राइबल एरिया, दि शेड्यूल्ड ट्राइबल पापुलेशन शुड ऐटलीस्ट बी 50 परसेन्ट इन द एरिया अन्डर रिफरेन्स दि शेड्यूल्ड ट्राइब पापुलेशन इज आनली 2 परसेन्ट दियरफोर दीज एरियाज आर नाट इलीजिबल फार दीयर डिकलेरेशन इज शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल सब-प्लान (टी0एस0पी0) एरियाज फरदर दि मेम्बर ऑफ भोटिया कम्यूनिटी हैव रिप्रजेन्टेड टू दिस मिनिस्ट्री फार नॉट डिक्लेयरिंग धारचूला एण्ड मुन्स्यारी तहसील्स ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इज ट्राइबल एरियाज। यह तो इसका वैधानिक प्रस्तुति है, 2001 में इसको भारत सरकार को भेजा था। मैं, संविधान के अनुच्छेद 342 जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार करना है। मान्यवर, यह अधिकार तो संसद को है। हमारी रिकमेन्डेशन 2001 में गयी थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का पत्र है।

श्री प्रकाश पंत-

मैं अनुच्छेद 244 की बात कर रहा हूँ, मैं जनजाति क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, हमने आपके रिफरेंश को समझ लिया है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि भोटियाओं ने खुद इसमें आपत्ति कर दी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पंत जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 244 के अन्तर्गत संकल्प यहां से पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा जाय। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला व मुन्स्यारी, जनपद उत्तरकाशी में रवाई-जौनपुर तथा जनपद चमोली में जोशीमठ क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त नागरिकों को अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुमन्य समस्त सुविधाएं प्रदान की जायें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अधिनियमों में वर्णित विभिन्न धाराओं के अनुसरण में मा0 सदस्यों को नामित करने हेतु मा0 अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि ''उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 10, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 तथा देव संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 के अनुसरण में यह सदन सन्दर्भित विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध कार्यकारिणी, विश्वविद्यालयों की सभा तथा व्यवस्थापक मण्डल में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में, माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 10, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 के अनुसरण में यह सदन सन्दर्भित विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध कार्यकारिणी, विश्वविद्यालयों की सभा तथा व्यवस्थापक मण्डल में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में, माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–16 पुकारे जाने पर)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आप अपना निर्णय दें उससे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आज आपने कृपापूर्वक नियम–300 की सभी सूचनाएं मान्य कर दी हैं। मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों की नियम–58 की सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं, उन सभी सूचनाओं को आप नियम–53 में केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें। (व्यवधान)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री काशी सिंह ऐरी, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल तथा श्री बिशन सिंह चुफाल जी की कुल

09 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय-कामा कनल गांव का प्रान्तीयकरण किये जाने के संबंध में माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम-53 में केवल वक्तव्य ही आ जाये।

मान्यवर, यह तो परम्परा रही है कि सत्र के अन्तिम दिन सारी सूचनाएं स्वीकार होती हैं, मेरा अनुरोध है कि जो शेष सूचनाएं हैं उन्हें केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया जाय, इसमें शासन को भी कोई असुविधा नहीं है, केवल लिखित उत्तर ही आना है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस पर कोई असुविधा नही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, नियम-53 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करता हूं।

बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों की ए0एन0एम0 केन्द्रों में नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री अनिल नौटियाल, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

[उत्तरांचल शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के अति दुर्गम/दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा (एलोपैथी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथी/यूनानी) उपलब्ध नहीं थी उन क्षेत्रों में जनता को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप केन्द्रों का चयन कर 539 पद सृजित किये गये हैं तथा इन सभी उप केन्द्रों पर फार्मासिस्ट के पद सृजित कर तैनाती दी गयी है।

विभाग द्वारा ऐसे असेवित क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है जहां पर किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और दूर-दराज के क्षेत्र हैं ऐसे उप केन्द्रों का चिन्हीकरण कर आवश्यकतानुसार पदों का सृजन किया जायेगा।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल निवास नई दिल्ली में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राज्य सम्पत्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के बाहर समूह 'ग' के पद पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1998 जोकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में भी यथावत् लागू है, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन उपलब्ध समूह 'ग' के उपलब्ध 02 रिक्त पदों के सापेक्ष 02 शिक्षित श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वरिष्ठताक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2376/XXXII/2004, दिनांक 16 नवम्बर, 2004 द्वारा विनियमित कर दिया गया है, किन्तु पर्याप्त रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण तत्समय उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में कार्यरत शिक्षित श्रेणी के 03 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों सर्वश्री सुरेश चन्द्र पाठक, वीरेन्द्र कुमार वर्मा तथा महेन्द्र प्रसाद की सेवाओं को विनियमित नहीं किया जा सका है। शासनादेश संख्या 100/XXXII/2006, दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के ढांचे को पुनर्गठित करते हुए अन्य संवर्गों के साथ–साथ समूह 'ग' श्रेणी संवर्ग में भी अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा चुका है। पुनर्गठित संरचनात्मक स्वरूप में श्रेणी 'ग' के पद उपलब्ध होने पर उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के बाहर समूह 'ग' के पद पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1998 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली के कार्यरत शिक्षित श्रेणी के 03 कार्मिकों क्रमशः सर्वश्री सुरेश चन्द्र पाठक, वीरेन्द्र कुमार वर्मा तथा महेन्द्र प्रसाद की सेवाओं को विनियमित किये जाने के प्रकरण पर विचार किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु इस बीच मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमा देवी व अन्य मामले में पारित निर्णय शासन के संज्ञान में आने पर इस निर्णय के आलोक में कथित कार्मिकों को विनियमित नहीं किया जा सकता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में दैनिक वेतन तथा समान प्रास्थिति वाले पदों पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित सरकारी सेवायोजन का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसकी संस्तुति पर शासन द्वारा लिये जाने वाले सम्यक् निर्णयानुसार ही राज्य सम्पत्ति विभाग के उक्त सन्दर्भित प्रकरणों में यथा समय निर्णय लेना सम्भव हो पायेगा।]

सदन के सफल संचालन पर माननीय सदस्यों के उद्गार

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि यह इस विधान सभा का अन्तिम सत्र है और इतने अच्छे माहौल में सदन का समापन हो रहा है पिछले 4–5 वर्ष हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि अन्त में आपके द्वारा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा और दलीय नेताओं के कुछ उद्गार आ जायं तो ठीक रहेगा।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इसे परम्परा बना लिया जाय कि सभी दलीय नेता एवं माननीय अध्यक्ष इस पर बोलें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, पहले आप अपने विचार सदन के सम्मुख रखें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज प्रथम विधान सभा का पांचवा वर्ष चल रहा है और इतना ही समय हम लोगों को यहां पर कार्य करते हो गया है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी माननीय सदस्यों ने हमें शासन चलाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया, कभी–कभी कुछ बातें हो जाती हैं लेकिन जिस प्रकार से आप सभी लोगों की सदाशयता रही, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बहुत सदाशयता रही और काफी सक्रिय सदस्यों के रूप में हमारे माननीय अजय भट्ट जी, पूर्व स्पीकर श्री प्रकाश पंत जी, माननीय भगत सिंह कोश्यारी, जो आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं और सभी माननीय सदस्यों ने काफी सदाशयता से, सहृदयता से सहयोग किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के कवि हृदय के बारे में भी मुझे यहां पर पता चला और मैं तो यह कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एक और कवि एवं शायर हृदय नेता हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी इस काबिलियत का पता मुझे एक कार्यक्रम के दौरान चला जब उस कार्यक्रम में इन्हें मेरे बाद बोलना था तो इन्होंने वहां पर अपनी कविताओं और शायरियों में मेरा बहुत इलाज किया और वह भी बहुत ही शालीन और संसदीय शब्दों में, कविता में बहुत शक्ति होती है। और भी हमारे माननीय सदस्य सक्रिय रूप से विशेषकर माननीय अजय भट्ट जी और माननीय प्रकाश पंत जी ये यहां पर बैठे हैं इसीलिए नहीं कह रही हूं बल्कि यह लोग इसी सक्रियता से आज से ही नहीं उत्तर प्रदेश के जमाने से सदन की कार्यवाही में भाग लेते रहे हैं।

मान्यवर, जब उत्तराखण्ड के संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो उस समय उन्होंने बहस में जो भागीदारी की थी, वह सराहनीय थी। सौभाग्यवश वह विधेयक मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। जब ये स्पीकर बने तो बहुत कम समय में इन्होंने संसदीय ज्ञान अर्जित कर लिया। कल मुझसे कह रहे थे कि मैं रात एक बजे तक पढ़ता हूं और सुबह 4 बजे उठकर फिर पढ़ने लगता हूं। आपसे ज्यादा अध्ययन करता हूँ। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, अन्य लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। ज्ञान–ध्यान और इन्वॉलमेंट से ही मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। सदन को चलाने में ज्ञान का आदान–प्रदान होता है तो अच्छी परम्पराएं पड़ती हैं।

मान्यवर, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सम्मानित नेता माननीय काशी सिंह ऐरी जी वाक् चातुर्य की दृष्टि से संवेदनशील हैं। कभी उत्तेजित होकर किसी के पक्ष में बात नहीं

करते। जिससे यहां के लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि ये आखिर हैं किसकी तरफ। जब राज्य के नाम परिवर्तन विधेयक पर अपनी बात कह रहे थे तो इन्होंने माननीय कोश्यारी जी को अपना बड़ा भाई बता दिया और हमारे साथ आ गये। यह इनका वाक् चातुर्य है। अभिव्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मधुर बात भी गहरे तक पैठ कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने हमारा साथ दिया और उत्तरांचल में भी ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। माननीय जन्तवाल जी भी यहां पर हैं, आप नैनीताल क्षेत्र से हैं, इसलिए आपसे मुलाकात होती रहती है। आपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी। आप सदन में भी सक्रिय रहते हैं और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहते हैं। आप उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से हैं लेकिन हमारे साथ ऐसे घुले-मिले रहते हैं कि आपको कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होता है। आपके क्षेत्र में आपका चरित्र काफी लोकप्रिय है। बसपा के माननीय नेता भी यहां पर बैठे हैं। ये सरलता और सादगी के साथ बात करते हैं। धीरे-धीरे सदन के अन्दर आकर अपनी सक्रियता साबित की। आप सहृदयता के साथ सदन में अपनी बात को रखते हैं। आपने भी हमें बहुत सहयोग दिया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं। हमारे माननीय मंत्रीगण और विधायकगण ने भी हमें पूरा सहयोग दिया। सदन में सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। हमारे सत्तापक्ष के लोगों ने भी बहस में भाग ले कर अपनी सक्रियता दिखाई। जब कभी सदन में एकता का प्रश्न आता था तो सब एक साथ नजर आते थे। मुझे तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में व्हिप भी जारी करना पड़ता है।

इस समय हमारे माननीय विधायकों और माननीय मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में जाना था लेकिन फिर भी सब यहां पर उपस्थित रहे। हमारे जो पुराने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि विधान सभा में कोरम के लिए भी घण्टी बजती है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय सदस्य रहे हैं, उनको मालूम होगा कि वहां पर कोरम की घण्टी बजती थी। लेकिन यहां पर कभी भी कोरम की घण्टी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य यहां पर प्रदर्शित हुआ। इसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पूरा सहयोग दिया। कभी किसी विषय पर मतदान की बात आयी तो हमें बगलें नहीं झांकनी पड़ी। हमारे सत्तापक्ष के लोग हमेशा यहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि सदन का कोरम और दल की गरिमा कम न हो। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रमुख रूप से आपने ही अपने निर्देशों और नियमावली के आधार पर इस सदन का संचालन किया। मान्यवर, आपने सदन का संचालन बहुत ही कुशलता के साथ और नियमों में रहकर किया। माननीय अध्यक्ष जी की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उससे सत्तापक्ष के साथियों और प्रतिपक्ष के साथियों को यह कभी नहीं लगा कि किसी को अनदेखा किया जा रहा है। आपने अधिकतर मौकों पर प्रतिपक्ष के साथियों को अधिक मौका दिया और हमें भी यह महसूस हुआ कि आप प्रतिपक्ष के साथियों का अधिक चिन्तन करते हैं। मान्यवर, हम लोगों

ने एक तरह से उत्तरांचल में एक इतिहास लिखा जो पहली निर्वाचित विधान सभा है। हम सभी ने एक स्वच्छ परम्परा का यहां पर सूत्रपात किया। इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। माननीय नेता सदन भी अनुपूरक बजट को रखने के लिए यहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने आप सभी को फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित किया। जो लोग नहीं थे उनको दूरभाष पर अवगत भी कराया गया। जो लोग दूर थे वे तो नहीं आ सके लेकिन जो शहर में ही थे वे आये और एक शानदार टी पार्टी और सूक्ष्म जलपान का प्रबन्ध भी किया, उस वक्त बहुत ही अच्छा लगा। पक्ष–विपक्ष की बात हम लोगों के मन में कभी नहीं रही।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस अनुशासन और नियम के साथ आपने सदन का संचालन किया उसका हम सभी फिर से आभार व्यक्त करते हैं। इस सत्र का और इस विधान सभा का यह अन्तिम सत्र था। अब हम पुनः 2007 में नई विधान सभा जब निर्वाचित होगी तब हम फिर से आप लोगों से मिलेंगे। प्रतिपक्ष के साथियों द्वारा जो प्रतिपक्ष का धर्म निभाया गया वह भी अनुकरणीय है। यह सद्भाव बना रहे और मुझे गर्व है नेता सदन जी द्वारा बिना दलगत राजनीति के विकास कार्यों में एवं अन्य कार्यों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। हम लोगों की उनसे यह शिकायत अवश्य रहती है कि आप सत्तापक्ष का कम और विपक्ष का अधिक ख्याल रखते हैं।

मान्यवर, उनके इसी व्यवहार के लिए हमारे प्रतिपक्ष को मित्र विपक्ष की संज्ञा दी गयी। इसमें नाराजगी भी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिली, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। माननीय नेता सदन विद्वान हैं, बहुत अनुभवी हैं, ये राजनीति की पाठशाला है। उनसे कोई भी सीखना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है। चाहे वह विपक्ष के नाते उनसे कुछ पूछे या सत्तापक्ष के नाते उनसे कुछ पूछे तो वे सभी को नेक सलाह देते हैं। वे 1952 से राजनीति में हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां चाहे वह केन्द्र में हों या पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में हों, उनका निर्वहन बड़ी ही कुशलता के साथ किया। यह हमारा सौभाग्य है कि वे इस नवसृजित राज्य के पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री बने, इसका लाभ राज्य को मिला। साथ ही मैं विधान सभा के उच्चाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही जो यहाँ पर स्टैनोज लिखते हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पत्रकार बन्धुओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ वे देर तक रात में बैठकर सदन में गहन चर्चा होती है उसको मजे हुए पत्रकारों की भांति लिखते हैं। मैं सचिवालय के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उस पर वे सारी जानकारियां रात देर तक बैठकर प्राप्त करते हैं और रात में ही 12–1 बजे तक हमारे पास भिजवा देते हैं और सदन के दिनों में जल्दी आते हैं। मुख्य सचिव महोदय का भी हमें सहयोग मिला।

श्री हरीदास–

मान्यवर, जब हम यहां पर सबसे पहले जीतकर आये थे तो हमें संसदीय ज्ञान का अनुभव नहीं था, परन्तु यहां पर हमें सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों का समर्थन मिला।

मान्यवर, यहां पर हमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला है। इस सदन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हमें संरक्षण बराबर मिलता रहा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय नेता सदन बहुत ही उदार हृदय वाले हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का भी मैं आभारी हूँ कि उनके संसदीय ज्ञान का लाभ अनुभव हमें मिलता रहा। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय-समय पर हमारा मार्ग दर्शन किया। मान्यवर, मैं माननीय काशी सिंह ऐरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया और हमारा हौसला बढ़ाया। माननीय ऐरी जी से हमें नियमों का ज्ञान हुआ है, इस सम्बन्ध में वे हमें समय-समय बताते रहे। माननीय प्रकाश पंत जी के भी हम आभारी हैं। माननीय प्रकाश पंत जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रथम निर्वाचित विधान सभा का यह शायद अन्तिम सत्र है। इस विधान सभा के साढ़े चार वर्ष कब गुजर गये, इसका कोई पता नहीं चला है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में आपकी कार्यप्रणाली ने, आपके व्यवहार ने, आपकी सदाशयता ने हम सबको अभिभूत किया है और एक ऐसा उदाहरण इस विधान सभा में प्रस्तुत किया कि चाहे वह माननीय नेता सदन के लिए हो शायद आपकी वजह से ही मित्र विपक्ष की बात हो सकती है। आपके द्वारा कभी भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया। मान्यवर, वैसे इस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए था, परन्तु आप में कुछ विशेष गुण हैं, आपने एक मिसाल कायम की है। मान्यवर, यह आपका व्यवहार ही है कि जिसकी वजह से सदन सौहार्दपूर्ण तरीके से चला। मान्यवर, इस विधान सभा के कार्यकाल में कई बार ऐसी घटनाएं भी घटित हुई, यहां पर सब कुछ हुआ, जैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए था। मान्यवर, हमारे नेता सदन पहले इस सदन के सदस्य नहीं थे, वे यहां पर मनोनीत होकर आये थे, उसके बाद वे निर्वाचित होकर आये। मान्यवर, यहां पर ऐसा भी समय आया, जब हमारे एक सम्मानित सदस्य ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा भी दिया। मान्यवर, सदन के साथ-साथ मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र दिया ऐसा भी हुआ। ऐसी घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण हुई कि हमारे एक सदस्य माननीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी का निधन हुआ और उनका पुत्र उसी जगह से चुनाव लड़ा और विजयी होकर यहां आया यह भी घटना हुई थी और यह भी हुआ कि हमारे एक सदस्य के खिलाफ चुनाव को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कायम हुआ और वे माननीय न्यायालय के आदेशों से हार गये, लेकिन फिर लड़कर चुनाव जीतकर आ गये तो इतनी घटना आपने देखी, लेकिन आपने बहुत मार्मिक ढंग से ठीक किया और एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

माननीय नेता सदन के बारे में क्या कहूं वह तो विपक्ष–पक्ष को छोड़िए वो तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे व्यक्तित्व के हैं कि उनमें किसी के लिए बुराई नहीं है। हम तो पुराने साथी रहे हैं, वे नैनीताल में नेता थे तो हम छात्र नेता थे, उनका राजनीतिक जीवन हमारी पूरी उम्र से ज्यादा है। उनका कद, अनुभव और प्रतिष्ठा ने हमारे प्रदेश को बहुत कुछ दिया। विपक्ष–पक्ष के लोगों को क्या मिला यह अलग बात है लेकिन हमारे प्रदेश को हर क्षेत्र में नया आयाम छूने का मौका मिला। मान्यवर, चुनौती होती है और उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इस सबका नेतृत्व कर सके और इसके लिए हमें ऐसे नेता मिले जिनका मैं आभारी हूँ, इसलिए उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, संसदीय ज्ञान में जब उपस्थिति दर्ज की तो बहुत कुछ हमारे साथियों को सीखने को मिला, लेकिन उनका संसदीय अनुभव, संसदीय तौर–तरीके इतने अच्छे हैं कि वह हर चीज को करने में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, इसलिए हर स्थिति में नई दिशा दी, नई ऊर्जा हम सब लोगों को दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो पूरी सरकार की मर्मज्ञ हैं, सरकार का सारा कामकाज वह करती होंगी। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सारे सदन को किस प्रकार से चलाया है, उन्होंने यहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके संसदीय ज्ञान के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कई बातों से तो वह उत्तेजित हो जाती थीं। आपने ऐसे–ऐसे कठिन क्षणों में सरकार को बचाया, विपक्ष को भी आपने सुना।

मान्यवर, माननीय इन्दिरा हृदयेश जी के बारे में हम यह कह सकते हैं कि वह एक विलक्षण प्रतिभा की हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश में भी संसदीय कार्य मंत्री देखे हैं, मगर हमारी जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं उनका यहां पर बहुत ही अच्छा रोल रहा। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वह सत्तापक्ष के लोग हैं और हम अलग हैं। मैं अपने दल की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय मंत्रीगणों ने भी काफी अच्छी भूमिका निभायी। हमारे जो मंत्रीगण हैं, काम की बात हो या जवाब देने की बात हो, चाहे आपस में बातचीत हो तो उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभायी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं वह सरल हृदय के आदमी हैं, उन्हें किसी भी बात से कोई परहेज नहीं। वह साफ शब्दों में अपनी बात कहने वाले हैं, उन्हें अपनी बात को कहने में कोई हिचक नहीं, वह शुद्ध मन से अपनी बात को रखते हैं। मान्यवर, संसदीय कार्यकलापों के बारे में अखबार में छपा कि विपक्ष की मीटिंग नहीं हुई तो वह चिन्तित हुए उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि ऐसी बात है। हम जनहित की बातों को मिलजुल कर करते हैं। उनकी जब भी हमको आवश्यकता पड़ी तो हमें उनका सहयोग मिला, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती तो हम उनका सहयोग करते थे। मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश पंत जी हैं, अजय भट्ट जी हैं। प्रकाश पंत जी ने यहां पर अच्छा परफारमेंस कर यहां पर विचार–विमर्श की परम्परा को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो अध्ययन करके दिखा दिया, उनका योगदान अन्य क्षेत्रों में

भी रहा, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अजय भट्ट जी हैं, उनके साथ हमने धारचाम से लेकर विदेश तक की यात्रा साथ की तो वे कहते थे कि आपके साथ से हमें बड़ा अच्छा लगा, मैं कहता था कि आपके साथ होने से अच्छा रहा। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री हरीदास जी हैं, हम साथ बैठते हैं वह कहते हैं कि हाथी पहाड़ पर नहीं चढ़ता है हमने कहा कि कोशिश करिये। हम भी अभावग्रस्त लोगों की और दलित लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो हम उनको सुझाव दे सकते थे वह दिया, जो ले सकते थे लिया। इसलिए मैं आपका और सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अंतवाल जी हैं यह बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने यहां पर बहुत ही अच्छी भूमिका एक विद्वान की होती है, वह उन्होंने निभायी। उन्होंने यहां पर मुद्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। मैं उनका और सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दनदमी टकसाल के लोग हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सामने बैठे हैं माननीय सुबोध उनियाल जी, वह कहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे, यथास्थिति बनी रहेगी मैं यह चाहता हूं कि हम सब लोग दुबारा आयें। लेकिन मेरा दिल कहता है कि हम दिमाग से ऐसा नहीं होने देंगे। (हंसी) मान्यवर, दिमाग से हम कोशिश करेंगे कि वे यू हो जाय। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष–

कभी–कभी दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। (हंसी)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अब हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हम दिमाग पर दिल को हावी होने दें। (हंसी) बैंकाक के बारे में मैं एक शेर कहना चाहता हूं: "भूल गये क्या–क्या देखा था, याद नहीं क्या–क्या देखा था, सारे मंजर भूल गये, उसकी गलियों से जब लौटे तो अपना ही घर भूल गये।" (हंसी) यह यात्रा भी माननीय नेता सदन की वजह से सम्भव हो सकी थी। हमें देखने को मिला कि बाहर क्या हो रहा है। थाईलैण्ड से लौटने के बाद उन्होंने पूछा कि कैसा लगा, कैसा महसूस किया तो हमने कहा कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो वहां है वो यहां नहीं है और जो यहां है वो वहां नहीं है। जो वे लोग हैं वो हम हो नहीं सकते हैं और जो हम हैं वह वो हो नहीं सकते हैं। कुछ बात है कि हस्ती (व्यवधान) मैं हिन्दुस्तान के बारे में कह सकता हूँ, लोग कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, हम दुनिया की नजरों में धीरे–धीरे आ रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई। हमारे माननीय अजय भट्ट जी के मित्र हैं श्री ललित पांडे जी, जो सिडनी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि पहले हिन्दुस्तान के बारे में वहां के लोगों की उत्सुकता नहीं होती थी लेकिन हिन्दुस्तान के बिजनेस मैनेजमेन्ट की वहां पढ़ाई होने

लगी है। अब यहां के लोगों ने हिन्दुस्तान के बारे में उत्सुकता दिखानी शुरू कर दी है। "कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।" मान्यवर, इतनी विविधताओं के बाद भी हमारा हिन्दुस्तान मजबूती के साथ खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। पुनः मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिनका भी आभार व्यक्त किया है चाहे वे विधान सभा के अधिकारी, कर्मचारी हों या सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी हों, विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित मीडियाकर्मी हों सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जय हिन्दुस्तान, जय उत्तराखण्ड।..................

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं माननीय सदन का सम्मान करता हूँ। चाहे हम उत्तर प्रदेश में रहे हों या उत्तरांचल में मेरी भावना यह रही कि इस माननीय सदन का सम्मान हो।...................

इस माननीय सदन में पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जब भी प्रदेश की जनता के हित की बात उठायी, उनके विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात उठायी। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उत्तरांचल की जनता की पीड़ा को समझा और उन्हें सदन के समक्ष उठाया एवं आपके माध्यम से सरकार के पास भेजा और सरकार ने भी उन पर कार्यवाही की। मैं सरकार के और विपक्ष के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह सदन माननीय विधायकगणों का है और माननीय विधायकगणों का सम्मान भी होना चाहिए। जो माननीय सदस्य फिर से यहां पर चुनकर आयेंगे उन्हें भी सम्मान मिलता रहेगा चाहे वह सत्तापक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों।

जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह सबके मुख्यमंत्री हैं, वह केवल सत्तापक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जब भी हम उनके पास गये उन्होंने हमारा सम्मान किया और हमारी बातें सुनी। वे उम्र में हमसे बड़े हैं और राजनीतिक अनुभव में भी काफी बड़े हैं, लेकिन मैं जब भी उनके पास जाता था वह खड़े होकर हमारा अभिवादन करते थे, उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, वह कम है, विपक्ष के माननीय सदस्य जब भी उनके पास गये उन्होंने उनकी बात सुनी, मैं जब भी वहां जाता था माननीय मंत्रीगण भी वहां पर होते थे लेकिन उन्होंने हमेशा सबसे पहले हमारी बात सुनी और कहा कि नेता प्रतिपक्ष आये हैं पहले उनकी बात को मैं सुनूंगा। मान्यवर, एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ जब हम लोग उत्तर प्रदेश में विपक्ष में थे तो उस समय के मुख्यमंत्री जी से हम मिले और उन्हें एक कागज दिया तो उन्होंने उस कागज को फाड़ दिया और कहा कि आपका काम नहीं होगा। तो वह केवल अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। मुझे याद नहीं है माननीय ऐरी जी उस समय उत्तर प्रदेश विधान सभा में

थे या नहीं, हमने तो विधान सभा में यह भी देखा है वर्ष 1993 में, जब यहां पर लाउडस्पीकर तोड़े गये थे और माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी को पीटा गया था और हम लोगों ने उन्हें बचाया था।

लोग कहते हैं मित्र विपक्ष, तो हम उनसे कहते हैं कि भई जो बात थी वह हमने सरकार तक पहुंचा दी है। अब सरकार का दायित्व है कि वह उस काम को करे, यदि वह काम नहीं करते हैं तो क्या हम वहां पर मार कुटाई करें ? मान्यवर, विपक्ष का कार्य है सरकार की कमियों को, कमजोरियों से सरकार को अवगत कराना और सरकार का कार्य है उसे ठीक करना। यहां पर सत्तापक्ष ने और विपक्ष दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना-अपना कार्य किया, ऐसी स्थिति नहीं आई। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को लहूलुहान होना पड़ा था। हमें तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार से विपक्ष का सम्मान किया जाता है, किस प्रकार से काम किया जाता है, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला। आप तो बहुत ऊर्जावान हैं, मैं देख रहा हूँ आप तीन बजे से लगातार यहां पर बैठी हैं, हम तो दो-तीन बार बाहर हो आये हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भी जब भी हम गये उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बनावटी बात यहां पर कर रहा हूँ। अन्य माननीय मंत्रीगणों के पास भी जब हम गये तो उन्होंने हमारी बातों को सुना और हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी किया। आप और हम लोगों का साथ चिरस्मरणीय रहा है, आप लोग सदा हमारे दिलो-दिमाग में रहेंगे।

मान्यवर, जहां तक उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी की बात है, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं उनसे बहुत सी बातों में राय भी मांगता हूँ। कभी-कभार आप भटक जाते थे लेकिन फिर रास्ते पर आ जाते थे। लेकिन आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है। आपका जो संसदीय ज्ञान है, उसका हमें लाभ मिला। माननीय नेता बसपा श्री हरीदास जी बहुत ही सज्जन और सहृदय व्यक्ति हैं। मगर आप आक्रामक भी हैं। आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कितनी प्रशंसा करूं। एक माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं और दूसरे माननीय अध्यक्ष जी हैं। आप पीठ पर विराजमान हैं, आपकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। आपने हमेशा हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। हमने विरोध भी जताया, हम "वेल" में भी आये लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया और सदन का बहुत अच्छा संचालन किया। आपने यहां पर एक इतिहास कायम किया है। माननीय प्रकाश पंत जी भी विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने भी सदन का बहुत अच्छा संचालन किया था और अब आप विपक्ष में हैं, जब आप यहां पर आते हैं तो पूरा अध्ययन और तैयारी करके आते हैं। मैं नहीं समझता कि आप कहां से इतने सारे आंकड़े लाते हैं। हमारे विद्वान साथी श्री अजय भट्ट जी भी यहां पर हैं। इनकी भी जितनी प्रशंसा

की आय कम है। सौम्य स्वभाव के धनी चन्द्रशेखर जी जैसे व्यक्ति भी यहां पर मौजूद हैं। उधर भाई गुनसोला जी हैं, आपमें गुण 16 हैं। अगर 17 गुण होते तो पता नहीं आप क्या करते। मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 बनायी। यह हमेशा हमारे उत्तरांचल राज्य के लिए मार्ग दर्शक रहेगी। यहां पर विधान सभा के सचिव, मार्शल, आशुलिपिक और विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। ये सब भी बधाई के पात्र हैं। अब आते हैं, विपक्ष पर। आप हमें चाहे मित्र विपक्ष कह लीजिए, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होती है, हमने उसको निभाने का पूरा प्रयास किया। हमने प्रयास किया कि सरकार उन बिन्दुओं पर कार्यवाही करे जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निवारण करना आपका कर्तव्य है। माननीय मंत्रीगण यहां पर उपस्थित हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सौभाग्य मिला है कि आप जनता की समस्याओं का निराकरण करें। हमें भी वहां पर रहकर काम करने का सौभाग्य मिला था। अब आपको भी इस पद पर बैठकर काम करने का सौभाग्य मिला है। इस पद की गरिमा को कायम रखते हुए उत्तरांचल की जनता के हित में काम करना बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग धन अर्जित करने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग समाज सेवा के लिए काम करते हैं। यहां पर जितने भी विधायक हैं, सब जनता के प्रति समर्पित हैं और जनता की पीड़ा को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। जनहित के काम करना अच्छी बात है। मैं इन सबको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के समान कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अटल जी का तो तिनका भी नहीं हूँ। लेकिन अन्त में मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहता हूँ। मान्यवर, किस–किस की नजर देखूं, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही ऐसी मिली है, हर वक्त सफर में रहते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

आज सदन का अन्तिम दिन है और यह अन्तिम सत्र भी है। मैं अन्तरमन से, हृदय से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कण्डारी जी, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के माननीय नेता श्री काशी सिंह ऐरी और बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता श्री हरीदास जी ने जो हमारे प्रति सद्भाव व्यक्त किया, जिन शब्दों का चयन किया मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ लेकिन आपने मुझे इस योग्य बनाया मैं किन शब्दों के साथ धन्यवाद दूं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे विधान सभा अध्यक्ष के रूप में चुना और मेरा मान बढ़ाया। विगत वर्षों में जिस भावना से संसदीय परम्पराओं का पालन किया, वह अनुकरणीय है, अमूल्य है। सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और मैंने भरसक कोशिश की

कि जो आपने मुझे दायित्व सौंपा है, उसके अनुरूप आचरण करूं। मेरे द्वारा इस दायित्व का पालन किस तरह से किया गया इसका मूल्यांकन आप करेंगे। मैंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में, एक सेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। लगातार एक सेवक के रूप में आज भी मैं अपने को समझता हूं। सदन में भी कई अवसर ऐसे आये होंगे जब मुझसे कोई चूक हो गयी होगी, मेरे आचरण से नेता प्रतिपक्ष को कभी कोई आघात पहुंचा हो तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। क्षमा याचना करता हूं। माननीय नेता सदन आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं। मैं इस मौके पर इस बात को कहने में कोई संकोच भी नहीं करता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही माननीय नेता सदन के मार्गदर्शन में की। मैंने उन्हें अपना आदर्श माना। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने संसदीय कार्यमंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने उनकी विद्वता के लिए उनके संसदीय ज्ञान के बारे में उनकी शालीनता के बारे में और उनके राजनीतिक अनुभव के बारे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके बारे में अपनी बात को कहा। मुझे आप सबके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने का अवसर मिला। मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं।

मान्यवर, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है तो निश्चित रूप से वे एक सरल स्वभाव मन वाले व्यक्ति हैं। अन्तर मन से और सरल भाषा में अपनी बात को कहने में उनका कोई सानी नहीं है। एक जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनायी है। जब भी सत्तापक्ष की ओर से हास्य-व्यंग्य हुआ है, उन्होंने इसे स्वीकार किया है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, जिनके पास संसदीय परम्पराओं का लम्बा अनुभव है, उन्होंने भी समय-समय पर हमें मार्गदर्शन दिया। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहां तक माननीय काशी सिंह ऐरी जी की बात है तो उनके साथ हमें उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी सीखने को मिला है। ऐरी जी जनता की पीड़ा को बड़ी सरलता के साथ निष्पक्ष भाव से सदन में उठाते हैं। मैं उनका कायल हूं। माननीय हरीदास जी एक सरल स्वभाव वाले, गरीब परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला। मैं सभी माननीय मंत्रियों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया, मेरी अध्यक्षता को स्वीकार किया। मैं सभी माननीय सदस्यों को चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के सभी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। मैं इस अवसर पर माननीय प्रकाश पंत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अल्प समय में पढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनायी है, और यह साबित कर दिया कि पढ़ाई से सब कुछ हो सकता है। माननीय अजय भट्ट जी का भी हमें संरक्षण मिला है, उन्होंने दिल से हमें अपना समर्थन दिया है। हम आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम फिर मिलेंगे, आगे की यात्रा में सफल होंगे। मैं हृदय से अपने और अपने परिवार की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं विधान सभा सचिव, अपर सचिव, श्री हरीश जोशी, उप सचिव, श्री विष्णुचक्र थपलियाल, प्रमुख प्रतिवेदक श्री तारा दत्त बिष्ट, मुख्य सम्पादक, श्री सुनील हरियाली, समस्त प्रतिवेदकगण, समस्त पत्रकार बन्धुओं एवं अन्य सभी विधान सभा के अधिकारियों / कर्मचारियों का आभारी हूँ कि उन्होंने सदन को चलाने में अपना सहयोग दिया।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्र गान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

ते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

7 बजकर 05 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

र, 2006

0) 32 वि0 स0/579–13–12–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।

हम छा
सदन